लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 28 जनवरी, 2026 / 8 माघ, 1947(शक)

संख्या 105

अपराह्न 12.51 बजे

1. **राष्ट्रगान**

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.52 बजे

2. **राष्ट्रपति का अभिभाषण - सभा पटल पर रखा गया**

महासचिव ने 28 जनवरी, 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.53 बजे

3. **निधन संबंधी उल्लेख***

अध्यक्ष ने श्री अजीत पवार, दसवीं लोक सभा के सदस्य; श्रीमती शालिनी पाटिल, सातवीं लोक सभा की सदस्य; श्री भानु प्रकाश मिर्धा, ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री सत्येन्द्र नाथ ब्रह्म चौधरी, दसवीं लोक सभा के सदस्य; श्री सुरेश कलमाडी, ग्यारहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ, दसवीं, बारहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम बेगम खालिदा ज़िया के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

अपराह्न 12.58 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 29 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखे।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 / 9 माघ, 1947 (शक)

संख्या 106

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 17 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 18 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का डिजिटल परिचालन सदस्य पोर्टल के माध्यम से किए जाने के संबंध में घोषणा की।

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26.

(2) आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 - सांख्यिकीय परिशिष्ट।

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखे।

5. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने अठारहवीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा 2 दिसम्बर, 2025 को सभा को पिछली बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात से राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयकों को सभा पटल पर रखा:-

1. मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025;
2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025;
3. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025; और
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025।

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखी:-

1. विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025;
2. निरसन और संशोधन विधेयक, 2025;
3. भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025; और
4. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025.

अपराह्न 12.05 बजे

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवदेन

श्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

7. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने 14 से16 जनवरी, 2026 तक आयोजित राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) के सफल समापन के बारे में घोषणा की।

अपराह्न 12.08 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

1) श्री धर्मबीर सिंह द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत नेचुरोपैथी को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखे।

2) श्री विष्णु दयाल राम द्वाराएकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत नियुक्त आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में संशोधन किए जाने और उनकी सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारादेश में कोचिंग संस्थानों की शुल्क व्यवस्था को तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्रीमती मालविका देवी द्वाराओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भवानीपटना-कांटाबांजी एलजे-19 पर रेलवे ओवर-ब्रिज की आवश्यकता के बारे में।

5) श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के कारण विस्थापित हुए लोगों के रोज़गार से जुड़े मुद्दों के बारे में।

6) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा देश में चीनी माँझा की बिक्री और इसके उपयोग पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट के अंतर्गत एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी और प्लेटफॉर्म लायबिलिटी को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादित बाजरे के संवर्धन के लिए बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाथ से बुने कालीन बुनकरों को सब्सिडी वाली बिजली दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्री विद्युत बरन महतो द्वारा रेलगाड़ी संख्या 22823/22824 के आने/जाने का समय पुनर्निर्धारित किए जाने और टाटानगर से जयपुर और बेंगलुरु के बीच नई रेलगाड़ियां शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए दावों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) डॉ. शिवाजी बंडप्पा कालगे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले में एफ़एम रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा नागालैंड में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संकट के लिए व्यापक समाधान की आवश्यकता के बारे में।

15) श्रीमती संजना जाटव द्वारा राजस्थान के खेरली और भरतपुर रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश में गोमती नदी में जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3

17)श्री सनातन पांडेय द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आईटीआई को राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18)श्री आज़ाद कीर्ति झा द्वारा पश्चिम बंगाल को विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लंबित धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19)सुश्री महुआ मोइत्रा द्वारा पश्चिम बंगाल में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त-पोषण बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20)श्री मुरसोली एस. द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21)श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा आंध्र प्रदेश में कुरनूल से मंत्रालयम तक नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22)श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच प्रस्तावित बेलवानिया पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23)श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा महाराष्ट्र के शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में।

24)श्री अमरा राम द्वारा राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिलों में पेयजल की गंभीर कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25)श्री मोहम्मद हनीफ़ा द्वारा लद्दाख के कारगिल जिले में एक स्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.09 बजे

(लोक सभा रविवार, 1 फरवरी, 2026 के
पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

4

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 / 9 माघ, 1947 (शक)

संख्या 106

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 17 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 18 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का डिजिटल परिचालन सदस्य पोर्टल के माध्यम से किए जाने के संबंध में घोषणा की।

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26.

(2) आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 - सांख्यिकीय परिशिष्ट।

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखे।

5. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने अठारहवीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा 2 दिसम्बर, 2025 को सभा को पिछली बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात से राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयकों को सभा पटल पर रखा:-

1. मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025;
2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025;
3. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025; और
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025।

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखी:-

1. विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025;
2. निरसन और संशोधन विधेयक, 2025;
3. भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025; और
4. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025.

अपराह्न 12.05 बजे

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवदेन

श्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

7. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने 14 से16 जनवरी, 2026 तक आयोजित राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) के सफल समापन के बारे में घोषणा की।

अपराह्न 12.08 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

1) श्री धर्मबीर सिंह द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत नेचुरोपैथी को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखे।

2) श्री विष्णु दयाल राम द्वाराएकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत नियुक्त आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में संशोधन किए जाने और उनकी सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारादेश में कोचिंग संस्थानों की शुल्क व्यवस्था को तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्रीमती मालविका देवी द्वाराओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भवानीपटना-कांटाबांजी एलजे-19 पर रेलवे ओवर-ब्रिज की आवश्यकता के बारे में।

5) श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के कारण विस्थापित हुए लोगों के रोज़गार से जुड़े मुद्दों के बारे में।

6) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा देश में चीनी माँझा की बिक्री और इसके उपयोग पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट के अंतर्गत एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी और प्लेटफॉर्म लायबिलिटी को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादित बाजरे के संवर्धन के लिए बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाथ से बुने कालीन बुनकरों को सब्सिडी वाली बिजली दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्री विद्युत बरन महतो द्वारा रेलगाड़ी संख्या 22823/22824 के आने/जाने का समय पुनर्निर्धारित किए जाने और टाटानगर से जयपुर और बेंगलुरु के बीच नई रेलगाड़ियां शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए दावों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) डॉ. शिवाजी बंडप्पा कालगे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले में एफ़एम रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा नागालैंड में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संकट के लिए व्यापक समाधान की आवश्यकता के बारे में।

15) श्रीमती संजना जाटव द्वारा राजस्थान के खेरली और भरतपुर रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश में गोमती नदी में जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3

17)श्री सनातन पांडेय द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आईटीआई को राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18)श्री आज़ाद कीर्ति झा द्वारा पश्चिम बंगाल को विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लंबित धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19)सुश्री महुआ मोइत्रा द्वारा पश्चिम बंगाल में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त-पोषण बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20)श्री मुरसोली एस. द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21)श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा आंध्र प्रदेश में कुरनूल से मंत्रालयम तक नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22)श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच प्रस्तावित बेलवानिया पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23)श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा महाराष्ट्र के शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में।

24)श्री अमरा राम द्वारा राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिलों में पेयजल की गंभीर कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25)श्री मोहम्मद हनीफ़ा द्वारा लद्दाख के कारगिल जिले में एक स्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.09 बजे

(लोक सभा रविवार, 1 फरवरी, 2026 के
पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 2 फरवरी, 2026 / 13 माघ, 1947 (शक)

संख्या 108

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 31 (प्रश्न संख्या 28 प्रश्न संख्या 23 के साथ युग्मित) के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 32 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) ने वर्ष 2026-2027 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) वृन्दावन शोध संस्थान, मथुरा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृन्दावन शोध संस्थान, मथुरा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) समग्र शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) समग्र शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) समग्र शिक्षा (संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव), मोती दमन के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा (संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव) मोती दमन के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 52 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंककारी विनियमन (कंपनियाँ) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.890(अ) प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियाँ) संशोधन नियम, 2025 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.891(अ) प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.898(अ) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "फेस्ड ग्लास वूल इन रोल्स" के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 17 जून, 2026 तक, जिसमें यह तिथि भी शामिल है, बढ़ाये जाने के लिए दिनांक 18 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमाशुल्क(एडीडी) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.907(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.919(अ) जो दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन या आर-134ए" के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.920(अ) जो दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में वियतनाम में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.921(अ) जो दिनांक 25 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत या वहाँ से आयातित '2-एथिल हेक्सानॉल' के आयातों पर 26 जून, 2026 तक 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.925(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से आयातित '0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या उससे अधिक आंतरिक श्यानता वाले पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट रेजिन' के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 26 जून,

3

2026 तक 3 महीने की अवधि के लिए जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.932(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के अनुसार वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ एलॉय या नॉन एलॉय स्टील" के आयातों प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित दिनांक 12 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 32/2025-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है, ताकि देय सुरक्षोपाय शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क के समायोजन का प्रावधान किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.944(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस में उद्भूत या वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटलर्जिकल कोक" के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(नौ) सा.का.नि.5(अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में उद्भूत या वहाँ से आयातित '3000-4000 अणु भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल' के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 17 जून 2026 तक जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.14(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत या वहाँ से आयातित 'नॉर्मल ब्यूटानॉल या एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' के आयातों पर 12 जुलाई 2026 तक 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.931(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में "नॉन-एलॉय और एलॉय स्टील फ्लैट उत्पादों" के आयातों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्दिष्ट दरों पर सुरक्षोपाय शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 933(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की पांचवी किस्त को 1.1.2026 से प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.937(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे था तथा जिनका आशय स्विट्जरलैंड के लिए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की दूसरी किस्त को 1.1.2026 से प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4

(तीन) सा.का.नि.938(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे था तथा जिनका आशय नॉर्वे के लिए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की दूसरी किस्त को 1.1.2026 से प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि.939(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे था तथा जिनका आशय आइसलैंड के लिए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की दूसरी किस्त को 1.1.2026 से प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ.6102(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) का.आ.6137(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) का.आ.189(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) का.आ.224(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) का.आ.3762(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) का.आ.3959(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) का.आ.4080(अ) जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) का.आ.4169(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) का.आ.4459(अ) जो दिनांक 30 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी)

5

में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) का.आ.4609(अ) जो दिनांक 9 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 के अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) का.आ.4686(अ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) का.आ.4949(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) का.आ.5195(अ) जो दिनांक 14 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) का.आ.5477(अ) जो 28 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 के अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ.5751(अ) जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) का.आ.5798(अ) जो 15 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) दिनांक 19 सितंबर, 2025 का आदेश संख्या फा. सं. 463/01/2025-सीयूएस V (तदर्थ छूट आदेश संख्यांक 2025 का 02) जो भारत के माननीय राष्ट्रपति के लिए मौजूदा लिमोसिन कार के स्थान पर एक नई बख्तरबंद सेडान कार की खरीद पर तदर्थ छूट- सीडीई के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) दिनांक 7 नवंबर, 2025 का आदेश संख्या फा. सं. 463/02/2025- सीयूएस V (तदर्थ छूट आदेश संख्यांक 2025 का 03) जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के मरम्मत किए गए पुन: निर्यात पर सीमा शुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (दस से तेईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 951 (अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 के उपबंध लागू

होने की तारीख के रूप में दिनांक 1 फरवरी, 2026 को नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 952 (अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत चबाने वाले तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा को अधिसूचित वस्तुओं के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 953 (अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा के लिए पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2026 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 954(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या-01/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 955(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 03/2019-कैंद्रीय उत्पाद शुल्क का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 956 (अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर मशीन-आधारित लेवी के लिए शुल्क दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) कैंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 946(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 641(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 947(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 642(अ) में संशोधन करना है तथा जिसके द्वारा तंबाकू उत्पादों पर एकीकृत माल और सेवा कर की दरें निर्धारित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 948 (अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 1 फरवरी, 2026 से तंबाकू उत्पादों पर कैंद्रीय माल और सेवा कर की प्रभावी दरें निर्धारित करने संबंधी दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.945 (अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 1 फरवरी, 2026 से तंबाकू उत्पादों पर प्रतिकर उपकर की दरों को शून्य करने संबंधी दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.646(अ) में संशोधन

7

करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 14 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 18 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (तेईसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयकर (चौबीसवाँ संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 21 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 566 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आयकर (पच्चीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 1 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.598(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एकीकृत पेंशन प्रणाली का संचालन) विनियम, 2025 जो दिनांक 24 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएफआरडीए-16/07/0001/2025-सुप-सीजी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और आहरण) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.पीएफआरडीए -16/14/06/0009/2018-आरईजी-एक्ज़िट में प्रकाशित हुए थे।

(16) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. कैंका.विवि.एसओजी.सं.एस7046/09.08.024/2025-2026 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 928(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 5807(अ) जो दिनांक 16 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 831(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 10 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.889(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में- केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में- केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) का.आ. 4635(अ) जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा लौह अयस्क खनन में संलग्न उद्योग की सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए 14 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी छह माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(दो) का.आ. 4576(अ) जो दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और इसी प्रकार की गैसें) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए 9 नवम्बर, 2025 से प्रभावी छह माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3904(अ) जो दिनांक 26 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 993(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 28 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रमों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(चार) का.आ. 3751(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 815(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 17 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

9

(पांच) का.आ. 3687(अ) जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 821(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 16 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(छह) का.आ. 5172(अ) जो 13 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा यूरेनियम उद्योग में संलग्न उद्योग की सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 दिसम्बर, 2025 से प्रभावी छह माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(सात) का.आ. 3025(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या 518(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 30 जुलाई, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(आठ) का.आ. 3621(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.992(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(नौ) का.आ. 3688(अ) जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.856(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 19 अगस्त, 2025 से प्रभावी आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 29 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.877(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

10

(4) (एक) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) (एक) जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) (एक) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय खेल विकास कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खेल विकास कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली, एसएएस नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली, एसएएस नगर के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली, एसएएस नगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12

(8) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड और शिक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा, वडोदरा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा, वडोदरा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा, कोटा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा, कोटा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, कोयंबटूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, कोयंबटूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, कोयंबटूर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, सिक्किम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, सिक्किम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, ऊना, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, ऊना, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी एडसीआईएल विद्यांजलि फाउंडेशन के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी एडसिल विद्यांजलि फाउंडेशन का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

अपराहन 12.04 बजे

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

14

5. प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 29 जनवरी, 2026 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.05 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम की आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में संपीडित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना हेतु विशेष गोबर-धन पैकेज की घोषणा किए जाने के बारे में।
2) श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास तथा डाटा संरक्षण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिए जाने के बारे में ।
3) कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा गैर-जीवाश्म ऊर्जा की मांग को पूरा करने हेतु कर्नाटक में मैंगलोर अपतटीय पवन क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने के बारे में ।
4) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बिहार में सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा शोषण करने वाली ऋण प्रथाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा किए जाने के बारे में ।
5) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा बिहार में मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के बीच एनएच-27 की तकनीकी संपरीक्षा और पुनर्निर्माण के बारे में।
6) श्री राजकुमार चाहर द्वारा आगरा-तांतपुर कोर्ट के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में ।
7) डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा राजस्थान के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में ।
8) श्री अनन्त नायक द्वारा ओडिशा के केंदुझार जिले में वार्षिक बाढ़ की रोकथाम के लिए वैतरणी नदी पर बांध निर्माण के बारे में।
9) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार किए जाने के बारे में ।
10) श्री रोडमल नागर द्वारा इंदौर-मक्सी-रुठियाई-गुना-शिवपुरी-ग्वालियर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बारे में।
11) डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा कोट्टावलसा-किरंदुल रेलवे लाइन को विशाखापत्तनम रेलवे डिविजन के अंतर्गत बनाए रखे जाने के बारे में ।
12) श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में जौनपुर-मंडी सड़क को एनएचएआई को हस्तांतरित किए जाने के बारे में ।
13) श्री रकिबुल हुसैन द्वारा असम के लखीपुर-गोलपाड़ा क्षेत्र में खुर्मुजा थाना होते हुये कोडालकटी से मकरी राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क के पुनर्निर्माण में तेजी लाए जाने के बारे में ।

15

14) श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा अजमेर-टोंक-सवाई माधोपुर रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने के बारे में ।

15) श्री इमरान मसूद द्वारा रेलगाड़ियों में कार्यरत सफाई कर्मियों के संबंध में श्रम कानूनों के प्रावधानों को लागू किए जाने तथा उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने के बारे में ।

16) श्री मुरारी लाल मीना द्वारा राजस्थान के दौसा स्थित ट्रॉमा सेंटर में पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा इमेजिंग उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के बारे में ।

17) श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत कांच फैक्ट्री को पुनः प्रारंभ किए जाने के बारे में ।

18) श्री मोहिब्बुल्लाह द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना ढांचे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फॉरेंसिक सुविधाओं को सुदृढ़ किए जाने के बारे में।

19) प्रो. सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल में जूट मिलों के बंद होने तथा कच्चे जूट की जमाखोरी से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

20) श्री आज़ाद कीर्ति झा द्वारा निजी कंपनी के क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानांतरित की गई सभी सरकारी आधिकारिक संचार प्रणालियों का सुरक्षा ऑडिट किए जाने के बारे में ।

21) श्री थंगा तमिलसेल्वन द्वारा तमिलनाडु में एनएच-85 के उसिलमपट्टी-थेनी-बोदिनायक्कनूर खंड की बाईपास परियोजनाओं के निर्माण कार्य को एनएचएआई को सौंपे जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने के बारे में ।

22) श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा मॉडल होम गार्ड्स विधेयक, 1965 तथा सिविल डिफेंस अधिनियम/नियमों के संशोधन को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के बारे में ।

23) श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा जिले में कोसी नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में ।

24) श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा महाराष्ट्र के नासिक जिले में वाइन उत्पादन तथा ऑटोमोबाइल एवं ऑटो-कलपुर्जा विनिर्माण क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं का समाधान किए जाने के बारे में ।

25) श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा केरल के मलप्पुरम जिले में मंजेरी बाज़ार डाकघर तथा वक्केथोडी डाकघर के प्रस्तावित बंद किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने के बारे में ।

26) श्री मोहम्मद हनीफ़ा द्वारा लद्दाख के कारगिल जिले में आकाशवाणी कारगिल हेतु एक समर्पित डीडीओ की नियुक्ति किए जाने के बारे में ।

अपराह्न 12.05 बजे

7. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आवंटित समय: 18 घंटे
लिया गया समय: 2 घंटा 23 मिनट
शेष: 15 घंटा 37 मिनट

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए -

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी है।"

श्री तेजस्वी सूर्या ने प्रस्ताव का समर्थन किया और वे बोले।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की#:-

'धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शायी जाएगी जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही पेश किया गया माना जाएगा, जिनके संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं।

पेश किए गए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची इसके तत्काल पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं,तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारी के ध्यान में लाएं।"

एक सौ इकतालीस (1 से 10, 20 से 67, 78 से 84, 129 से 138,160 से 180, 187 से 196, 216 से 222 और 240 से 267) संशोधन पेश किए गए।

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

श्री राहुल गांधी ने वाद-विवाद में भाग लिया (भाषण पूरा नहीं हुआ)।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.09 *बजे स्थगित हुई*
और अपराह्न 3.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.09 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.10 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 3 फरवरी, 2026 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

17

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 3 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक)

संख्या 109

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख** *

अध्यक्ष ने छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री सुरूप सिंह हिर्या नाइक के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

3

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.90(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1971 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.91(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.6028(अ) जो दिनांक 26 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ.79 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारत रुरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत रुरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और दिव्याङ्गजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इम्फाल गार्डियन सोसाइटी, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इम्फाल गार्डियन सोसाइटी, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) परिवर्तन स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इंपेयर्ड (परिवर्तन इंटीग्रेटेड रुरल वेलफेयर सोसाइटी),एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिवर्तन स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इंपेयर्ड (परिवर्तन इंटीग्रेटेड रुरल वेलफेयर सोसाइटी), एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) वृन्दावन शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृन्दावन शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड, बिष्णुपुर, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड, बिष्णुपुर, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5

(10) (एक) जॉनसन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उन्नाव के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जॉनसन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उन्नाव के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) दृष्टिबाधित आवासीय विद्यालय, गढ़वाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दृष्टिबाधित आवासीय विद्यालय, गढ़वाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, दानकग्रे, वेस्ट गारो हिल्स, तुरा, मेघालय के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, दानकग्रे, वेस्ट गारो हिल्स, तुरा, मेघालय के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) शांतिनिलयम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिनिलयम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6

भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पीडीईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पीडीईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टीईएक्सपीआरओसीआईएल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

7

(दो) भारतीय सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टीईएक्सपीआरओसीआईएल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, सूरत के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, सूरत के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयंबटूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयंबटूर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(15) केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण):

(एक) का.आ.6140(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्रीमती गुहा पूनम तपस कुमार, आईएएस, आयुक्त-सह-सचिव, हथकरघा, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विभाग, ओडिशा सरकार को केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) का.आ.169(अ) जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री नारायणसा के. भांडगे, राज्य सभा सदस्य को केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अन्य उपबंधों के अध्यधीन 18 दिसम्बर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या राज्य सभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(तीन) का.आ.350(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो सदस्यों को केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(16) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.6138(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 22 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना सं. का.आ.1830(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

9

5. **समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

(एक) डॉ. संजय जायसवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(दो) श्रीमती अपराजिता सारंगी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्रीमती अपराजिता सारंगी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री शंकर लालवानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

10

(पांच) श्री शंकर लालवानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(छह) डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(सात) डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

6. **प्रस्ताव**

श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 2 फरवरी, 2026 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न12.13 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

7. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम की आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. श्री के. सुधाकर द्वारा कर्नाटक और देश के अन्य भागों में नशे की लत के मामलों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री मनीष जायसवाल द्वारा झारखंड के हज़ारीबाग और रामगढ़ ज़िलों में रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री प्रवीण पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में श्रृंगवेरपुर धाम को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. डॉ. डी. पुरंदेश्वरी द्वारा आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक विशेष पैकेज स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री शशांक मणि द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया में रक्षा क्षेत्र से संबंधित विनिर्माण इकाइयों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों की समुचित सुरक्षा के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री राव राजेन्द्र सिंह द्वारा कार्बन क्रेडिट के ज़रिए किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और टिकाऊ खेती के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-89 (अजमेर से नागौर वाया मेड़ता) को चार लेन वाली सड़क के तौर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री बलभद्र माझी द्वारा देश में सड़क परियोजनाओं के निर्माण/ चौड़ाईकरण के दौरान पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री पी पी चौधरी द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय डाटा केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री आनन्द कुमार द्वारा भारतीय फुटवियर इंडस्ट्री में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा डिज़ाइन किए गए "बीएचए" फुटवियर साइज़िंग सिस्टम को अपनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा देश के विभिन्न भागों में ईसाई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दिखाई जा रही कथित धार्मिक असहिष्णुता की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे

12

में।

14. श्री सतपाल ब्रह्मचारी द्वारा हरियाणा के सोनीपत रेलवे जंक्शन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
15. श्री उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।
16. श्री गोवाल कागडा पाडवी द्वारा वर्ष 2026 में प्रस्तावित निर्धारण कार्य की स्थिति तथा उसमें महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के संभावित क्रियान्वयन के बारे में।
17. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा राजस्थान के झुंझुनूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-311 के अंतर्गत सिंघाना-टीटनवाड सड़क के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री रामाशंकर विद्यार्थी राजभर द्वारा समूह 'ख' एवं 'ग' पदों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री नीरज मौर्य द्वारा गायों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा अनिवार्य जूट पैकेजिंग कानूनों के अंतर्गत अनुमतियों के अनुपालन तथा पश्चिम बंगाल एवं देश के अन्य भागों में जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के अंतर्गत खरीद को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री सेल्वागणपति टी.एम. द्वारा तमिलनाडु के सलेम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जागिर रेड्डिपट्टी के निकट सलेम-ओमालूर रेल लाइन पर एक सब-वे के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल के लिए निविदा प्रक्रिया और निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए चिकित्सा बीमा और सुविधाओं में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. सुश्री शांभवी द्वारा बिहार के समस्तीपुर जिले में एनएच-322 पर चार लेन के आरओबी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री सुधाकर सिंह द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत बिहार के कैमूर जिले में सड़कों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री अमरा राम द्वारा राजस्थान में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस राजमार्ग विकसित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के अवसर पर हुयी अनादर की घटना के बारे में।
28. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड में दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13

अपराहन 2.01 बजे

8. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आवंटित समय: 18 घंटे

लिया गया समय: 2 घंटा 36 मिनट

शेष: 15 घंटा 24 मिनट

श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 2 फरवरी, 2026 को पेश किए गए और श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा समर्थन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए -

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी है।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री राहुल गांधी (भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी (भाषण पूरा नहीं हुआ)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 2.14 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराहन 3.01 बजे

9. सदस्यों का नियम 374 के अधीन सभा की सेवा से निलंबन

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित सदस्यों का अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और हठपूर्वक तथा जानबूझकर सभा के कार्य में बाधा डालने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 374 के अधीन नाम लिया है:-

1. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
2. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग
3. श्री गुरजीत सिंह औजला
4. श्री हैबी ईडन
5. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले

14

6. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

7. श्री एस. वेंकटेशन

8. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी

तत्पश्चात, संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग,श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री हैबी ईडन,डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री एस. वेंकटेशन और श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा सभा में महासचिव के पटल और सभा में आसन के निकट अन्य अधिकारियों तक आने और अध्यक्षपीठ पर कागज फेंकने तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर उपेक्षा किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374 (2) के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र के अवशिष्ट काल तक के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.03 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 4 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार- भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 4 फरवरी, 2026 / 15 माघ, 1947 (शक)

संख्या 110

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 62-80 के उत्तर (प्रश्न संख्या 70, जिसे 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उस सदस्य, जिसके नाम पर प्रश्न था, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) उस दिन की कार्यसूची में शामिल किए गए, इसलिए, उन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर, अतारांकित प्रश्न के उत्तरों के साथ, उस दिन के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691-920 के उत्तर (प्रश्न संख्या 739, 767, 798, 833, 848 और 862 जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) उस दिन के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखे:-

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) ईएसएसओ-एनसीसीओआर-राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईएसएसओ-एनसीसीओआर-राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखे:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत आधार (अधिप्रमाणन और ऑफ़लाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2025, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचक्यू-30011/5/2025-एयू-एचओ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) डाकघर अधिनियम, 2023 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) डाकघर (छठा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 6099(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 6154 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 12 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरजी-25/(25)/2023-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल.वर्मा) ने निम्नलिखित

पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ. 5446 (अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्राइवेट इकाइयों को कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए पूर्वेक्षण संक्रियाओं को करने के लिए अधिसूचना के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट भारतीय गुणवत्ता परिषद- राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित, अधिसूचित प्रत्यायित पूर्वेक्षण अभिकरणों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(2) कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.917(अ) में प्रकाशित हुए थे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रेलवे में मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2025 जो दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 852(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकट रद्दीकरण और किराए का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2026, जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) (एक) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री जय प्रकाश ने लोक लेखा समिति (2025-2026) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'भारतीय रेल में रेलगाड़ी परिचालन में समय की पाबंदी और यात्रा समय' विषय के बारे में लोक लेखा समिति (2025-2026) का छत्तीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'ओवरसीज सिटीज़नशिप ऑफ़ इंडिया कार्ड स्कीम के लिए फीस तय करने में गलत विनिमय दर लागू करने के कारण फीस का कम संग्रहण तथा वाशिंगटन और पेरिस स्थित भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना में अनियमितताएं' विषय के बारे में लोक लेखा समिति (2025-2026) का सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(3) 'कृषि फसल बीमा योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा' के बारे में लोक लेखा समिति के अठहत्तरवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.03 बजे

5. मंत्री द्वारा स्वमेव वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) ने ‘भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता’ के बारे में वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.16 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम की आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा देश में टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने के लिए ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) लाए

जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सीएसडी कैंटीन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा के बरगढ़ में घेस आंदोलन के एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी शहीद माधो सिंह के सम्मान में एक स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति संस्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैहर रेलवे क्रॉसिंग (जेजे-37) पर एक रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के कटक में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पासपोर्ट पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) के पात्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा ओडिशा के ढेंकनाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुड़िया कटेनी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 पर एक पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

8. श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में रामायण सर्किट के तहत सतना से चित्रकूट रास्ते को रामपथ गमन मार्ग के तौर पर विकसित किए जाने के बारे में।

9. श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में समपार संख्या 104 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाने तथा रेलवे से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में।

10. श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के

अकोला-नागपुर और अकोला-खामगांव हिस्सों को छहलेन मार्ग के रूप में उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री दिलीप शइकीया द्वारा असम में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ और उन्हें उनके देश में वापस भेजने के बारे में।

12. श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में सीएसडी/ईएसएम कैंटीन का एक एक्सटेंशन काउंटर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री अतुल गर्ग द्वारा सरकार की नीतियों के विरुद्ध निर्णय संबंधी अदालती मामलों की अनिवार्य जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री शफी परम्बिल द्वारा देश में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के मरीज़ों और दूसरे दिव्यांगजनों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता के साथ पर्याप्त संख्या में पुनर्वास केन्द्रों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा राजस्थान में आधार अपडेट सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा नागालैंड दूरदर्शन केंद्र तथा ऑल इंडिया रेडियो, कोहिमा के लिए हिंदी भाषा प्रवीणता परीक्षा में छूट के साथ विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा आयुष्मान भारत योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत ओपीडी सेवाओं और निदान को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री एम. के. राघवन द्वारा केरल में एनएच-66 कोझिकोड बाईपास पर टोल वसूली शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री सनातन पांडेय द्वारा मोंथा चक्रवात से प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा उत्तर प्रदेश में गन्ने के एमएसपी में वृद्धि करने

तथा उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री यूसुफ पठान द्वारा कोलकाता और सऊदी अरब के जेद्दाह के बीच सीधी विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. सुश्री जून मालिया द्वारा पश्चिम बंगाल में शोलापीठ शिल्प को भौगोलिक पहचान (जीआई) टैग प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री मुरसोली एस. द्वारा तमिलनाडु में रेलवे से संबंधित मुद्दों के बारे में।

24. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा सोशल मीडिया से नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री रामप्रीत मंडल द्वारा बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोसी नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

26. श्री राजा राम सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।

27. श्री राजकुमार सांगवान द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत महिला शिक्षकों के स्थानांतरण/तैनाती में उनके पति के कार्यस्थल के निकट प्राथमिकता देने की नीति लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम बंदरगाह में अवसंरचना उन्नयन तथा कार्गो, यात्री और क्रूज जहाज सेवाओं को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

7. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आवंटित समय: 18 घंटे
लिया गया समय: 2 घंटा 44 मिनट
शेष: 15 घंटा 16 मिनट

श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 2 फरवरी, 2026 को पेश किए गए और श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा समर्थन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए -

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी है।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी (भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री निशिकान्त दुबे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 5.00 बजे

3. श्री पी. पी. चौधरी (भाषण पूरा नहीं हुआ)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 5.01 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 5 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 5 फरवरी, 2026 / 16 माघ, 1947 (शक)

संख्या 111

पूर्वाहन 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.01 बजे स्थगित हुई और अपराहन 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर नहीं दिए जा सके। इसलिए, उस दिन की कार्यसूची में शामिल किए गए तारांकित प्रश्न संख्या 81-100 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 921-1150 (प्रश्न संख्या 922, 1013, 1047, 1066 और 1090 जिन्हें 'लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) के उत्तरों के साथ उस दिन के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याहन 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2026-2027 के अनुदानों की विस्तृत मांगे।

(दो) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 56 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 926(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दो नियम (क) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि) नियम, 2016 और (ख) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि) नियम, 2017 निरस्त किए गए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखापरीक्षकों, ऊर्जा लेखापरीक्षकों (भवन) और ऊर्जा प्रबंधकों का प्रमाणन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 08/05/ईए/ईई(एस)/08-बीईई(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 1 दिसम्बर, 2025 की समसंख्यक अधिसूचना में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में)।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग और अनुपालन) विनियम, 2026 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5506/बीईई/एसएंडएल/एएल/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(4) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5970(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ.2902(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.5665(अ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इंडक्शन हॉब्स के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

(तीन) का.आ.6044(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इंडक्शन हॉब्स के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

(चार) का.आ.5967(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण ट्रांसफार्मर के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

(पांच) का.आ.5968(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत चिलर्स के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

(छह) का.आ.5969(अ) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सांविधिक आदेश, 2025 में मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत चिलर्स के लिए स्टार लेवल योजना के बारे में है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.180(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 3706(अ) और दिनांक 19 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2819(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'कच्चे तेल की आयात नीति की समीक्षा' पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2024-25) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

अपराहन 12.03 बजे

4. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आवंटित समय: 18 घंटे

लिया गया समय: 2 घंटा 46 मिनट

श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 2 फरवरी, 2026 को पेश किए गए और श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा समर्थन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए -

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्तुत किए गए सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.05 *बजे स्थगित हुई और*

अपराहन 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम की आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1) श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत खरियार के सिनापाली ब्लॉक में उदंती नदी पर बैराज या चेक डैम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्री जुगल किशोर द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान छाम्ब सेक्टर से पलायन करने वाले परिवारों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।

3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर स्थित कपिलवस्तु संग्रहालय में पवित्र पिपरावाह अवशेषों की स्थायी या नियमित प्रदर्शनी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5) डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में गोड्डा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और उससे सटे देवघर-दुमका-भागलपुर क्षेत्र में विभिन्न सड़क और रेल संपर्क परियोजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात में भरूच और अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और विस्तार किए जाने के बारे में ।

8) श्री पी. सी. मोहन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत कर्नाटक के बेंगलुरु में आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन -क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एम्स जैसे मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा देश में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रोटोकॉल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीकृत विनियामक और पर्यवेक्षी तंत्र की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलभराव वाले क्षेत्रों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) कुमारी सुधा आर. द्वारा तमिलनाडु में मयिलादुथुराई के तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षात्मक संरचना का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा शैक्षिक उद्देश्य से रूस की यात्रा करने वाले लापता भारतीय छात्रों की सुरक्षित और सुचारू वापसी के लिए रूसी सरकार पर दबाव बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

15) श्री मुहम्मद हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।

17) श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे संबंधी मुद्दों के बारे में।

18) श्री कालिपद सरेन खेरवाल द्वारा देश में बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

19) श्री के. ई. प्रकाश द्वारा मनरेगा का नाम परिवर्तित किए जाने और उसमें किये गए अन्य संशोधनों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा मध्य प्रदेश के शिरडी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में आगामी महाकुंभ, 2027 के दौरान विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर द्वारा नमामि गंगे जैसी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के मुंबई स्थित चार नदियों में पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22) डॉ. राज कुमार चब्बेवाल द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजाब को 2500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

6. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि प्रतिपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने अमर्यादित और असंसदीय व्यवहार का प्रदर्शन किया है और उन्होने सदस्यों से सदन में मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की ।

अपराह्न 3.04 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026 / 17 माघ, 1947 (शक)

संख्या 112

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 102-120 के उत्तर (प्रश्न संख्या 114, जिसे 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उस सदस्य, जिसके नाम पर प्रश्न था, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) उस दिन की कार्यसूची में शामिल किए गए, इसलिए, उन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर, अतारांकित प्रश्न के उत्तरों के साथ, उस दिन के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151-1380 के उत्तर (प्रश्न संख्या 1171, 1195, 1200, 1238 और 1268 जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) उस दिन के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2026-2027 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा राज्य विधिक सहायता कोष के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नोटेरी (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 763(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.5456(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, विशेषज्ञों की नियुक्ति को उक्त अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान, मैसूरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान, मैसूरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2024-2025 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन

पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2024-

2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग) (एक) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज, लिमिटेड (एचआईटीईएस), नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (एचआईटीईएस), नोएडा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.821(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई (1) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) पहला संशोधन विनियम,

2025 जो दिनांक 12 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसएस-टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

(दो) भारतीय भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(10) निम्नलिखित केंद्रों के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा), वडोदरा।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र),

चंडीगढ़।

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान), धारवाड़।

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय), पटना।

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान), पुणे।

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सामान्य एवं अनुप्रयुक्त भूगोल विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय), सागर।

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), शिमला।

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ।

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर।

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर।

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम।

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी।

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापत्तनम।

(पन्द्रह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान), गांधीग्राम, डिंडीगुल ।

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आर्थिक विकास संस्थान), दिल्ली।

(सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान), बेंगलुरु।

(अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले अठारह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 21 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.6119(अ), जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 के अंतर्गत भारत के नागरिक न होने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने की शक्ति, म्यांमार संघ गणराज्य में निवास करने वाले तथा म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार द्वारा जारी विदेशी पंजीकरण प्रमाणन धारण करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों

के संबंध में, भारतीय दूतावास, यांगून द्वारा इस शर्त के अध्यधीन प्रयोग की जा सकेगी कि ऐसे मामलों में पासपोर्ट उक्त दूतावास द्वारा एक बार में पाँच वर्षों की अवधि के लिए ही प्रदान किए जाएंगे तथा केवल म्यांमार संघ गणराज्य को पृष्ठांकित किए जाएंगे; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2026-2027 के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रक्षा मंत्रालय के वर्ष 2026-2027 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) रक्षा सेवाओं के वर्ष 2026-2027 के प्राक्कलन।

(2) (एक) सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों 2025-26' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 365वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का कार्यान्वयन' के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 149वें और 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम की आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. सुश्री कंगना रनौत द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में

अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक विमान पत्तन विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा कर भुगतान समय-सीमा का पालन न करने पर बीएच सीरीज़ की गाड़ियों पर लगने वाली शास्ति को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री रमेश अवस्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के दक्षिणी हिस्से में एक नया पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएफएमई स्कीम, मेगा फूड पार्क, एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर, कोल्ड चेन सब्सिडी स्कीम और एपीईडीए की योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंज़ूरी दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. डॉ. रवीन्द्र नारायण बेहेरा द्वारा ओडिशा के जाजपुर जिले में कलिंग नगर, व्यासनगर, जाजपुर रोड और पानीकोइली को एक साथ एक नियोजित शहर के तौर पर विकसित किये जाने के लिए व्यापक और समेकित योजना की आवश्यकता के बारे में।

6. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 100 बेड वाला ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा के बलांगीर में लंबित खनिज ब्लॉक्स की नीलामी और प्रचालन में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्रीमती कमलजीत सहरावत द्वारा देश में वास्तविक भिखारियों का पता लगाए जाने हेतु सर्वेक्षण करने और उनकी समस्याओं का समाधान किए जाने के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री नवीन जिंदल द्वारा भेषज क्षेत्र में मिलावट को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री अरुण गोविल द्वारा मेरठ-प्रयागराज एक्सप्रेसवे के किनारे एक आईटी हब विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा त्रिपुरा पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में तेज़ी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के चतरा जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार के सीमांचल इलाके में जलालगढ़-किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना के लिये नया डीपीआर जारी करने और उसको पूरा करने में तेज़ी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा में खाने की विभिन्न पारंपरिक और मशहूर वस्तुओं को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्रीमती संजना जाटव द्वारा राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वैर विधानसभा क्षेत्र में बागवानी पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के पलक्कड़ डिवीजन के तहत लक्किडी रेलवे स्टेशन के निकट स्थित समपार पर एक रेल ओवर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्रीमती रुचि वीरा द्वारा उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के आस-पास के इलाके में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए इस नदी के किनारे तटबंध बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया द्वारा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रस्तावित क्रीड़ा केंद्र को स्थापित किये जाने के कार्य में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा पूरे देश में मनाए जाने वाले पोंगल त्योहार के दिन 15 जनवरी को राजपत्रित अवकाश घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश के अमलापुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक समर्पित ट्रॉमा केयर सुविधा केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिलों में स्थित जिला अस्पतालों को रेफरल सेंटर के रूप में विकसित करने और पूर्णिया में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 9 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 9 फरवरी, 2026 /20 माघ, 1947 (शक)

संख्या 113

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. [1]अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को दिनांक 6.02.2026 को जिम्बाब्वे के हरारे में हुए फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2026 जीतने पर बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 122-140 के उत्तर आज की कार्यसूची में शामिल किए गए, इसलिए,उन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर, अतारांकित प्रश्न के उत्तरों के साथ, आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

3. अतारांकित प्रश्न

---

[1] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381-1610 के उत्तर (प्रश्न संख्या 1559, 1582 और 1608 जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड.

की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) संरक्षित स्मारक "सौम्यनाथ मंदिर, नंदलूर (अब नंदलूर मंडल), राजमपेट, जिला - कडप्पा (अब अन्नामय्या), आंध्र प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

(दो) संरक्षित स्मारक "कैलासनाथस्वामी मंदिर, सलाबोगम, पोरामबोके, क्रम सं. 18-बी, जिला-कांचीपुरम (कांचीपुरम), तमिलनाडु" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

(तीन) संरक्षित स्मारक "शेख कबीरुद्दीन का मकबरा जिसे रकाबवाला गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। फील्ड नंबर 84 मिनट में, टोकस शाहपुर और अधचीनी, मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली के सराय शाहजी संपत्ति में स्थित है" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

(चार) संरक्षित स्मारक "करेंसी बिल्डिंग, दहौजी स्क्वायर, जिला-कोलकाता, पश्चिम बंगाल" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

(पांच) संरक्षित स्मारक "मेटकाफ हॉल, स्ट्रैंड रोड, जिला-कोलकाता, पश्चिम बंगाल" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

(छह) संरक्षित स्मारक "वैकुंठ पेरुमल मंदिर, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 878/286 में शामिल आसन्न भूमि उत्तिरामेरुर, जिला-कांचीपुरम, तमिलनाडु के हिस्से में सहित" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

(सात) संरक्षित स्मारक "शाहजहां बावली, क्षेत्र संख्या 4834, क्षेत्रफल-1 बीघा जमीन, तहसील-गोहाना, जिला-रोहतक, महम, हरियाणा" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025।

(आठ) संरक्षित स्मारक "रेजीडेंसी बिल्डिंग और जनरल वाली कोठी, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025।

(नौ) संरक्षित स्मारक "पुराना किला, लांजी, जिला - बालाघाट, मध्य प्रदेश" के

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 565 (अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय महाराष्ट्र के मुंबई (शहर), मुंबई (उप-नगरीय), थाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में पंजीकृत करदाताओं के लिए माह जुलाई, 2025 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 27 अगस्त, 2025 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 672 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 4204 जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत धारा 54 (6) के तहत उन व्यक्तियों, जिन्हें

अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, की श्रेणी को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 4205 जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 2 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 4206 (अ) जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 121 के खंड (दो), (तीन), धारा 122 से धारा 124 और धारा 126 से 134 के उपबंधों को लागू करने के लिए 1 अक्टूबर, 2025 की तिथि नियत की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 765 (अ) जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 805(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 949 (अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर मूल्यांकन के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 (5) के अंतर्गत आपूर्ति को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 950(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) के मद संख्या (एक) से (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.बीसीसी:एचआरएम:118:09 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 9 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ:ईआरडी:पीडी:110:2026 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 9 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओडीएआर/1/2025-26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब एंड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/एचओ/एचआरडी/डीएसी/2025-26/01 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनबी/एचआरडी/डीएसी/डीएंडए/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआर-आईआर/184/01/2026(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरएल/524/2025-2026 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सीओ/एचसीएम/डीएडी/2025-26/566(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.एचआरएंडपीआरडब्ल्यू आईआरवी आईआरएंडपीएस पीपी 18 2026(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/एसटी/डीएम/01/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 20 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा.सं.एचओ:एचआर:आईएल:25-26:982(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (भारत सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.897(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हीरक जयंती समारोह (साठ वर्ष) के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2026 जो दिनांक 16 जनवरी , 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.40(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 1 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/279 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 1 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/280 प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/254 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सेबी /एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/284 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सेबी /एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/285 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 2026 जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/291 में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) के मद संख्या (चार) से (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (समूह 'ग' कर्मचारियों की भर्ती, वेतन एवं सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 24 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.918(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.91(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 03/2025-कैंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 31 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.85(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एनसीसीडी की प्रभावी दरें निर्धारित करने की मांग करना है।

(चार) सा.का.नि. 86(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय (i) मिश्रित सीएनजी में निहित बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस की मात्रा को, उस पर भुगतान किए गए उचित जीएसटी सहित, ऐसी मिश्रित सीएनजी पर कैंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना के उद्देश्य से ऐसी मिश्रित सीएनजी के मूल्य से छूट देने और (ii) अमिश्रित डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त शुल्क के कार्यान्वयन को 31 मार्च, 2028 तक स्थगित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन में ।

(पांच) सा.का.नि.87(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय दिनांक 1 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 5/2023-कैंद्रीय उत्पाद शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 82 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, उसमें उल्लिखित, सात अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 83(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 84(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क और दिनांक 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क में और संशोधन करना तथा कतिपय वस्तुओं पर लागू सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) और कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर (एआईडीसी) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्राबैक (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.32(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 33(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 24/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.34 (अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 25/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियम, 2026 जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. फेमा 8(आर)/2026-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियम, 2026 जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 23 (आर)/2026-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 6(आर)/(4)/2025- आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा/396(4)/2025-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(11) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन[2] के पृष्ठ संख्या 174 और 175 में सुधार की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.5320(अ) जो 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 नवम्बर, 2025 को उक्त संहिता के लागू होने की तिथि निर्धारित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 103 के अंतर्गत औद्योगिक संबंध संहिता

[2] वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 15 दिसम्बर, 2025 को सभा पटल पर रखे गए

(कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2025 जो दिनांक 8 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.5683(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सा.का.नि. 5792(अ) जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सीसा और जस्ता खनन उद्योग में कार्यरत सेवाओं को 17 दिसंबर, 2025 से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 5795(अ) जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा परमाणु ईंधन और घटकों, भारी जल और संबद्ध रसायनों और परमाणु ऊर्जा के विनिर्माण या उत्पादन में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए 28 दिसंबर, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 5794(अ) जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा बैंकिंग उद्योग में कार्यरत सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए 15 दिसंबर, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(4) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2026-2027 के लिए वित्तीय अनुमान और निष्पादन बजट (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम, 2026, जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.35(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025, जो दिनांक 29 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3973(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5642(अ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 2.0 किलोमीटर तक के क्षेत्र को लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.5701(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.84(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास के क्षेत्र को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.109(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजौली (नवादा) वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 0.0 किलोमीटर से 4.965 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राजौली (नवादा) वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 119(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लिप्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 238(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास शून्य से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(5) ग्रीन क्रेडिट नियमावली, 2023 के नियम (5) के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.592(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वृक्षारोपण गतिविधि के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए, उसमें उल्लिखित, कार्यप्रणाली को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 32 की उपधारा (5) के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2023, जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.4-1/2023-सीयू.II में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वर्ष 2026-2027 के अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 943(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से हटाना) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 940(अ) में प्रकाशित हुए थे।

अपराह्न 12.03 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1) श्री अनन्त नायक द्वारा ओडिशा के क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित बांसपानी-बारबिल रेल लाइन परियोजना को अनुमोदन देने और कार्य में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्री गणेश सिंह द्वारा मनरेगा की तर्ज पर शहरी इलाकों के लिए एक रोज़गार योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) श्री जशुभाई भीलुभाई राठवा द्वारा गुजरात के छोटा उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद डोलोमाइट खदानों में उत्खनन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री आशीष दुबे द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'ऊर्जा आत्मनिर्भर' गांव विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5) डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा मृतक मज़दूरों के पार्थिव शरीर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनके गृह राज्य वापस लाये जाने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत-गारंटी के अंतर्गत 'सैनिटेशन चैंपियन' के पदों का सृजन किए

जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री प्रताप चंद्र षड़ङ्गी द्वारा ओडिशा के बालासोर में एम्स सैटेलाइट सेंटर को शीघ्र प्रचालित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा क्षयरोग (टीबी) के मरीज़ों की समस्याओं को दूर करने और देश से क्षयरोग का पूरी तरह उन्मूलन किए जाने के अभियान को फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव को नगरीय आर्थिक क्षेत्र में शामिल किए जाने और शहर में स्पंज सिटी पायलट परियोजना लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट में सोनेवानी क्षेत्र को कंज़र्वेशन रिज़र्व घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, बच्चों के खाद्य पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा पर कड़ी नज़र रखने और मिलाई गई चीज़ों के बारे में अनिवार्य लेबलिंग और सचित्र चेतावनी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा केरल में एर्नाकुलम-अंबालाप्पुझा रेल कॉरिडोर के दोहरीकरण और अन्य रेल परियोजनाओं के कार्य को तेज़ी से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) श्री मनोज कुमार द्वारा बिहार में माइक्रो-फाइनेंस कंपनियों द्वारा उच्च ब्याज दर पर ऋण देने की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा ईएसआईसी की वेतन कवरेज सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने और राज्य के नियंत्रण वाले ईएसआईसी औषधालयों को सीधे ईएसआईसी प्रबंधन के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15) डॉ. मल्लू रवि द्वारा देश में बेरोज़गारी से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए श्रम-प्रधान उद्योगों और एमएसएमई को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा कलाडी-मलयाट्टूर-अथिराप्पिल्ली-कोडुंगलूर-अझीकोडे-

मुज़िरिस-थिरुमूझिकुलम एकीकृत पर्यटन सर्किट को प्रसाद/स्वदेश दर्शन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17) श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बारे में।

18) श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल द्वारा बी.एड., बी.पी.एड और बी.टी.सी. डिग्री धारकों के लिए रोजगार के अवसरों के बारे में।

19) श्री आज़ाद कीर्ति झा द्वारा समावेशी विकास और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महिला-केंद्रित योजनाओं को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) डॉ. शर्मिला सरकार द्वारा देश में युवाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा देश में कोचिंग संस्थान चलाने के लिए मानक संचालन प्रकिया जारी किए जाने और अत्यधिक फीस लेने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22) श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक एंड डांस की अवसंरचना का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी द्वारा देश में आयात होने वाले बंगालग्राम (चना) पर आयात शुल्क पुन: लगाने और सामाजिक कल्याण उपकर लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25) श्री अमरा राम द्वारा राजस्थान को पोंग बांध से उसके हिस्से का पानी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26) श्री मोहम्मद हनीफ़ा द्वारा लद्दाख प्रशासन द्वारा लेह और लद्दाख के लिए

अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई पेयजल आपूर्ति परियोजना को अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

(लगातार व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे स्थगित हुई और मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 /21 माघ, 1947 (शक)

संख्या 114

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 142 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) एनईआईए (राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता) ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) एनईआईए (राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता) ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) आयुष मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) आयुष मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 41 के अंतर्गत बायलर परिचर (संशोधन) नियम, 2026, जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.09(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) फुटवियर डिज़ाइन और विकास अधिनियम, 2017 की धारा 28 के अंतर्गत फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 जो दिनांक 18 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एफडीडीआई/जीसी/83/2024 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.165(अ) जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 सितंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4092(अ) को निरस्त किया गया।

(दो) खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.219(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(iii) इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.187(अ) में प्रकाशित हुआ थ ।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) सहकारिता मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(2) सहकारिता मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत

मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.5836(अ) जो दिनांक 17 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के विनिर्माताओं को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अपने उत्पाद अर्थात् किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद थोक में सीधे किसानों को बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तेरहवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 17 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.5837(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ.5838(अ) जो दिनांक 17 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा, इसमें उल्लिखित, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 38 के उप-खंड (1) के अंतर्गत 15 सदस्यों वाली केंद्रीय उर्वरक समिति का गठन किया गया है।

(चार) का.आ.5574(अ) जो दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, इसमें उल्लिखित, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित किए जाने वाले फॉस्फो जिप्सम के संबंध में विनिर्देशों को अधिसूचित करना है।

(पांच) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) बारहवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.5575(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) का.आ. 390(अ) जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 3 के अंतर्गत सल्फर लेपित यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया गया है।

(5) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2026, जो दिनांक 20 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 271(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) गृह मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड एक)।

(दो) गृह मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें [(खंड दो) (क)] (संघ राज्यक्षेत्र) ।

(तीन) गृह मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें [(खंड दो) (ख)] (संघ राज्यक्षेत्र)।

(चार) गृह मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार (भेषजज्ञ), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 29 नवंबर, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 184 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. सोमन्ना) ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 64 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (विदेशी पशु चिकित्सा स्नातक पंजीकरण) नियम, 2025) जो दिनांक 26 दिसंबर, 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 922 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे):-

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलीम्को), कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलीम्को), कानपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुतकिए**:-**

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2025-26)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2025-26)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'खाद्य ग्रेड प्लास्टिक की समझौतापूर्ण/घटिया गुणवत्ता के उपयोग और भारतीय जलवायु परिस्थितियों के संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

5. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अन्तिम कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन' के बारे में पचासवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगे 2024-25' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगे 2024-25' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगे 2024-25' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने 'निर्यात को अधिकतम और आयात को न्यूनतम करने हेतु प्रमुख उत्पादों और देशों की मैपिंग के लिए व्यापक रणनीति' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1) श्री प्रवीण पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय और एक कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा के बरगढ़ स्थित कैंसर अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए जाने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) डॉ. हेमंत विष्णु सवरा द्वारा महाराष्ट्र के पालघर-वसई औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में हुई क्लोरीन गैस रिसाव की घटना के मद्देनजर सार्वजनिक सुरक्षा चेतावनी और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री मुकेश राजपूत द्वारा राष्ट्रीय आलू विकास बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5) श्री मनोज तिवारी द्वारा यमुना रिवर फ्रंट पर एक पार्क विकसित किए जाने और क्षेत्र को आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में 205 शैय्या वाले एफसीआई अस्पताल को पुनः खोलने के लिए निधियां संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय या पीएम श्री विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा 'बैंक मित्र' (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत किए जाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्री परिमल शुक्लबैद्य द्वारा असम के सिलचर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री धर्मबीर सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के कथित दुरुपयोग के बारे में।

11) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (बीआईईटी), झांसी को केंद्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय या आईआईटी या एनआईटी के रूप में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री किशोरी लाल द्वारा उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) श्री मनीश तिवारी द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 योजना के तहत पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों में वृद्धि हेतु शीघ्र संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा देश में पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15) श्री जी. कुमार नायक द्वारा कृषि अनुसंधान और विकास के लिए आवंटन और खर्च बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गंगापुर शहर में एक इलेक्ट्रिक लोको शेड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17) श्री नारायणदास अहिरवार द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे संबंधी मुद्दों के बारे में।

18) श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला को पर्यावरणीय क्षरण से बचाने और उसे संरक्षित करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) डॉ. टी सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिल मछुआरों को रिहा करने के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अर्हता मानदंडों के कारण शिक्षकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में।

22) श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर द्वारा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेल में विलय के बारे में।

23) श्री अरुण भारती द्वारा बिहार के जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री तंगेला उदय श्रीनिवास द्वारा देश में नवोदय विद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

25) श्री राजकुमार रोत द्वारा 'नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) उपबंध विधेयक, 2001' को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26) श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अर्हता से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

8. केन्द्रीय बजट – 2026-2027.

आबंटित समय: 18 घंटे
लिया गया समय: 5 घंटा 59 मिनट
शेष: 12 घंटा 01 मिनट

वर्ष 2026-2027 के केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. श्रीमती अपराजिता सारंगी
3. श्री अखिलेश यादव
4. श्री अभिषेक बनर्जी
5. श्री टी. आर. बालू
6. श्री बस्तीपति नागराजू
7. श्री अनिल यशवंत देसाई
8. श्री दिलेश्वर कामैत
9. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे

10. श्री राहुल कस्वां
11. श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी
12. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी
13. श्री लालजी वर्मा
14. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
15. श्री जगदीश शट्टर
16. श्री अभय कुमार सिन्हा
17. श्री मियां अल्ताफ अहमद
18. प्रो. सौगत राय
19. श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस
20. श्री विजय कुमार हाँसदाक
21. श्री वीरेन्द्र सिंह
22. डॉ. आलोक कुमार सुमन
23. डॉ. राजकुमार सांगवान
24. श्री सचिदानन्दम आर.
25. श्री सुदामा प्रसाद
26. श्री जुगल किशोर
27. श्री हनुमान बेनीवाल
28. डॉ. मल्लू रवि
29. श्री अब्दुल रशीद शेख

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 11 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 11 फरवरी, 2026 / 22 माघ, 1947 (शक)

संख्या 115

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 164, 166, 169, 172 और 173 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 165, 167, 168, 170, 171 लिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 165, 167, 168, 170, 171 और 174 से 180 के उत्तरसभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तरसभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) ने कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) की ओर से खान मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री; योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) योजना मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(3) योजना मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(पांच) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(छह) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(सात) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कर्मयोगी भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्मयोगी भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय

में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सत्रहवीं और अठारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

सत्रहवीं लोक सभा

विवरण संख्या 17	आठवां सत्र, 2022
विवरण संख्या 12	दसवां सत्र, 2022
विवरण संख्या 13	ग्यारहवां सत्र, 2023
विवरण संख्या 11	बारहवां सत्र, 2023
विवरण संख्या 11	चौदहवाँ सत्र, 2023

अठारहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या 8	दूसरा सत्र, 2024
7. विवरण संख्या 7	तीसरा सत्र, 2024
8. विवरण संख्या 5	चौथा सत्र, 2025
9. विवरण संख्या 2	पांचवां सत्र, 2025
10. विवरण संख्या 1	छठा सत्र, 2025

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026, जो दिनांक 10 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.120(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सचिवालयों की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाक विभाग की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) डाक विभाग की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(चार) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2025 जो दिनांक 19 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.909(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) पंचायती राज मंत्रालय के वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(3) पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) सातवां संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 18 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) ने कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2025 का संख्यांक 35) (निष्पादन लेखापरीक्षा) - संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत एनएलसी इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय का प्रचालनात्मक निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(3) भारी उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

4. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग शर्मा ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 375वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 381वां प्रतिवेदन।

(दो) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 376वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 382वां प्रतिवेदन।

(तीन) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 377वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 383वां प्रतिवेदन।

(चार) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 378वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 384वां प्रतिवेदन।

(पाँच) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 379वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 385वां प्रतिवेदन।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निष्पादन मूल्यांकन' विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने 'महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा जुटाए गए सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स (एसजीबी) पर ब्याज की अदायगी के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के आहरण' के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

6. अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:-

"मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष को माननीय राष्ट्रपति से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

'मुझे उस अभिभाषण, जो मैंने 28 जनवरी, 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिया था, के लिए लोक सभा के सदस्यों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन प्राप्त हुआ है।' "

अपराह्न 12.08 बजे

7. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. श्री अरुण भारती

2. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल
3. श्री सुधीर गुप्ता
4. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा
5. श्री जी. लक्ष्मीनारायण
6. एडवोकेट चन्द्र शेखर
7. श्री कल्याण बनर्जी
8. श्री राहुल गांधी
9. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
10. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
11. श्री जयन्त बसुमतारी
12. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
13. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
14. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
15. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
16. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास
17. डॉ. तिरूमावलवन थोलकाप्पियन
18. श्री बिद्युत बरन महतो
19. श्री असादुद्दीन ओवैसी
20. कामरेड सेल्वाराज वी.
21. श्री मोहम्मद हनीफ़ा
22. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
23. डॉ. जयंत कुमार रॉय
24. श्री राजकुमार रोत
25. श्री दामोदर अग्रवाल
26. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
27. श्री बृजमोहन अग्रवाल
28. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
29. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी

30. श्रीमती मंजू शर्मा
31. श्री के. सी. वेणुगोपाल
32. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे
33. डॉ. रानी श्रीकुमार
34. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया

अपराह्न 12.10 बजे

9. केन्द्रीय बजट– 2026-2027

आबंटित समय: 18 घंटे
लिया गया समय: 12 घंटे 57 मिनट

वर्ष 2026-2027 के केन्द्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1) श्री अरुण भारती
2) डॉ. राज कुमार चब्बेवाल
3) श्री सुधीर गुप्ता
4) डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा
5) श्री जी. लक्ष्मीनारायण
6) एडवोकेट चन्द्र शेखर
7) श्री कल्याण बनर्जी
8) श्री राहुल गांधी
9) श्री अनुराग सिंह ठाकुर
10) एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
11) श्री जयन्त बसुमतारी
12) डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
13) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
14) श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
15) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
16) श्री तंगेला उदय श्रीनिवास

17)	डॉ. तिरूमावलवन थोलकाप्पियन

18)	श्री बिद्युत बरन महतो

19)	श्री असादुद्दीन ओवैसी

20)	कामरेड सेल्वाराज वी.

21)	श्री मोहम्मद हनीफ़ा

22)	श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील

23)	डॉ. जयंत कुमार रॉय

24)	श्री राजकुमार रोत

25)	श्री दामोदर अग्रवाल

26)	श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर

27)	श्री बृजमोहन अग्रवाल

28)	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

29)	श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी

30)	श्रीमती मंजू शर्मा

31)	श्री के. सी. वेणुगोपाल

32)	श्री भास्कर मुरलीधर भगरे

33)	डॉ. रानी श्रीकुमार

34)	श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 7.08 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 / 23 माघ, 1947 (शक)

संख्या 116

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 182 से 200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवासन और शहरी कार्य मंत्री; तथा विद्युत मंत्री (श्री मनोहर लाल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का सीमा पार व्यापार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 19 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 13/2/7/2015-पीएम/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) श्रम और रोज़गार मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2025/03 जो दिनांक 25 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में लियन और आवेदनों के अग्रेषण के लिए दिशानिर्देशों संबंधी 2018 का अध्यादेश संख्यांक 28 सम्मिलित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईडब्ल्यूएआई-15019/2/2022-एचवाई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में

राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) की ओर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 5608(अ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार श्री अविनाश जैन, समूह महाप्रबंधक (संचालन और रखरखाव) को नमो भारत कॉरिडोर/खंड, संचालन और निर्माण दोनों, के लिए एनसीआरटीसी के संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का.आ. 179(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दोनों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के परिसरों के लिए श्री शिव ओम द्विवेदी, महाप्रबंधक/वाणिज्यिक विकास और श्री पी.के. शर्मा, मुख्य

अभियंता/ट्रैक की डीएमआरसी के संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फा. संख्या 11011/19/2014-प्रशा. जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 30 दिसंबर, 2024 की समसंख्यक अधिसूचना का शुद्धिपत्र सम्मिलित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग) (एक) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(घ) (एक) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ङ) (एक) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पाँच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) रेल संरक्षा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेल संरक्षा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(3) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

4. याचिका समिति का प्रतिवेदन

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाये जाने के बारे में श्री परमेश्वरन कृष्ण अय्यर के अभ्यावेदन पर याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(एक) 'आश्वासनों को छोड़ दिये जाने के अनुरोध (माने गये)' के बारे में पहला प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)

(दो) 'आश्वासनों को छोड़ दिये जाने के अनुरोध (न माने गये)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)

(तीन) 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(चार) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में चौथा प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(पांच) 'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण भारती ने 'वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में भारतीय आर्थिक विकास के लिए रोडमैप' विषय के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.07 बजे

7. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय का बढ़ाया जाना

डॉ. डी. पुरंदेश्वरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के समय को मानसून सत्र, 2026 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

8. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय का बढ़ाया जाना

श्रीमती मालविका देवी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन)विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के समय को 13 मार्च, 2026 तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के गोड्डा, दुमका, देवघर और पाकुड़ से संबंधित विभिन्न रेल संबंधी मुद्दों/परियोजनाओं के बारे में।
2. श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के 'इटखोरी महोत्सव' को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
3. श्री शशांक मणि द्वारा देवरिया जिले और देश के अन्य टीयर-I और II शहरों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
4. श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में टेलीफोन टावर लगाने के साथ-साथ भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
5. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा देश में सरकारी वित्तपोषित व्यापक और एकीकृत वृद्धावस्था देखभाल प्रणाली की आवश्यकता के बारे में ।
6. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता के बारे में ।
7. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा त्रिपुरा के त्रिपुरा पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जनजातीय सांस्कृतिक अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
8. श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी द्वारा कर्नाटक के उडुपी जिले में हवाई अड्डे की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
9. श्री राव राजेन्द्र सिंह द्वारा खनन और औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए राजस्थान में वर्तमान में संरक्षित वन के अंतर्गत आने वाले बुचारा ब्लॉक को संरक्षण रिजर्व के रूप में उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ककरहवा सीमाशुल्क चौकी पर आप्रवासन सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिगत खनन गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
12. श्री अतुल गर्ग द्वारा भारतीय न्यायालयों में कथित मिथ्या साक्ष्य और मामलों के लंबित रहने की समस्या के समाधान हेतु व्यापक न्यायिक सुधारों की आवश्यकता के बारे में ।
13. श्री बलवंत बसवंत वानखडे द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में मादक द्रव्यों की कथित बरामदगी और जब्ती के बारे में।
14. श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा केरल में पलक्कड़ टाउन रेलवे स्टेशन को वहां पिटलाइन

कार्य परियोजना शुरू होने से पहले टर्मिनल के रूप में उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

15. सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा तमिलनाडु के करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न रेल संबंधी मुद्दों/परियोजनाओं का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
16. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते के तहत मिश्रित रबर के आयात के कारण देश में रबर उत्पादकों को हो रही समस्याओं के बारे में के बारे में ।
17. श्री नीरज मौर्य द्वारा बरेली के फरीदपुर में पैदल यात्रियों और वाहनों के यातायात के लिए समपार के निकट एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
18. श्री सनातन पांडेय द्वारा उत्तर प्रदेश में आंधी और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसल के लिए किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
19. श्री युसुफ पठान द्वारा देश के विभिन्न भागों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव की कथित घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
20. श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार में नवनिर्मित गलगलिया-अररिया खंड पर फारबिसगंज, राघोपुर और दरभंगा के रास्ते राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
21. श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में महिलाओं और लड़कियों के लापता होने के कथित मुद्दों की एकीकृत जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
22. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा सरकारी कर्मचारियों की उनके पति या पत्नी की तैनाती के स्थान या उसके निकट तैनाती सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
23. श्री नवासखनी के. द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण सहायता को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के साथ-साथ उनके आर्थिक सुधार के लिए नए अवसर पैदा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 12.09 बजे

10. सरकारी विधेयक – पारित

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

आबंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 3 घंटे 31 मिनट

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. श्री दर्शन सिंह चौधरी
3. श्री अफ़ज़ाल अंसारी
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी
6. श्री अरविंद गणपत सावंत

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 1.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. डॉ. रानी श्रीकुमार
10. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
11. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
12. श्री जगदम्बिका पाल
13. श्री अरुण भारती
14. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति
15. श्री के. राधाकृष्णन
16. श्री मलविंदर सिंह कंग

17. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर

18. श्री सुदामा प्रसाद

19. डॉ. डी. रवि कुमार

20. कॉम सेल्वाराज वी.

21. श्री राजू बिष्ट

22. श्री हनुमान बेनीवाल

23. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

24. एडवोकेट चन्द्र शेखर

25. श्री अब्दुल रशीद शेख

26. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई

27. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज

28. श्री राजकुमार रोत

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक को खंडवार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 में डॉ. डी. पुरंदेश्वरी द्वारा पेश किया गया संशोधन सं. 2 स्वीकृत हुआ। खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

[1]**अपराह्न 5.09 बजे**

(लोक सभा शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[1] अपराह्न 4.36 से अपराह्न 5.09 तक, सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 / 24 माघ, 1947 (शक)

संख्या 117

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख[1]

अध्यक्षपीठ ने डॉ. भगवान दास राठौर, छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

[1] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी ।

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी ।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी ।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(तीन) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, नायब सूबेदार स्टोर कीपर तकनीकी (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 10 जनवरी, 2026 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

(दो) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नए औषधि और नैदानिक परीक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 22 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.50(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नए औषधि और नैदानिक परीक्षण (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 20 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.46 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन

और लेखापरीक्षित लेखे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विलम्ब विवरण[2] की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21क के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशा-निर्देश, 2026, जो दिनांक 27 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.62(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27क के अंतर्गत जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशानिर्देश, 2026, जो दिनांक 27 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.63 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) पर्यावरण (संस्करण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025, जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 739(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 569(अ) जो दिनांक 22 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसके द्वारा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए उसमें उल्लिखित अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव शामिल करते हुए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के रूप में ज्ञात प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

[2] वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 2 फरवरी, 2026 को सभा पटल पर रखे गए।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टियों/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025, जो दिनांक 6 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईडब्ल्यूटी-आईडब्ल्यूएआई-230115(11)/1/2020 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 113 के अंतर्गत अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) (पहला संशोधन), नियम 2025, जो दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 882(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) विशाखापत्तनम बन्दरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम बन्दरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) विशाखापत्तनम बन्दरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखों पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 32 की उप-धारा (5) के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2023, जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 4-1/2023-सीयू.II में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2024-

2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहामपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहामपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) (एक) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.05 बजे

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 12 फरवरी, 2026 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. परिवहन,पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री तापिर गाव ने "औपचारिक कौशल विकास, विश्वविद्यालय-स्तरीय पाठ्यक्रमों तथा गाइड, आतिथ्य एवं इको-टूरिज्म के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत के पर्यटन क्षेत्र का समग्र विकास" के बारे में परिवहन,पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 386वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) श्री प्रतापराव जाधव ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'समकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और इसका प्रबंधन' के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 148वें और 158वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के कार्यकरण' के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 155वें और 160वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के

कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) श्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए

1. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में देरी और लैंड पूलिंग तथा जी.डी.ए. नीति के कार्यान्वयन के बारे में।
2. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवैध नदी खनन के कारण हुए पर्यावरणीय नुकसान के आकलन और जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्रीमती कमलजीत सहरावत द्वारा देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु खाद्य मिलावट के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान सहित व्यापक और कड़े उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में एक समुद्री फिनफिश हैचरी की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा ई.पी.एस.-1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 5000/- रुपये प्रति माह किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री अरुण गोविल द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गंगा नदी बैराज का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत

ई.एस.आई.सी. अस्पताल की बिस्तर क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा ओडिशा के कंधमाल जिले में कॉफी उत्पादकों की समस्याओं के समाधान हेतु संस्थागत, वित्तीय और विपणन सहायता को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर में कथित अनियमितताओं के बारे में।

12. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में अवसंरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. कु. सुधा आर. द्वारा तमिलनाडु के मयिलादुथुरै जिले में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री राजीव राय द्वारा मऊ रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और तमिलनाडु के लिए सीधी रेल सेवा चलाने तथा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस और मऊ-आनंद विहार ट्रेन सेवा को दैनिक आधार पर चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्रीमती बाग मिताली द्वारा पश्चिम बंगाल को वीबी-जी राम जी, आपदा प्रबंधन, समग्र शिक्षा अभियान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित धनराशि को शीघ्र जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए) के कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा आर.एस.एस.बी. द्वारा आयोजित विभिन्न पदों पर भर्ती में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के बारे में।

19. श्री उमेशभाई बाबूभाई पटेल द्वारा गुजरात तट पर कथित अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

(लोक सभा सोमवार, 9 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 9 मार्च, 2026 / 18 फाल्गुन, 1947 (शक)

संख्या 118

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्षपीठ ने डॉ. रिकी एन्ड्र्यू जे. सिंगकोण, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; कुमारी सुशीला तिरिया, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा की सदस्य; श्री देवी बक्श सिंह, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री पूर्णमासी राम, पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री के.पी. उन्नीकृष्णन, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

2. प्रश्न

सभा निधन संबंधी उल्लेख के बाद स्थगित हो गई, इसलिए तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। तारांकित प्रश्न संख्या 221-240 के उत्तर आज की कार्यसूची में शामिल किए गए, इसलिए, उन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर, अतारांकित प्रश्न सं. 2531 से 2760 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. *अध्यक्षपीठ द्वारा बधाई

अध्यक्षपीठ ने सभा की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को दिनांक 8.03.2026 को गुजरात के अहमदाबाद में आईसीसी पुरुष क्रिकेट टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूज़ीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब जीतने पर बधाई दी।

अपराह्न 12.04 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2026 जो दिनांक 11 फरवरी, 2026

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.716(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2026 जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.717(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और संशोधन) संशोधन स्कीम, 2026 जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.718 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2026 जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.719(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(4) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.490(अ), जो दिनांक 3 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2026 को सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025 के उपबंधों, धारा 25 को छोड़कर, को प्रवृत्त करने की तिथि के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गतअधिसूचना संख्या सा.का.नि.133(अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 77/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.121(अ) जो दिनांक 10 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय (एक) 'टोल्यूइन डाइ-आइसोसाइनेट

(टीडीआई)' पर व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा जारी सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की वसूली को जारी रखना; तथा (दो) इस अधिसूचना के राजस्व प्रभाव का मात्रात्मक आकलन संभव नहीं होना, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2026 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (3) के अंतर्गत दिनांक 4 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ.509(अ) के माध्यम से मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई पूर्ववर्ती उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की विस्तृत मांगों* के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ.6152(अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, 1 जनवरी, 2026 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 की धारा 1 से 3, धारा 4 की उप-धारा (1), (2) और (4), धारा 5 की उप-धारा (1) और (2), धारा 8 की उप-धारा (5), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 14, धारा 15, धारा 17 की उप-धारा (1) से (7) और (10), धारा 30, धारा 31, धारा 33 से 38 के उपबंध प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में नियत किया गया है।

(2) राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026 जो दिनांक 8 जनवरी,

---

* मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 के अनुदानों की विस्तृत मांगें दिनांक 10.02.2026 को सभा पटल पर रखी गईं।

2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.12(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.18 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन

पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)#

(2) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. **ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री विजय कुमार दूबे ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(i) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2026-27) पर पच्चीसवां प्रतिवेदन;

(ii) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2026-27) पर छब्बीसवां प्रतिवेदन;

(iii) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2026-27) पर सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

6. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्रीमती हिमाद्री सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति का 405वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

वार्षिक प्रतिवेदन 17.12.2025 को सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.08 बजे

7. मंत्री द्वारा स्वमेव वक्तव्य

विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने "पश्चिम एशिया में स्थिति" के संबंध में वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.32 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. श्री पी. सी. मोहन द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में यातायात संकुलता की समस्या को दूर किए जाने के लिए बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना में तेजी लाए जाने और नम्मा मेट्रो का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में अनधिकृत संपन्न कॉलोनियों को पीएम-उदय योजना के अंतर्गत नियमित किए जाने और उन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के धनबाद में केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के विद्यालय भवन का निर्माण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के आईएफआर और सीएफआर संबंधी दावों का समयबद्ध तरीके से निपटान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्रीमती मालविका देवी द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत ओडिशा के कालाहांडी जिले में मेगा फूड पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री रोडमल नागर द्वारा प्रस्तावित झालावाड़-उज्जैन नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री अनुराग शर्मा द्वारा एडीआईपी योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु विकलांगता की सीमा को 80 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किए जाने और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु लंबित धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री अरुण गोविल द्वारा साइबर अपराध निगरानी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री पी. पी. चौधरी द्वारा राजस्थान में 'डार्क स्काई रिजर्व' स्थापित किए जाने और देश में डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना और शासन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री सतपाल ब्रह्मचारी द्वारा हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में रोहतक-जींद रेल लाइन पर लेवल क्रॉसिंग पर रेल ओवर-ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री बैन्नी बेहनन द्वारा केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना से बाहर किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. डॉ. शशि थरूर द्वारा केरल और देश के अन्य भागों में स्वापक और मनःप्रभावी

पदार्थों के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करने हेतु व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री बलवंत बसवंत वानखड़े द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क की स्थापना में विलम्ब के बारे में।

17. श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा राजस्थान के सवाई माधोपुर और गंगापुर शहर में आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली और रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री नीरज मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश में भमौरा-आंवला मार्ग को चार-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंडरपास के निर्माण के बारे में।

20. प्रो. सौगत राय द्वारा खाड़ी देशों और ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने हेतु तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट-मदुरावोयल एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा आंध्र प्रदेश के सिगडाम रेलवे स्टेशन पर भुवनेश्वर - विशाखापत्तनम इंटरसिटी एक्सप्रेस या ब्रह्मपुर एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नरकटियागंज में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा महाराष्ट्र में भोकरदन और जालना (एनएच-753एच) के मध्य सड़क निर्माण के लिए सीआरएफ के अंतर्गत निधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री नलिन सोरेन द्वारा झारखंड में दुमका-काठीकुंड सड़क की मरम्मत और उसका विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री अमरा राम द्वारा राजस्थान के चूरू जिले में फसल बीमा योजना के अंतर्गत कथित फर्जी दावों के बारे में।

27. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-66 पर एलीवेटेड राजमार्ग का वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सुदृढ़ निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.08 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 10 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 10 मार्च, 2026/ 19 फाल्गुन, 1947 (शक)

संख्या 119

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 और 242 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.34 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 243 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, गांधीधाम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, गांधीधाम और विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.6093(अ), जो दिनांक 30 दिसंबर 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2025 से पूरे देश में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 या यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 के विस्फोटक सामग्री) के विनिर्माण, कब्जे, बिक्री, उपयोग और आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) सीमा सुरक्षा बल, सहायक कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' योधक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 3 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमा सुरक्षा बल योधक पैरा-चिकित्सा काडर (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2026 जो दिनांक 29 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.69(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखों पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार, समस्तीपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार, समस्तीपुर के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखों पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक लेखा समिति के विवरण

श्री के.सी. वेणुगोपाल ने लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

(1) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण" के बारे में समिति के 95वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी" के बारे में समिति के 133वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) "औषधीय क्षेत्र में कर निर्धारितियों का कर निर्धारण" के बारे में समिति के 136वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) “डाक विभाग द्वारा अननुपालन” विषय के बारे में समिति के 89वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) “अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन अवसंरचना का निर्माण”के बारे में समिति के 105वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) “एपीडा द्वारा अप्रभावी निगरानी” के बारे में समिति के 123वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) “आईसीएआर के लेखाओं की जांच”, ''निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना'' और ''नारियल विकास बोर्ड की निधियों का अवरोधन" के बारे में समिति के 110वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) “हल्के लड़ाकू विमान का डिजाइन, विकास, विनिर्माण और अधिष्ठापन की निष्पादन लेखापरीक्षा”के बारे में समिति के 114वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(9) “अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद” के बारे में समिति के 129वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन(17वीं लोक सभा)।

(10) “विनियोग लेखे में अपवाद रिपोर्टिंग की अधिकतम सीमा में संशोधन”विषय के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(11) “स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2016-17) से अधिक व्यय”विषय के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय- I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) ।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सी.एम. रमेश ने रेल संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) 'रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज सहित रेल सुरंगों और पुलों का निर्माण और अनुरक्षण' विषय के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन।

(2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2026-27)' संबंधी 8वां प्रतिवेदन।

7. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन

(अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित छठे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

9. माननीय अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प

डॉ. मोहम्मद जावेद ने निम्नलिखित संकल्प को पेश किये जाने के लिए सभा की अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति न देने, विपक्ष की महिला संसद सदस्यों के विरुद्ध निराधार आरोप लगाने, लोक हित के मुद्दे उठाने पर विपक्ष के संसद सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध पूर्णतः आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियाँ करने वाले सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को रोके नहीं जाने के संबंध में, सभा के अध्यक्ष के आचरण पर विचार करने के उपरांत, यह अनुभव करती है कि उन्होंने सभा के सभी वर्गों का विश्वास अर्जित करने के लिए आवश्यक निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं बनाए रखा है; कि अपने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से वे सभा के सदस्यों के अधिकारों की अवहेलना करते हैं और ऐसी घोषणाएं करते हैं तथा ऐसे विनिर्णय देते हैं जो ऐसे अधिकारों को प्रभावित और कमजोर करते हैं; कि वे सभी विवादास्पद मामलों में सत्तारूढ़ दल के दृष्टिकोण का खुलकर समर्थन करते हैं, कि ये सभी कृत्य इस सभा के समुचित संचालन तथा जनता की अनुभूत चिंताओं और शिकायतों को प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं, और इसलिए यह संकल्प करती है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए।"

अध्यक्षपीठ ने उन सदस्यों से अपने स्थानों में खड़े होने का अनुरोध किया जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में थे। चूंकि पचास से अन्यून सदस्य खड़े हुए, अतः अध्यक्षपीठ ने संकल्प

पेश करने की अनुमति देने की घोषणा की और अध्यक्षपीठ ने सभा की सहमति लेने के पश्चात, संकल्प पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया।

तत्पश्चात, अध्यक्षपीठ ने श्री असादुद्दीन ओवैसी, श्री के. सी. वेणुगोपाल और प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर टिप्पणी की।

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों- दूसरा बैच को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. श्रीमती भारती पारधी द्वारा ऑनलाइन गेमों की लत पर सख्त कानून बनाए जाने और साथ ही विद्यालयों के पाठ्यक्रम में डिजिटल लत के बारे में जागरूकता फैलाने, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री विजय बघेल द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नगर निगम रिसाली को हस्तांतरित किए जाने के बारे में।
3. श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा सकरी-धरौरा-बेनीपुर-बिरौल-कुशेश्वरस्थान को प्रस्तावित पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे से जोड़ने तथा सकरी-धरौरा और दोनार-कुशेश्वरस्थान पथ को चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई रेलवे जंक्शन के आसपास 'भगवान नरसिंह' और 'भक्त प्रहलाद' की प्रतिमा स्थापित किए जाने और हरदोई रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर 'भक्त प्रहलाद रेलवे स्टेशन' किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. डॉ. के. सुधाकर द्वारा कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में जल संकट से निपटने के लिए कृष्णा नदी को जोड़ने वाली परियोजना को शीघ्रता से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बुरहानपुर जिले में रहने वाले पूर्व सैनिकों को ईसीएचएस पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज

कराने हेतु ऑनलाइन रेफरल सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री राव राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तावित दिल्ली-भिवंडी-नीमराना-मनोहरपुर-जयपुर रेल परियोजना के लिए इस क्षेत्र की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन किए जाने हेतु नए सर्वेक्षण की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा देश में वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं के विकास के लिए निवेश बढ़ाए जाने और नीतिगत उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सभी पंचायतों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराए जाने और मोबाइल टेलीफोन टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा अररिया जिले सहित बिहार के उत्तर-पूर्वी भाग को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित कृषि क्षेत्र घोषित किए जाने और स्थायी बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में मोबाइल दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री लुम्बा राम द्वारा राजस्थान के जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रेल मुद्दों के बारे में।
14. श्री दिलीप शइकीया द्वारा असम में बैहाटा-चारियाली-मिशन चारियाली-तेजपुर राजमार्ग को चार लेन किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री तारिक अनवर द्वारा दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी नई श्रम संहिता के बारे में।
16. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के कारण महाराष्ट्र में कृषि, पावरलूम वस्त्र उद्योग और लघु उद्योगों पर पड़ने वाले कथित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में।
17. श्री एम. के. राघवन द्वारा केरल के कोझिकोड में एम्स की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में यमुना नदी के जल को पहुंचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा तमिलनाडु के करूर जिले में सहजन आधारित कृषि उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री राजीव राय द्वारा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, घोसी का संचालन फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को देखते हुए खुदरा दुकानदारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा देश में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान किए जाने जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री मलैयारासन डी. द्वारा तमिलनाडु के कल्लकुरुचि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक गलियारे की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल से मंत्रालयम तक एक नई रेल लाइन को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंह द्वारा महाराष्ट्र में नीरा-देवघर सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री राजेश वर्मा द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्री-पैकेज्ड खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) उधार लिए जाने और आंध्र प्रदेश पर इसके प्रभाव के बारे में।
28. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश के मछलीपटनम के मछुआरों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने और मछली पकड़ने के लिए अवसंरचना की इकाई लागत को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
29. एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यूजीसी विनियमन, 2026 के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.23 बजे

12. माननीय अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प- विचाराधीन

आवंटित समय : 10 घंटे

लिया गया समय: 6 घंटे 12 मिनट

शेष समय: 3 घंटे 48 मिनट

डॉ. मोहम्मद जावेद ने माननीय अध्यक्ष को उनके पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प पेश किया।

तत्पश्चात, अध्यक्षपीठ ने यह टिप्पणी की कि चर्चा केवल संकल्प में उठाए गए विषय तक ही सीमित रखी जाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

(1) [1]श्री गौरव गोगोई

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

(2) [2]श्री किरेन रिजिजू

(3) श्री राजीव राय

(4) सुश्री महुआ मोइत्रा

(5) श्री टी. आर. बालू

(6) श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू

(7) [3]श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

(8) श्री अरविंद गणपत सावंत

(9) श्री बजरंग मनोहर सोनवणे

(10) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

(11) [4]श्री चिराग पासवान

(12) श्री मनीश तिवारी

---

1. उन्होंने अपराह्न 2 बजे अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

2. संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

3. पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

(13) डॉ. निशिकान्त दुबे

(14) श्री तंगेला उदय श्रीनिवास

(15) सुश्री एस. जोतिमणि

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.32 बजे

(लोक सभा बुधवार, 11 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुध**वार**, **11 मार्च**, **2026/ 20 फाल्गुन, 1947 (शक)**

संख्या 120

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261, 262, 265 और 266 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 264 लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.29 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 263 और 267 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री;कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री;परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री;तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 के लिए 74वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) प्रतिवेदन के अध्याय 9 में सूचित किए गए मामलों के बारे में आयोग के परामर्श की अस्वीकृति के कारण बताने वाला ज्ञापन।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने डाकघर अधिनियम, 2023 की धारा 14 के अंतर्गत डाकघर (संशोधन) विनियम, 2026, जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 659(अ) में प्रकाशित हुए थे,की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अपतट क्षेत्र खनिज (अवैध खनन एवं परिवहन निवारण) नियम, 2026 जो दिनांक3 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.102(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 29 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ.1(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरण की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स यूनिसेड रिसर्च कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को "श्रेणी 'ख' अन्वेषण अभिकरण" के अधीन अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.2(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सॉल्यूशंस को खान और खनिज (विकास

और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण'के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ.8(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3327(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ.881(अ) जो दिनांक 17 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरण की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड को "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अधीन अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ.882(अ) जो दिनांक 17 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरण की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स एच के एंड एसोसिएट्स को “श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण” के अधीन अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ.5602(अ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरण की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स सिद्धार्थ जियो कंसल्टेंट को “श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण” के अधीन अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ.5603(अ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरण की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स शिजय प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को “श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण” के अधीन अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ.5604(अ) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरण की अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार मैसर्स दीपसर मिनरल एक्सप्लोरर को “श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण” के अधीन अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.5692(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को खान और

खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण'के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ.5693(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स जियो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सॉल्यूशन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण'के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ.5696(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स इंडियन माइन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट्स को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के प्रयोजनों के लिए 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण'के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ.5699(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 दिसम्बर, 2025 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 3 के खंड (पांच) के उप-खंड (एक) के उपबंध लागू होने की तिथि के रूप में नियत किया गया है।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 64 (अ) जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 के खंड (क) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.5578(अ),जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्रीमती फरीदा एम. नाइक, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. मन्ना लाल रावत ने कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (**2026-27)**के बारे में कोयला**,** खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. **सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री गोडम नागेश ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (**2025-26)** के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की**'**अनुदानों की मांगें (**2026-27)'** के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (**2025-26)**का सत्रहवां प्रतिवेदन।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की **'**अनुदानों की मांगें (**2026-27)'** के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (**2025-26)**का अठारहवां प्रतिवेदन।

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय की **'**अनुदानों की मांगें (**2026-27)'** के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (**2025-26)** का उन्नीसवां प्रतिवेदन।

4. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की **'**अनुदानों की मांगें (**2026-27)'** के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (**2025-26)** का बीसवां प्रतिवेदन।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

1. भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (**2026-27)** के बारे में **332**वां प्रतिवेदन।

2. सूक्ष्म**,**लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (**2026-27)** के बारे में **333**वां प्रतिवेदन।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**;** तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा जुटाए गए सॉवरेन गारंटी बांड (एसजीबी) पर ब्याज के भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि की निकासी।

(2) डाक विभाग**,**संचार मंत्रालय से संबंधित **'**डाक विभाग में भू-सम्पदा प्रबंधन**'**के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (**2024-25)** के **20**वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच जिले के जांबूसर में बल्क पार्क की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा डाल्टनगंज के चार लेन वाले बाईपास रोड पर **'**ब्लैक स्पॉट**'**की पहचान करने और उक्त **'**ब्लैक स्पॉट**'** के स्थान पर फ्लाईओवर के निर्माण का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक मेगा फूड पार्क या एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा के बालांगीर और सुबर्णपुर जिलों में लंबित कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा समय पर ढुलाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में **'**मेरा गांव मेरी धरोहर योजना**'** के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण**,** दस्तावेजीकरण एवं विकास के बारे में।

6. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा ओडिशा के कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जनजातीय सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में आवासीय परिसरों के विकास के लिए वहन क्षमता आकलन और नियामक ढांचे के लिए स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के फांसिदेवा में एक जनजातीय महिला पर कथित हमले की घटना की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री दिनेशभाई मकवाणा द्वारा गुजरात के अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री महेश कश्यप द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. डॉ. आनन्द कुमार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्लंबिंग उपकरणों और यंत्रों के लिए जल दक्षता मानकों को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री गणेश सिंह द्वारा नमामि गंगा परियोजना के अंतर्गत सतना और तमस नदियों के संरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ. अमर सिंह द्वारा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हलवारा विमानपत्तन से वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री मुरारी लाल मीना द्वारा रेल किराए में छूट बहाल करने और केंद्र सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए भर्ती में खेल कोटा लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुर्ला में हलाव पुल के ऊपर मेट्रो लाइन के लिए गर्डरों की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में स्थित आर्द्रभूमि-कृषि विरासत प्रणाली कुट्टानाड की सुरक्षा के लिए एक सांविधिक कुट्टानाड विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. डॉ. कडियम काव्य द्वारा तेलंगाना के वारंगल में स्थित ककातिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के पूर्ण संचालन के लिए अधिक वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने और रेलगाड़ी संख्या **22104** (अयोध्या-मुंबई) की बारंबारता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा आगामी जनगणना में जाति गणना के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए अलग कॉलम शामिल किए जाने के बारे में।

20. श्री पठान यूसुफ द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित विरासत स्थल कर्णसुबर्णा का संरक्षण और विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाले बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे चरण-**III** को शुरू किए जाने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री थरानिवेंथन एम. एस. द्वारा तमिलनाडु में अरानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के मेदारा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा जिले में तेलहारा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि करने और उन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा केरल के मलप्पुरम जिले में **100** बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल की स्थापना के लिए व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई द्वारा दमन और दीव में बहने वाली दमन गंगा और कोलाक नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.04 बजे

9. अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प- अस्वीकृत

आवंटित समय : 10 घंटे

लिया गया समय: 12घंटे 27 मिनट

डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा अध्यक्ष को उनके पद से हटाये जाने के बारे में दिनांक 10 मार्च 2026 को पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री रवि शंकर प्रसाद
2. श्री आनंद भदौरिया
3. श्री के. सी. वेणुगोपाल
4. सुश्री सयानी घोष
5. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
6. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
7. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति
8. श्री सुब्बारायण के.
9. श्री के. राधाकृष्णन
10. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी
11. श्री विजय कुमार हाँसदाक
12. श्री राजा राम सिंह
13. श्री अभय कुमार सिन्हा

14. डॉ. राजकुमार सांगवान

15. श्री एम. मल्लेश बाबू

16. श्री चरनजीत सिंह चन्नी

17. श्री सनातन पांडेय

18. श्री भर्तृहरि महताब

19. श्री राजेश रंजन

20. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

21. डॉ. मल्लू रवि

22. श्री तेजस्वी सूर्या

23. श्री लालजी वर्मा

24. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज

25. श्री हनुमान बेनीवाल

26. श्री असादुद्दीन ओवैसी

27. एडवोकेट चन्द्र शेखर

28. *श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई

29. *श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

30. *श्री कौशलेन्द्र कुमार

31. *श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

32. *श्री राजकुमार रोत

33. *श्रीमती सुप्रिया सुले

34. *श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

35. *श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे

36. *श्री अब्दुल रशीद शेख

37. *श्री नरेश गणपत म्हस्के

38. [1]श्री अमित शाह

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सायं 6.19 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 12 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

[1] गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 12 मार्च, 2026 / 21 फाल्गुन, 1947 (शक)

संख्या 121

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। इसलिए आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 300 अतारांकित प्रश्न माने गए और उनके उत्तर, अतारांकित प्रश्न सं. 3221 से 3450 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने अध्यक्षपीठ की निष्पक्षता और संसदीय मानदंडों के पालन के बारे में टिप्पणी की।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.28 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाएं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं:-

(1) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 27 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-31/2024 में प्रकाशित हुए थे।

(2) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) (7वां संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 27 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-1/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(3) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके अंतर्गत तथा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के प्रति मीट्रिक टन तेल के समकक्ष मूल्य) नियम, 2026, जो दिनांक 5 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.157(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5671(अ) जो दिनांक 8 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(दो) का.आ.46(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ.2740(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.57(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चार) का.आ.61(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ.247(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ.248(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ.250(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(आठ) का.आ.251(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के विकास और रख-रखाव से संबंधित कार्य करने का निदेश दिया गया है।

(नौ) का.आ.253(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.4721(अ) को निरस्त किया गया है।

(दस) का.आ.444(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की

अधिसूचना संख्या का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ.651(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ.838(अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.839(अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चौदह) का.आ.841(अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के विकास और रख-रखाव से संबंधित कार्य करने का निदेश दिया गया है।

(पन्द्रह) का.आ.842(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सोलह) का.आ.873(अ) जो दिनांक 17 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) के मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.56(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया हैं।

(दो) का.आ.55(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.304(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.58(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ.42(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.59(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ.380(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पांच) का.आ.60(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4896 (अ) को निरस्त किया गया है।

(छह) का.आ.62(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया हैं।

(सात) का.आ.63(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.3642(अ) को निरस्त किया गया है।

(आठ) का.आ.252 जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया हैं।

(नौ) का.आ.652(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया हैं।

(दस) का.आ.653(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.2863(अ) को निरस्त किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.654(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ.3626(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ.655(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1457(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.840(अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया हैं।

(चौदह) का.आ.249(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया हैं।

(पन्द्रह) का.आ.64(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 मई, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ.2365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

4. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए: -

(1) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27)' के बारे में ग्यारहवाँ प्रतिवेदन।

(2) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27)' के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में तीसवां प्रतिवेदन।

(2) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन।

6. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.34 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में कपिलवस्तु को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्रीमती कमलेश जांगड़े द्वारा गुरु घासीदास से जुड़े गिरौदपुरी धाम में बुनियादी ढांचे के विकास और विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि उपलब्ध कराने और 18 दिसंबर को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री विजय कुमार दूबे द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सेना भर्ती केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री भारत सिंह कुशवाह द्वारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एम्स स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा बी.टेक. छात्रों के लिए इंटर्नशिप के जायज अवसर सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, सोलन और शिमला जिलों को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करने, मजबूत करने और उसकी मरम्मत किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ स्थापित किये जाने और वीर सावरकर और डॉ. के.बी. हेडगेवार को भारत रत्न प्रदान किये जाने के बारे में।

8. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान के ब्यावर जिले में महालक्ष्मी मिल्स को पुनः शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री आशीष दुबे द्वारा पवित्र नदियों गंगा, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी के एक साथ दर्शनार्थ 'भारत गौरव पर्यटन रेल' शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से कर्नाटक में उल्लाल-सोमेश्वर बेल्ट में समुद्री कटाव की समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री प्रवीण पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के फूलपुर में औद्योगिक पार्क की स्थापना के बारे में।

13. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के उन किसानों को जिनकी कृषि भूमि सीमा बाड़ के पार है, उन्हें वैकल्पिक भूमि प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा राजस्थान के झुंझुनूं जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी के स्मेल्टर प्लांट को पुनः शुरू किये जाने की आवश्यकता के

बारे में।

16. श्री जी. कुमार नायक द्वारा कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में मानव दुर्व्यापार के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए कड़े और समन्वित उपायों की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बिजली पारेषण लाइनें डालने के दौरान फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्रीमती रुचि वीरा द्वारा उत्तर प्रदेश में आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली हाई टेंशन विद्युत लाइनों से होने वाली घातक दुर्घटनाओं के बारे में।

20. श्रीमती जून मालिया द्वारा देश भर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को नियंत्रित करने के लिए व्यापक और कड़े उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री सेल्वागणपति टी.एम. द्वारा तमिलनाडु में सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी सेवाओं और रेल बुनियादी ढांचे का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा मुंबई सीएसएमटी- हिंगोली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन (12171/72) को वाशिम तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे द्वारा महाराष्ट्र के बीड और आस-पास के क्षेत्रों में विभिन्न सहकारी क्रेडिट समितियों में अपना धन जमा करने वाले लोगों को उनका रिफंड सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा आगामी ठाणे हाई-स्पीड रेल स्टेशन की मौजूदा क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री चंदन चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ईसीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड में दामोदर घाटी निगम की सभी इकाइयों के लेखा अनुभाग को बनाए रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

[1]**अपराह्न 2.02 बजे**

9. वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - दूसरा बैच - विचाराधीन

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 4 घंटा 28 मिनट

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों- दूसरा बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 6 से 13, 15, 17 से 22, 25, 28 से 30, 32, 36, 41 से 44, 46, 48, 49, 51 से 56, 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71 से 73, 76, 79, 85 से 87, 89, 91, 92, 96 से 98, 100 और 101 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. श्री शफी परम्बिल
3. श्री राम शिरोमणि वर्मा
4. श्री आज़ाद कीर्ति झा
5. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.
6. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव
7. श्री अनिल यशवंत देसाई
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री नरेश गणपत म्हस्के
10. श्री नवासखनी के.
11. श्री राजकुमार चाहर
12. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 4.49 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

[1] अपराह्न 4.22 बजे से अपराह्न 4.27 बजे तक और अपराह्न 4.46 बजे से अपराह्न 4.49 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 5.00 बजे

13. श्री अमरा राम
14. श्री मलविंदर सिंह कंग
15. श्री राजा राम सिंह
16. श्रीमती लवली आनंद
17. श्रीमती जोबा माझी
18. श्री अब्दुल राशिद शेख
19. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
20. श्री राजकुमार रोत
21. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
22. डॉ. शिव पाल सिंह पटेल
23. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
24. श्री सौमित्र खान
25. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
26. डॉ. सी.एन. मंजूनाथ
27. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
28. श्री राजेश रंजन
29. श्री हनुमान बेनीवाल
30. एडवोकेट चन्द्र शेखर

चर्चा पूरी नहीं हुई।

[2]9. मंत्री द्वारा स्वमेव वक्तव्य

श्री हरदीप सिंह पुरी ने 'भारत में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

---

[2] अपराह्न 4.27 बजे दिया गया।

सायं 7.08 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 / 22 फाल्गुन, 1947 (शक)

संख्या 122

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। इसलिए आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320 अतारांकित प्रश्न माने गए और उनके उत्तर, अतारांकित प्रश्न सं. 3451 से 3680 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 15 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम, 2025 जो दिनांक 4 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) छावनी बोर्डों के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) छावनी बोर्डों के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आज़ाद कीर्ति झा ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में 'रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति' (18वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(2) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(3) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन(18वीं लोक सभा)।

(4) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में तेईसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

4. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. मन्ना लाल रावत ने इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री तेजस्वी सूर्या ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के साक्ष्य का अभिलेख

श्री तेजस्वी सूर्या ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखा।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने 'विदेशी चिकित्सा ग्रेजुएट परीक्षा के लिए जीएसटी' के बारे में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2106 के 12 दिसम्बर, 2025 को दिए गए उत्तर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में शुद्धि करने और विलंब के कारण के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 16 मार्च, 2026 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1. श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई द्वारा दादरा और नगर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एमपीएलएडीएस निधि का उपयोग नहीं होने के बारे में।

2. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा राजस्थान के जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउस जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों में चीड़ की पत्तियों के उपयोग और मूल्यवर्धन के लिए सरकारी नीति के बारे में।

4. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा चित्तौड़गढ़ से उदयपुर-अहमदाबाद होते हुए मुंबई

और चेन्नई के लिए रेलगाड़ी शुरू किए जाने और उदयपुर से चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी को सूरत तक चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता के लिए नियमित जिला स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री मनोज तिवारी द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक आधुनिक जल क्रीड़ा परिसर और एक सार्वजनिक पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. डॉ. भोला सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा ई-कॉमर्स कारोबार में हो रही वृद्धि को देखते हुए खुदरा दुकानदारों के हितों की रक्षा किए जाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री मनीष जायसवाल द्वारा झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के आतंक से निपटने हेतु उपाय किए जाने और इससे प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. डॉ. लता वानखेड़े द्वारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री अनूप प्रधान वाल्मिकि द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर जंक्शन के पास रेल ओवरब्रिज के निर्माण के बारे में।

12. श्री काली चरण सिंह द्वारा गया-चतरा नई रेल लाइन परियोजना की प्रगति के बारे में।

13. एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल में विझिंजम से नवाइकुलम तक आउटर रिंग रोड परियोजना को मंजूरी देने में तेजी लाए जाने और परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई जमीनों के भूस्वामियों को मुआवजा संवितरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री मुहम्मद हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप में शराब की आपूर्ति की अनुमति देने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार के किशनगंज जिला अस्पताल में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा फुटहिल्स रोड (ट्रांस नागालैंड हाईवे) को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा मानदंडों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा देश में प्रमुख बहुउद्देशीय और सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों के कार्यान्वयन पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री आनंद भदौरिया द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चावल के फोर्टिफिकेशन (फोर्टिफाइड चावल कर्नेल- एफआरके का उपयोग) को बंद करने या चावल मिल मालिकों को समयबद्ध तरीके से एफआरके उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मारूफपुर और हिंगुतरगढ़ के बीच स्थित सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने और इसे विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान में पार्वती-कालीसिंध-चम्बल नदी लिंकेज परियोजना के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

10. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

अपराह्न 2.02 बजे

11. वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - दूसरा बैच - विचाराधीन

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटा 31 मिनट

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें- दूसरा बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 6 से 13, 15, 17 से 22, 25, 28 से 30, 32, 36, 41 से 44, 46, 48, 49, 51 से 56, 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71 से 73, 76, 79, 85 से 87, 89, 91, 92, 96 से 98, 100 और 101 पर आगे चर्चा जारी रही।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें- दूसरा बैच की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 6 से 13, 15, 17 से 22, 25, 28 से 30, 32, 36, 41 से 44, 46, 48, 49, 51 से 56, 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71 से 73, 76, 79, 85 से 87, 89, 91, 92, 96 से 98, 100 और 101 (राजस्व लेखा और पूँजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

12. सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

विनियोग विधेयक, 2026

13. सरकारी विधेयक पारित

विनियोग विधेयक, 2026

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.04 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 16 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 16 मार्च,2026 / 25 फाल्गुन, 1947 (शक)

संख्या 123

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 326 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 327 से 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज़ सेंटर, तवांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज़ सेंटर, तवांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) समग्र शिक्षा (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसाइटी), शिमला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसाइटी), शिमला के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) स्टार्स - मध्य प्रदेश (राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश), भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टार्स - मध्य प्रदेश (राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश), भोपाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) स्टार्स, राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टार्स, राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) स्टार्स - महाराष्ट्र (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टार्स - महाराष्ट्र (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) स्टार्स, हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टार्स, हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा, के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा, के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) समग्र शिक्षा मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्री डाक के स्थान पर स्पीड पोस्ट का प्रतिस्थापन) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/281 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/282 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/283 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/286 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/287 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 2025 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/288 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 6 जनवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/290 में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/289 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/293 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 जो दिनांक 14 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/294 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 20 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/296 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम 2025 जो दिनांक 30 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफ़एससीए/जीएन/2025/007 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (विनियम और सहायक अनुदेश बनाने की प्रक्रिया) विनियम 2025 जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफ़एससीए/जीएन/2025/006 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (टेकफिन और सहायक सेवाएँ) विनियम 2025 जो दिनांक 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफ़एससीए/जीएन/2025/005 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना सं. एफ. सं. आईएफएससीए-पीएमटीएस/9/2023-कीमती धातुएं, जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शर्तों अथवा तत्पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन उसे बुलियन संविदाओं के संबंध में दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 8 दिसम्बर, 2028 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बुलियन एक्सचेंज तथा बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में मान्यता के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(पांच) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वैश्विक आंतरिक केंद्र) विनियम 2025 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफ़एससीए/जीएन/2025/012 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अधिसूचना सं. एफ. सं. आईएफएससीए/इंडिया आईएनएक्स/नवीनीकरण/2025-26, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन प्रतिभूतियों में संविदाओं के संबंध में इंडिया इंटरनेशनल क्लीयरिंग कार्पोरेशन (आईएफएससी) लिमिटेड को दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 28 दिसम्बर, 2028 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता के नवीनीकरण के बारे में है।

(सात) अधिसूचना सं. एफ. सं. आईएफएससीए/इंडिया आईएनएक्स/नवीनीकरण/ 2025-26, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन प्रतिभूतियों में संविदाओं के संबंध में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड को दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 28 दिसम्बर, 2028 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता के नवीनीकरण के बारे में है।

(आठ) अधिसूचना सं. एफ. सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/001, जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "ऑयलफील्ड इक्विपमेंट" के संबंध में परिचालन पट्टा, जिसमें परिचालन तथा वित्तीय पट्टे का कोई भी संकर रूप भी शामिल है, को एक वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(नौ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं) (संशोधन) विनियम, 2026, जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/002 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2026, जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/003 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति) (संशोधन) विनियम, 2026, जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/004 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2026, जो दिनांक 12 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/005 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) के मद सं. (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(4) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा उस पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) (एक) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत भारत की आवासन की प्रवृत्तियां और प्रगति, 2025 पर वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर संक्षिप्त विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(6) स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण):-

(एक) का.आ. 6153(अ), जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(दो) स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर नियम, 2026, जो दिनांक 1 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 02(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (पहला संशोधन) नियम, 2026, जो दिनांक 30 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 859(अ) जो दिनांक 17 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड (एफकॉम), जिसका पंजीकृत कार्यालय सं. 2, एलआईसी कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्णन नगर, तिरुवनमियूर, चेन्नई-600041, भारत में स्थित है, को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए "नामित भारतीय वाहक" के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना और उधार देना) (पहला संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 10 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फेमा 3(आर)(5)/2026-आरबी में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रबंधन प्राधिकरण (अधिकारियों की सेवा की शर्तें) भर्ती नियम, 2026, जो दिनांक 22 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 तथा 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 तथा 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 888(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, पोंडा के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, पोंडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, पोंडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) धनबाद, धनबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) धनबाद, धनबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर, जालंधर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर, जालंधर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, श्रीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, श्रीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौढ़ी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौढ़ी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) की ओर से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी129 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (छठा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी130 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों

के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी131 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी132 में प्रकाशित हुए थे।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

5. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनिल बलूनी नेसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में तेईसवां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।

6. उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलेविभाग) की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

7. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति केप्रतिवेदन

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 160वां प्रतिवेदन।

(2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभागों की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 161वां प्रतिवेदन।

(3) न्याय विभाग की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 162वां प्रतिवेदन।

(4) विधायी विभाग की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 163वां प्रतिवेदन।

(5) विधि कार्य विभाग कीअनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 164वां प्रतिवेदन।

8. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री चरनजीत सिंह चन्नी ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' संबंधी सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

(3) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्य पालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

(4) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' संबंधी तीसवां प्रतिवेदन।

(5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।

(6) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'विशिष्ट पर्यटन का विकास (आध्यात्मिक पर्यटन सहित), विषय-आधारित पर्यटक परिपथ और संभावित पर्यटन स्थल' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 357वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1) श्री विजय बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से जुड़े मुद्दों के बारे में।

2) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान में निम्बाहेड़ा से बांसवाड़ा सड़क को चार-लेन वाली सड़क में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बेनीपुर और बिरौल में 'ग्रामीण हाट' और 'खादी मॉल' स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा उत्तर-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक एम्स अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5) श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा जयपुर में डबल-डेकर बसें शुरू किए जाने के लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राजस्थान को निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पूरे देश में मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) श्री महेश कश्यप द्वारा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा ज़िलों में जनगणना के बारे में।

9) श्री लुम्बा राम द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के विकास के बारे में।

10) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में 'दिक्कुओं' को भूमि और स्वामित्वाधिकार हस्तांतरित करने पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री अरुण गोविल द्वारा देश के सभी ज़िलों में वाहनों की फ़िटनेस जाँच के लिए स्वचालित जाँच केंद्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा पीएम जन औषधि परियोजना के अंतर्गत किफायती जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा पंजाब में एनएच-3 पर मनावाला (निज्जरपुरा) टोल प्लाज़ा को स्थानांतरित किए जाने के बारे में।

15) श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धनराशि अंतरण के दौरान साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के बारे में।

16) डॉ. किरसान नामदेव द्वारा महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षा सहायता को सुदृढ़ करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारियों के रद्द किए गए पदों की बहाली के बारे में।

17) श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस द्वारा गोवा में कुशावती नदी पर प्रस्तावित बांध के निर्माण पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल और देश के अन्य भागों में सरकारी और निजी अस्पतालों में कार्य करने वाली नर्सों के मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा केरल के कासरगोड ज़िले में कन्हनगाड स्थित प्रस्तावित मिनी फिशिंग हार्बर परियोजना को अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) श्री छोटेलाल द्वारा उत्तर प्रदेश में कतिपय जातियों के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने के बारे में।

21) श्री नीरज मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश के आँवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेवती बहोड़ा रेलवे स्टेशन के विकास के बारे में।

22) श्रीमती जून मालिया द्वारा देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स और मनोरंजन राइड गतिविधियों को विनियमित किए जाने के लिए एकल सांविधिक राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) सुश्री महुआ मोइत्रा द्वारा सेवा के दौरान घायल हुए, लेकिन सेवानिवृत्ति तक ड्यूटी पर बने रहने वाले सशस्त्र बल कर्मियों की विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट

हटाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा कटपाडी-विलुप्पुरम रेल दोहरीकरण परियोजना को मंज़ूरी दिये जाने और तमिलनाडु में रेल से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25) डॉ. बायरेड्डी शबरी द्वारा आंध्र प्रदेश में मिशन 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के अंतर्गत सभी लक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26) श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा नदियों में अपशिष्ट पदार्थ बहाए जाने के बारे में।

27) श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और सरकारी स्वास्थ्य योजना के साथ आवश्यक दंत उपचार को एकीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28) डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने, फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और देश में घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति के लिए राजनयिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में।

29) श्री राजा राम सिंह द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में समानता को बढ़ावा दिये जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

30) श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई द्वारा दादरा और नगर हवेली में पेसा अधिनियम, 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.10 बजे

11. केंद्रीय बजट - 2026-27 - अनुदानों की मांगें

आवंटित समय: 1 दिन

लिया गया समय: 7 घंटे 55 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 85 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्षपीठ ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के बारे में #घोषणा की।

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

उनहत्तर कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 10, 16 से 32, 34 से 50, 52 से 70, 82 से 87 और 98 से 107) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1) श्री तारिक अनवर

2) श्री गणेश सिंह

3) श्री नीरज मौर्य

4) श्रीमती जून मालिया

5) श्री के. ई. प्रकाश

6) श्री जी. एम. हरीश बालयोगी

7) श्री कौशलेन्द्र कुमार

8) श्री अरविंद गणपत सावंत

9) श्री अमर शरदराव काले

10) श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे

11) श्री बैन्नी बेहनन

12) श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी

13) श्री देवेश शाक्य

14) श्री बी. वाई. राघवेन्द्र

15) कुमारी सैलजा

16) श्री बस्तीपति नागराजू

17) श्री विष्णु दयाल राम

18) श्री बाबू सिंह कुशवाहा

19) एडवोकेट अदूर प्रकाश

20) श्री एम. मल्लेश बाबू

21) श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया

22) श्री अमरा राम

23) श्री ससिकांत सेंथिल

24) श्री धर्मेन्द्र यादव

25) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

26) श्री दिलेश्वर कामैत

27) श्री जनार्दन मिश्रा

28) डॉ. गुम्मा तनुजा रानी

29) डॉ. कलानिधि वीरास्वामी

30) श्री बृजेन्द्र सिंह ओला

31) श्रीमती स्मिता उदय वाघ

32) श्री दरोगा प्रसाद सरोज

33) श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी

34) श्री इमरान मसूद

35) डॉ. भोला सिंह

36) कॉम. सेल्वाराज वी.

37) डॉ. कडियम काव्य

38) श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर

39) श्री सुदामा प्रसाद

40) डॉ. राजीव भारद्वाज

41) श्री सचिदानन्दम आर.

42) *श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल

43) *श्री यदुवीर वाडियार

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

44) *श्री राव राजेन्द्र सिंह

45) *श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर

46) *श्री पी. पी. चौधरी

47) *श्री दुलू महतो

48) *श्री मनीष जायसवाल

49) *श्री कैप्टन बृजेश चौटा

50) *श्री भर्तृहरि महताब

51) *श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे

52) *डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे

53) *सुश्री बाँसुरी स्वराज

54) *श्री मुरारी लाल मीना

55) *श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू

56) *श्री भास्कर मुरलीधर भगरे

57) डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी

58) श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर

59) श्री सुखदेव भगत

60) श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर

61) श्री चंदन चौहान

62) श्री गोपाल जी ठाकुर

63) श्री नरेश गणपत म्हस्के

64) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

65) श्री राजेश रंजन

66) श्री सुनील बोस

67) श्री अरुण गोविल

68) *प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़

69) *श्री दर्शन सिंह चौधरी

70) *एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी

71) *श्रीमती संजना जाटव

72) *डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन

73) *श्री उम्मेदा राम बेनीवाल

74) *श्री अनूप संजय धोत्रे

75) *डॉ. हेमंत विष्णु सवरा

76) *श्री महेश कश्यप

77) *श्री पी. सी. मोहन

78) *श्री अनुराग सिंह ठाकुर

79) *श्री दामोदर अग्रवाल

80) *श्री वरुण चौधरी

81) *श्रीमती रूपकुमारी चौधरी

82) *डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन

83) *श्री नवीन जिंदल

84) *श्रीमती शांभवी

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

85) *श्री रमेश अवस्थी

86) डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा

87) श्री नारायणदास अहिरवार

88) श्री तंगेला उदय श्रीनिवास

89) श्री दुरई वाइको

90) एडवोकेट चन्द्र शेखर

91) श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई

92) श्री अनिल फिरोजिया

93) श्री उज्ज्वल रमण सिंह

94) श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील

95) श्रीमती भारती पारधी

96) श्री जितेंद्र कुमार दोहरे

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 17 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 17 मार्च, 2026 / 26 फाल्गुन, 1947 (शक)

संख्या 124

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 347 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 348 से 360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सदस्यों का निलंबन वापस लिया जाना

श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने आठ सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने का अनुरोध किया।

श्री धर्मेन्द्र यादव, श्रीमती सुप्रिया सुले, [&]श्री राजीव रंजन सिंह और [#]श्री किरेन रिजिजू भी बोले।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से संसदीय मर्यादा, गरिमा और परंपरा को बनाए रखने की [*]अपील की।

[&] पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्री

[#] संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

[*] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

तत्पश्चात, #श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

"कि 3 फरवरी, 2026 को सभा के आदेश द्वारा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित संसद सदस्य श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री हैबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी और श्री एस. वेंकटेशन के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.21 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वस्त्र मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) ने जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत का.आ.845(अ) जो दिनांक 16 फरवरी, 2026 के भारत के रापजत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.1830(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 775(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, ऐसे माल या वस्तुओं के आयात को छूट प्रदान की गई है, जिनकी खेप का लदान पत्र, उसमें उल्लिखित, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के लागू होने की तारीख से पूर्व तथा जिनका आगत पत्र संबधित गुणवत्ता आदेश के लागू होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन या

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

उससे पूर्व प्रेषित किया गया हो।

(दो) का.आ. 776(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, ऐसे माल या वस्तुओं को छूट प्रदान की गई है, जिनके संबंध में क्रय आदेश, उसमें उल्लखित, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के लागू होने की तारीख से पूर्व तथा ऐसे माल और वस्तुओं के संबंध में लदान पत्र और आगम पत्र संबधित गुणवत्ता आदेश के लागू होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन या उससे पूर्व प्रेषित किए गए हो।

(तीन) का.आ. 777(अ) जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में कतिपय संशोधन किए गए है।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) शैलक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसएचईएफईएक्सआईएल) (पूर्व में शैलक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसएचईएफईएक्सआईएल) (पूर्व में शैलक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शैलक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसएचईएफईएक्सआईएल) (पूर्व में शैलक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) की ओर से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2026-2027 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट, नगांव, असम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट, नगांव, असम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) स्फुर्ती वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्फुर्ती वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) ग्रामोदय जन सेवा संस्थान, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्रामोदय जन सेवा संस्थान, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) संविधान के अनुच्छेद 338ख के खंड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई का स्पष्टीकारक ज्ञापन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) मैनमेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (एमएटीईएक्सआईएल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैनमेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (एमएटीईएक्सआईएल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कपड़ा समिति (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

सुश्री कंगना रनौत ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

1) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन।

2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में छब्बीसवां प्रतिवेदन।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (अठारहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

1) वर्ष 2026-27 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

2) "भारत की हिंद महासागर रणनीति का मूल्यांकन" विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे:

1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन।

2) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन।

3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन।

8. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसवराज बोम्मई ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन।

2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2026-27)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री नारायणदास अहिरवार ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

1) जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगें' (2026-27) के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

2) जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगें' (2026-27) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

11. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगी/रखेंगे:-

1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के दो सौ बावनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 255वां प्रतिवेदन।

2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के दो सौ तिरपनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 256वां प्रतिवेदन।

3) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 257वां प्रतिवेदन।

4) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 258वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.26 बजे

12. प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजूने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 16 मार्च, 2026 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.27 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:-

1) डॉ. के. सुधाकर द्वारा देश में शैक्षणिक संस्थानों के निकट स्थित खुदरा दुकानों में उच्च अल्कोहल स्पिरिट युक्त कॉकटेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना के बारे में।

3) श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा टीआरएआई द्वारा कार्यान्वित सेवा गुणवत्ता विनियम, 2024 को जन-केंद्रित बनाने हेतु इसका संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के कालाहांडी में तेल नदी पर नए तुर्केल पुल के निर्माण और भवानीपटना-खारियार चार लेन सड़क परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5) श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्कल आयुर्वेदिक फार्मेसी के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा के संबंध में स्पष्टता के बारे में।

7) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में हाथियों के खतरे से निपटने और राज्य में पीड़ितों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8) श्री आशीष दुबे द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक साइंस सिटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के बारडोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक अतिरिक्त आधुनिक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में नर्मदा नदी पर पुल के निर्माण के बारे में।

11) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बिहार में हाजीपुर से छपरा तक एनएच 31 पर निर्माण और हाजीपुर और शीतलपुर में पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा हीमोफिलिया-ए से पीड़ित मरीजों को एमिसिज़ुमेब दवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे

में।

14) डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कोयले के परिवहन के लिए समर्पित कॉरिडोर के निर्माण के बारे में।

15) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा के कोरापुट जिले के जेपोर में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र का संचालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) डॉ. धर्मवीर गांधी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17) डॉ. शशि थरूर द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम को विजन 2030 अवसंरचना उन्नयन पहल में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18) श्री चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) सुश्री इकरा चौधरी द्वारा दिल्ली-सहारनपुर रेल लाइन पर समपार संख्या 109 पर रेल अंडरब्रिज के बजाय रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) श्री जिया उर रहमान द्वारा संभल और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्रीमती शताब्दी राय द्वारा पश्चिम बंगाल के सूरी जिले के अब्दारपुर में रेल ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22) तिरु डी. एम. कथीर आनंद द्वारा तमिलनाडु में एलपीजी सिलेंडरों की कमी से उत्पन्न स्थिति का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री भास्कर मुरलीधर भगरे द्वारा प्याज के लिए एमएसपी तय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25) श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा महाराष्ट्र में वस्त्र क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में।

26) श्री राजेश वर्मा द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए फ्लैट प्रणाली को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

27) श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में पुलिकट झील क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर लंबे समय से लंबित अंतर-राज्यीय विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा अंतरराज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से मेजबान राज्य को न्यूनतम 15% निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

14. सरकारी विधेयक - वापस लिया गया

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025, प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

अपराह्न 12.28 बजे

15. केंद्रीय बजट - 2026-27 - अनुदानों की मांगें

आवंटित समय: 1 दिन

लिया गया समय:15 घंटे 52 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 85 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती शताब्दी राय
2. *श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
3. *डॉ. रानी श्रीकुमार
4. *श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
5. *श्री बिद्युत बरन महतो
6. श्री अरुण भारती
7. *श्री राजेश वर्मा

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

8. *श्री सी. एन. अन्नादुरई
9. श्री राजमोहन उन्नीथन
10. *श्रीमती सुप्रिया सुले
11. *डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे
12. श्रीमती मालविका देवी
13. *सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
14. श्री अभय कुमार सिन्हा
15. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद
16. *श्री काली चरण सिंह
17. *डॉ. मोहम्मद जावेद
18. डॉ. आलोक कुमार सुमन
19. *श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे
20. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी
21. *श्री हरीश चंद्र मीना
22. डॉ. राजेश मिश्रा
23. श्री भजन लाल जाटव
24. श्री राजीव राय
25. *एडवोकेट डीन कुरियाकोस
26. श्री अब्दुल रशीद शेख
27. *श्री योगेन्द्र चांदोलिया
28. श्री आशीष दुबे
29. श्री मनोज कुमार
30. *श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश
31. श्री विजय कुमार हाँसदाक
32. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर
33. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

34. श्री हनुमान बेनीवाल

35. *श्री हैबी ईडन

36. *श्री प्रदीप कुमार सिंह

37. *सुश्री एस. जोतिमणि

38. श्री राजकुमार रोत

39. *श्री सुनील कुमार

40. *श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी

41. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल

42. *श्री हरेन्द्र सिंह मलिक

43. श्री खगेन मुर्मु

44. @कुमारी सुधा आर.

45. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे

46. *श्री कृपानाथ मल्लाह

47. श्रीमती लवली आनंद

48. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश

49. श्री मलविंदर सिंह कंग

50. प्रो. सौगत राय

51. *श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान

52. *श्री मितेश पटेल बकाभाई

53. *श्री सुरेश कुमार कश्यप

54. श्री कंवर सिंह तंवर

55. श्री जी. कुमार नायक

56. श्री आनंद भदौरिया

57. *कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस

58. श्री नवासखनी के.

@ उन्होंने अपने भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर भी रखा।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

59. *श्री पुष्पेंद्र सरोज

60. *सुश्री इकरा चौधरी

61. श्री शंकर लालवानी

62. डॉ. मल्लू रवि

63. डॉ. राजकुमार सांगवान

64. डॉ. आनन्द कुमार

65. श्री दिनेश चंद्र यादव

66. श्री अभिमन्यु सेठी

67. *श्री प्रवीन खंडेलवाल

68. श्री छोटेलाल

69. श्री जगदम्बिका पाल

70. श्री कामाख्या प्रसाद तासा

71. श्री शेर सिंह घुबाया

72. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज

73. श्री संतोष पांडेय

74. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत

75. श्री अतुल गर्ग

76. श्री लालजी वर्मा

77. श्री राहुल कस्वां

78. *डॉ. विनोद कुमार बिंद

79. श्री अजेन्द्र सिंह लोधी

80. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

81. श्री कुलदीप इंदौरा

82. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन

83. *श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी

84. श्री आर. के. चौधरी

85. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

86. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल

87. श्री तापिर गाव

88. श्री राम शिरोमणि वर्मा

89. *श्री राजू बिष्ट

90. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा

91. *श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई

92. श्री जिया उर रहमान

93. श्री इटेला राजेंदर

94. *श्री अरुण कुमार सागर

95. एडवोकेट प्रिया सरोज

96. श्री जगदीश शट्टर

97. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद

98. श्री वीरेन्द्र सिंह

99. *श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

100. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल

101. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले

102. *श्री मनोज तिवारी

103. डॉ. लता वानखेड़े

104. श्री संजय दिना पाटील

105. *श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

106. *श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

107. *श्रीमती हिमाद्री सिंह

108. श्रीमती कमलेश जांगड़े

109. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन

110. श्री लुम्बाराम चौधरी

111. श्री बलवंत बसवंत वानखडे

112. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

113. श्री मितेशभाई रमेशभाई पटेल
114. श्री तनुज पुनिया
115. श्री प्रताप चंद्र षड़ङ्गी
116. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले
117. *श्री राहुल सिंह लोधी
118. श्रीमती मंजू शर्मा
119. श्री प्रदीप पुरोहित
120. श्री गोडम नागेश
121. श्री कार्तिक चन्द्र पॉल
122. डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा
123. श्री सुधीर गुप्ता
124. श्री भोजराज नाग
125. श्री सतीश कुमार गौतम
126. *श्री बृजमोहन अग्रवाल
127. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
128. *श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल
129. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके
130. श्री दुष्यंत सिंह
131. श्री विजय कुमार दूबे
132. *श्रीमती कमलजीत सहरावत
133. श्री प्रवीण पटेल
134. डॉ. संजय जायसवाल
135. *श्री जुगल किशोर
136. श्री रविन्द्र वसंतराव चव्हाण
137. श्री दिलीप शइकीया
138. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल
139. श्री भारत सिंह कुशवाह

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

140. श्री भरतभाई मनुभाई सुतारिया

141. श्री जगन्नाथ सरकार

142. श्री बिभु प्रसाद तराई

143. श्री के. गोपीनाथ

144. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार

145. श्री ज्ञानेश्वर पाटील

146. श्री मनोज तिग्गा

147. डॉ. निशिकान्त दुबे

148. *श्री अजय भट्ट

149. *श्री बजरंग मनोहर सोनवणे

श्री अश्विनी वैष्णव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अनुदान की मांग संख्या 85 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए रेल मंत्रालय वर्ष 2026 - 2027 के लिए अनुदानों की मांगें - केन्द्रीय बजट की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

रात्रि 8.25 बजे

(लोक सभा बुधवार, 18 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 18 मार्च, 2026/ 27 फाल्गुन, 1947 (शक)

संख्या 125

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने डॉ. कावुरू संबाशिव राव, आठवीं, नौवीं, बारहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 367 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 368 से 380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.958(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 957(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 27 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.61(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 27 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.60(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 19 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.43(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 19 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.44(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.38(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 9 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.15(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 9 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.129(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.130(अ) में प्रकाशित हुए थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवां संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 5 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आरजी-1/1/2025-बी तथा सीएस(2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) की ओर से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 122(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) (एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने श्री कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) की ओर से खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 27 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.150(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सा.का.नि.64(अ) जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) का.आ.397(अ) जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट प्रत्यायन के प्रमाणपत्र संख्या वाले, उसमें उल्लिखित निकायों को कोयला तथा लिग्नाइट का अन्वेषण करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को दिनांक 13 मार्च, 2026 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग विधेयक, 2026 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों तथा स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका" विषय के बारे में सातवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) ।

(2) "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा" विषय के बारे में आठवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग सं. 19, 20 और 21) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2026-27 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(2) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं महानिदेशक (मांग सं. 20 और 21) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2026-27 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(3) 'रक्षा सेवाओं, रक्षा आयोजना, खरीद नीति और रक्षा पेंशन संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21 और 22) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2026-27 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(4) 'रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएँ - नए डीपीएसयू), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 20 और 21) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2026-27 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(5) 'सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (आरआईएमसी) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की समीक्षा' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

8. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अतुल गर्ग ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) (मांग संख्या 10) के बारे में 195वां प्रतिवेदन।

(2) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) (मांग संख्या 11) के बारे में 196वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारतीय चमड़ा उद्योग: वर्तमान विश्लेषण और भविष्य की संभावनाएँ' के बारे में समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 197वां प्रतिवेदन।

9. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. टी. सुमति उर्फ़ तामिझाची थंगापंडियन ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों 2025-26 के बारे में तीन सौ तिरसठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियोंपर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 373वां प्रतिवेदन।

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों 2025-26 के बारे में तीन सौ छियासठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियोंपर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 374वां प्रतिवेदन।

(3) ''उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2026-27)" के बारे में 375वां प्रतिवेदन।

(4) ''युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2026-27)'' के बारे में 378वां प्रतिवेदन।

10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रुचि वीरा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के कार्यकरण तथा स्वास्थ्य परिचर्या और उपचार प्राप्त करने में रोगियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में 171वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 172वां प्रतिवेदन।

(3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 173वां प्रतिवेदन।

(4) आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 174वां प्रतिवेदन।

11. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने23 मार्च, 2026 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

12. 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय को बढ़ाया जाना

श्री पी.पी. चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को

प्रस्तुत किये जाने के लिए समय को मानसून सत्र, 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.09 बजे

13. नियम377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1) श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा ढेंकनाल-जोरंडा महिमा गादी-कपिलास-गांदिया-नीलाकांतपुर मार्ग के साथ चेन्नई-हावड़ा मुख्य लाइन तक एक नई ग्रीनफील्ड रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा के सुबर्णपुर जिले के गोधनेश्वर गांव के पास महानदी नदी पर इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर (आईएसएस) के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) श्री प्रवीण पटेल द्वारा फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आईटी पार्क स्थापित किए जाने और गांवों को आदर्श डिजिटल गांवों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री गणेश सिंह द्वारा श्री राम वन गमन मार्ग से जुड़ी प्राचीन लोककथाओं और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में।

5) श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हंटरगंज बाईपास सड़क के निर्माण के बारे में।

6) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा मेदिनीनगर के रेडमा में एसबीआई बैंक की शाखा को फिर से खोले जाने और पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बिष्णुपुर और बरगढ़ में एसबीआई की नई शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के बोकारो में विस्थापित लोगों के लिए की जा रही सहायता संबंधी कार्रवाइयों के बारे में।

8) डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही से कालीन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) डॉ. संजय जायसवाल द्वारा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में नदी से पत्थर निकालने पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण थारू जनजातीय समुदाय में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में।

10) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में फसल कटाई के मौसम के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्री किशोरी लाल द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित सेना भर्ती कार्यालय का परिचालन और निरंतरता बनाए रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और घरेलू एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इसके प्रभाव के बारे में।

13) श्री एम. के. राघवन द्वारा देश भर में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित उपायों की आवश्यकता के बारे में।

14) श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में पालनपुर शहर से होकर गुजरने वाले एनएच-27 पर अरोमा सर्कल से बिहारी बाग परपाड़ा रोड तक ओवरब्रिज/अंडरपास के निर्माण के बारे में।

15) श्री मनीश तिवारी द्वारा चंडीगढ़ में सुखना झील के पारिस्थितिकीय संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16) श्रीमती रुचि वीरा द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में राम गंगा नदी पर 'गंगा स्नान मेला' की गाद के ऊपर पक्के पुल के निर्माण के बारे में।

17) श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल द्वारा आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की गणना के लिए अलग कॉलम के प्रावधान के बारे में।

18) प्रो. सौगत राय द्वारा देश में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की कमी के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्री आज़ाद कीर्ति झा द्वारा देश में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के संयंत्रों में औद्योगिक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा भारत में 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहे श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता प्रदान करने या दीर्घकालिक वीजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्री के. ई. प्रकाश द्वारा यूपीवीसी प्रोफाइल के आयात में अचानक हुई वृद्धि और घरेलू विनिर्माण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में।

22) श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा बिहार में मधेपुरा से लहरिया सराय तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सड़क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) श्रीमती जोबा माझी द्वारा सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय में एक इनडोर खेल स्टेडियम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत में गन्ना प्रजनन संस्थान का एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25) श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के पूर्णिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमजीएसवाई और 'हर घर नल से जल' योजना में कथित अनियमितताओं के बारे में।

26) श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से संबंधित वेतन और निधि अनुदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली एसएनए-स्पर्श को सुदृढ़ और स्थिर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.11 बजे

14. अध्यक्षपीठ द्वारा सभा की बैठकें रद्द किए जाने के संबंध में घोषणा

अध्यक्षपीठ ने [$]घोषणा की कि गुरुवार, 19 मार्च 2026 और शुक्रवार, 20 मार्च 2026 के लिए निर्धारित लोक सभा की बैठकें रद्द कर दी गई हैं और उनके स्थान पर लोक सभा शनिवार, 28 मार्च 2026 और रविवार, 29 मार्च 2026 को बैठेगी।

अपराह्न 12.12 बजे

15. केंद्रीय बजट 2026-2027 - अनुदानों की मांगें

आबंटित समय: 1/2 दिन
लिया गया समय : 5 घंटे 50मिनट

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 1 और 2 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्षपीठ ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में [$]घोषणा की।

68 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 14, 22 to 44, 47 से 58, 65 से 72, 84 और 85, 88 से 90, 94 से 99) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग
2. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
3. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल
4. *श्री जी. एम. हरीश बालयोगी
5. *श्री पी. पी. चौधरी
6. *श्रीमती भारती पारधी
7. *सुश्री एस. जोतिमणि
8. *श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
9. *श्री अरुण भारती
10. *श्रीमती मालविका देवी

[$] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[*] लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

11. *श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे
12. *श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह
13. *श्री बिभु प्रसाद तराई
14. *श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
15. *एडवोकेट प्रिया सरोज
16. *प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
17. *श्री यदुवीर वाडियार
18. *श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी
19. *श्री मितेश पटेल बकाभाई
20. *श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
21. *श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल
22. *श्री नरेश गणपत म्हस्के
23. *डॉ. किरसान नामदेव
24. *डॉ. रानी श्रीकुमार
25. *श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी
26. *श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
27. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
28. *श्री बलवंत बसवंत वानखडे
29. *श्री सेल्वम जी.
30. श्री मुरसोली एस.
31. *डॉ. टी. सुमति *उर्फ* तामिझाची थंगापंडियन
32. *डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे
33. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव
34. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर
35. श्री संजय उत्तमराव देशमुख
36. *डॉ. हेमंत विष्णु सवरा
37. श्री मोहिते-पाटील धैर्यशील राजसिंह
38. *श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर
39. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

40. *श्रीमती शांभवी
41. *श्रीमती कमलेश जांगड़े
42. *श्री भर्तृहरि महताब
43. श्री सुदामा प्रसाद
44. *श्री अरुण कुमार सागर
45. श्री राजेश वर्मा
46. *श्रीमती जोबा माझी
47. *श्री अनुराग सिंह ठाकुर
48. श्री जय प्रकाश
49. *श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी
50. *श्री प्रदीप पुरोहित
51. श्री दुष्यंत सिंह
52. *डॉ. आलोक कुमार सुमन
53. *श्री सुनील कुमार
54. *श्री मनीष जायसवाल
55. *श्री बृजमोहन अग्रवाल
56. श्री सुधाकर सिंह
57. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी
58. *श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई
59. श्री अमरा राम
60. श्री नवासखनी के.
61. *श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर
62. श्री चरनजीत सिंह चन्नी
63. *श्री भास्कर मुरलीधर भगरे
64. *डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश
65. *श्री वरुण चौधरी
66. *श्रीमती सुप्रिया सुले
67. *श्री प्रवीण पटेल
68. श्री राजकुमार चाहर

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

69. *श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
70. *डॉ. मोहम्मद जावेद
71. *श्री कैप्टन बृजेश चौटा
72. *डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
73. श्रीमती डिम्पल यादव
74. *श्री विष्णु दत्त शर्मा
75. *श्रीमती स्मिता उदय वाघ
76. *डॉ. विनोद कुमार बिंद
77. *श्री अनूप संजय धोत्रे
78. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
79. *श्री विष्णु दयाल राम
80. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी
81. *श्रीमती रुचि वीरा
82. श्री राहुल सिंह लोधी
83. *श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव
84. कॉम सेल्वाराज वी.
85. श्री किशोरी लाल
86. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी
87. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास
88. *एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
89. *श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
90. *श्री नवीन जिंदल
91. श्रीमती संजना जाटव
92. डॉ. राजकुमार सांगवान
93. श्री राजेश रंजन
94. *श्री आशीष दुबे
95. *डॉ. लता वानखेड़े
96. *श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही
97. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

98. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

99. *डॉ. राजेश मिश्रा

100. *श्रीमती मंजू शर्मा

101. *एडवोकेट डीन कुरियाकोस

102. *श्री लुम्बाराम चौधरी

103. *डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले

104. श्री हनुमान बेनीवाल

105. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई

106. *श्री तारिक अनवर

107. *श्री गणेश सिंह

108. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा

109. *श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल

110. *सुश्री बाँसुरी स्वराज

111. *श्री उम्मेदाराम बेनीवाल

112. *श्री जगदम्बिका पाल

113. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक

114. श्री अब्दुल रशीद शेख

115. एडवोकेट चन्द्र शेखर

116. श्री मोहम्मद हनीफ़ा

117. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव

118. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

119. *श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस

120. *श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान

121. *श्री राम शिरोमणि वर्मा

122. *श्री मुकेश राजपूत

123. *श्रीमती लवली आनंद

124. *श्री श्रेयस एम. पटेल

125. *श्री धर्मबीर सिंह

126. *श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

127. *सुश्री इकरा चौधरी
128. *श्री पुष्पेंद्र सरोज
129. *श्री सुरेश कुमार कश्यप
130. *श्री हरीभाई पटेल
131. *श्री दर्शन सिंह चौधरी
132. *डॉ. संजय जायसवाल
133. *श्रीमती रूपकुमारी चौधरी
134. *श्री कुलदीप इंदौरा
135. *श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे
136. *डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन
137. *श्री राहुल कस्वां
138. *श्री अजेन्द्र सिंह लोधी
139. *श्री अनुराग शर्मा
140. *श्री अजय भट्ट
141. *श्री जुगल किशोर
142. *श्री महेश कश्यप
143. *श्री दिलीप शइकीया
144. *श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
145. *श्री खगेन मुर्मु
146. *श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि
147. *श्री मनोज तिवारी
148. *श्रीमती संध्या राय
149. *श्री शंकर लालवानी
150. *श्री मुरारी लाल मीना
151. *श्री रमेश अवस्थी

श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अनुदानों की मांग संख्या 1 और 2 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिनके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय बजट 2026-2027 - अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 6.03 बजे

16. केन्द्रीय बजट - 2026-2027 - अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने $घोषणा की कि वर्ष 2026-2027 के लिए अनुदानों की मांगों पर परिचालित किए गए सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए गए माने जाएंगे।

सभी कटौती प्रस्ताव, जो पेश किए गए माने गए, अस्वीकृत हुए।

निम्नलिखित अनुदानों की बकाया मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) वर्ष 2026-2027 के लिए केन्द्रीय बजट - अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए सभा में मतदान के लिए रखी गईं और वे पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं:-

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3:
(2) आयुष मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4;
(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7;
(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8;
(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9;
(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11;
(7) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13;
(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15;
(9) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16;
(10) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17;
(11) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18;
(12) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 22;
(13) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23;
(14) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24;
(15) शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 और 26;
(16) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27;

$ मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(17) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28;

(18) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29;

(19) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 से 38, 41 और 42;

(20) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43 और 44;

(21) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45;

(22) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 और 47;

(23) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48;

(24) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 से 59;

(25) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60;

(26) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61;

(27) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63;

(28) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64;

(29) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65 और 66;

(30) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68;

(31) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69;

(32) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70;

(33) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71;

(34) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72;

(35) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73;

(36) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74;

(37) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76;

(38) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77;

(39) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78;

(40) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79;

(41) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 81;

(42) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 82;

(43) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 83;

(44) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86;

(45) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87 और 88;

(46) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 से 91;

(47) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92;

(48) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93 और 94;

(49) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 95;

(50) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96;

(51) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97;
(52) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98;
(53) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99;
(54) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100;
(55) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101; और
(56) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102.

सायं 6.11 बजे

17. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026

18. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.14 बजे

(लोक सभा सोमवार, 23 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 23 मार्च, 2026/ 2 चैत्र, 1948 (शक)

संख्या 126

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख*

अध्यक्ष ने सभा की ओर से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की जो 23 मार्च, 1931 को शहीद हुए थे।

इसके बाद, सदस्य दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कुछ देर के लिए मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 428 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 429 से 440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(दो) गुरुवार, 19 मार्च, 2026 और शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को निर्धारित लोक सभा की बैठकों के रद्द होने के कारण, उन दिनों के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 400 (19.03.2026) और 401 से 420 (20.03.2026) को भी अतारांकित माना गया है और उनके उत्तर भी अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600 (19.03.2026) और 4601 से 4830 (20.03.2026) के उत्तरों के साथ दिन के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड. की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) संरक्षित स्मारक "भीमेश्वर मंदिर, साथ ही सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 192 के एक भाग में शामिल समीपवर्ती भूमि, समलकोट-भीमावरम (अब समलकोट), जिला-पूर्वी गोदावरी (अब काकीनाडा), आंध्र प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(दो) संरक्षित स्मारक "प्राचीन मंदिरों सहित किला, जिला - जैसलमेर, राजस्थान" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(तीन) संरक्षित स्मारक "उक्त दीवारों से घिरे क्षेत्रों के भीतर स्थित सभी प्राचीन संरचनाएँ तथा अन्य स्मारक या अवशेष; तहसील - राजगीर, जिला - नालंदा, बिहार" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(चार) संरक्षित स्मारक "जौनपुर किला और टर्किश बाथ का हमाम, ज़िला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(पांच) संरक्षित स्मारक "श्री धेनुपुरीश्वर मंदिर और उपरोक्त मंदिर से जुड़ा उद्यान, मदम बक्कम (मदमबक्कम), जिला- चेंगई अन्ना (अब चेंगलपट्टू), तमिलनाडु" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(छह) संरक्षित स्मारक "श्री हनुमान की विशाल मूर्ति, ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर, जवारी मंदिर, घौताई मंदिर (घंटाई मंदिर), आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, खजुराहो, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2026 ।

(सात) संरक्षित स्मारक "एक टीले में बौद्ध अवशेष, घंटसाला गाँव, दिवि तालुक (अब घंटसाला), ज़िला-किस्तना (अब कृष्णा), आंध्र प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026।

(आठ) संरक्षित स्मारक "वे सभी प्राचीन संरचनाएँ और कृत्रिम गुफाएँ तथा टीले जिनमें प्राचीन अवशेष विद्यमान हैं, और जो 'पुराना राजगृह' तथा 'नया राजगृह' के नाम से विख्यात दो प्राचीन नगरों–राजगीर, ज़िला नालंदा, बिहार–से आधे मील की दूरी के भीतर स्थित हैं" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(नौ) संरक्षित स्मारक "माधोगंज में उग्रसेन की बावली, जंतर-मंतर वेधशाला के निकट, दिल्ली" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(दस) संरक्षित स्मारक "श्री कोडंडारामास्वामी मंदिर, वोंटीमिट्टा, जिला - कडप्पा (अब-वाईएसआर कडपा), आंध्र प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(ग्यारह) संरक्षित स्मारक "अशोक का शिलालेख तथा उससे सटा हुआ क्षेत्र, जो सर्वेक्षण भूखंड संख्या 600, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली के एक भाग में स्थित है," के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम 2026 ।

(बारह) संरक्षित स्मारक "तेल्लीचेरी किला, थालास्सेरी, ज़िला-कन्नूर, केरल" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2026 ।

(2) (एक) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 24 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. फेमा 6 (आर)/(5)/2026-आरबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन [संशोधन] विनियम, 2026 जो दिनांक 6 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीवी सं. 02112/स्टाफ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (पंडित रघुनाथ मुर्मू की ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2026, जो दिनांक 9 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.118(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2026, जो दिनांक 12 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.125(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2026, जो दिनांक

23 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.140(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नई दिल्ली के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2026 जो दिनांक 26 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.149(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सिक्का निर्माण (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद के शताब्दी समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का किया जाना) नियम, 2026, जो दिनांक 13 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.182(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सिक्का निर्माण (इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के 150वें वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2026, जो दिनांक 13 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.183(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.905(अ), जो दिनांक 18 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पदार्थों, लवणों और उनकी निर्मितियों को विनिर्मित ओषधि घोषित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.906(अ), जो दिनांक 18 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 की अधिसूचना संख्या का.आ.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.907(अ), जो दिनांक 18 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026, जो दिनांक 11 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1259(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत माल और सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2026, जो दिनांक 12 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 9/8/2010-आईएफ-आई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 55 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. एचओ/एचआरएमडी/डीओसी /2025/03246 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.356(अ), जो दिनांक 22 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.383(अ), जो दिनांक 27 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.419(अ), जो दिनांक 27 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ.462(अ), जो दिनांक 30 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ.474(अ), जो दिनांक 2 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा उसका शुद्धिपत्र, जो दिनांक 3 फरवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या का.आ. 495(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 496(अ), जो दिनांक 3 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 578(अ), जो दिनांक 5 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 599(अ), जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 787(अ), जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 890(अ), जो दिनांक 18 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 987(अ), जो दिनांक 24 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की

अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.1099(अ), जो दिनांक 27 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा साथ दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ.1318(अ), जो दिनांक 13 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 181(अ), जो दिनांक 12 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 781(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) दिनांक 6 मार्च, 2026 का आदेश संख्या फा.सं. 452/12/2022-सीमाशुल्क V (2026 का तदर्थ छूट आदेश संख्यांक 01), जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा चीतों के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 389(अ) जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फा.सं.एमएएनयूयू/ईआर-(बी)/फा.सं.138 जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, 'परिनियम 12' में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फा.सं.आरजीयू/एडीएम-38/ओआरडी/10(खंड-II) जो दिनांक 11 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, परिनियम 2(4) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जोकि राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कुलपति की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 45 की उप-धारा (2) के अंतर्गत, सिक्किम विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2025 जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.एसयू/आरईजी/एफ़-1/06/2018/खंड.I/138 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला, राउरकेला के वर्ष 2024-2025 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला, राउरकेला के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर, सिरमौर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बैंगलोर, बैंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बैंगलोर, बैंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया, बोध गया के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया, बोध गया के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, झारखंड के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी133 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026, जो दिनांक 2 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी134 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी135 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी136 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी137 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी138 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों हेतु शोधन अक्षमता प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी139 में प्रकाशित हुए थे।

4. महिला सशक्तीकरण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. डी. पुरंदेश्वरी ने गृह मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'साइबर अपराध और महिलाओं की साइबर सुरक्षा' विषय के बारे में महिला सशक्तीकरण संबंधी समिति (2025-26) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन' विषय के बारे में सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम-कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 46वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'बीमा क्षेत्र का कार्य-निष्पादन समीक्षा एवं विनियमन' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 66वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

के संबंध में समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 13वें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2024-25)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) कारपारेट कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.06 बजे

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

कॉरपोरेट विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने *कॉरपोरेट विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026* को पुर:स्थापित किए जाने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. प्रो. सौगत राय
3. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

8. प्रस्ताव - स्वीकृत

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

> "कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए;
>
> कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक-तिहाई होगी;
>
> कि समिति मानसून सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;
>
> कि अन्य मामलों में,संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम,ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करे; और
>
> कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।"

***अपराह्न 12.22 बजे**

9. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री गुरजीत सिंह औजला ने भारतीय खाद्य निगम और पंजाब राज्य भंडारण निगम की निविदा प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के बारे में एक निवेदन किया।

$श्री अमित शाह ने उत्तर दिया।

%श्री रवनीत सिंह ने भी उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.40 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

10. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 2.24 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1) श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग के पुनरुद्धार के लिए चाय बागानों के निवासियों को परजा पट्टा भूमि अधिकार प्रदान किए जाने के साथ-साथ नई श्रम संहिता को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2) श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के बारे में।

---

* अपराह्न 12.22 बजे से अपराह्न 1.40 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

$ गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री

% खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

3) श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा राजस्थान में 'एक जिला एक उत्पाद' योजना में जयपुर के नीली मिट्टी के बर्तनों (सांगानेरी प्रिंट) को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्रीमती डी. के. अरुणा द्वारा तेलंगाना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य मंदिरों में कार्यरत बहुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं/सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5) डॉ. के. सुधाकर द्वारा देश में मानसूनी वर्षा और कृषि गतिविधियों पर अल नीनो के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए जिला स्तर पर आकस्मिक योजना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक नया कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमरोहा-कैल्सा सीमा रेल पुल के शीघ्र निर्माण के बारे में के बारे में।

8) डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा जनगणना 2026-27 में अनुसूचित जनजातियों की गणना के बारे में।

9) श्री नवीन जिंदल द्वारा देश में दुग्ध उत्पादों में हो रही व्यापक मिलावट को नियंत्रित करने के लिए व्यापक और कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के चतरा जिले में मगध और आम्रपाली कोयला परियोजनाओं से खनन किए गए कोयले के परिवहन के लिए एक समर्पित गलियारे के निर्माण के बारे में।

11) श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा सराहन-चंडीगढ़ सड़क का सुधार और चौड़ीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री दिनेशभाई मकवाणा द्वारा अहमदाबाद से ग्वालियर और आगरा के लिए वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता।

13) श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव द्वारा गुजरात में पंचमहल-पाटनगर और गांधीनगर-अहमदाबाद-नाडियाड-गोधरा-दाहोद मार्ग पर यात्री रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता।

14) श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश द्वारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल लाइन के निर्माण के लिए जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहीत की गईं,

उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता।

15) श्री वरुण चौधरी द्वारा चंडीगढ़ में पंजाब के साथ साझा विधानसभा भवन में हरियाणा विधानसभा के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

16) श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा राजस्थान के बालोतरा जिले में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में।

17) श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी ढांचा प्रदान किए जाने और कृषि उपज की खरीद के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता।

18) सुश्री इकरा चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को मेरठ-करनाल और पंचकुला-अंबाला-देहरादून सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में। ।

19) श्री पठान यूसुफ द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित खागड़ाघाट रोड रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-कामाख्या वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 27575/27576) को ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में। ।

20) श्रीमती जून मालिया द्वारा देश में वन्यजीवों के संरक्षण और बचाव के लिए व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में। ।

21) श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में कैंसर डे केयर सेंटर के निर्माण में तेजी लाए जाने और क्षेत्र में उच्च जोखिम वाले कैंसर रोगियों की लक्षित स्क्रीनिंग शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में। ।

22) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार में सुपौल और दरभंगा के बीच कोसी नदी पर सड़क और पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में। ।

23) श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा महाराष्ट्र में छात्र-शिक्षक अनुपात के मानदंडों में ढील देने और मराठी माध्यम के विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

24) श्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल दूरसंचार टावरों की स्थापना के बारे में।

25) श्री अमरा राम द्वारा देश में श्रमिकों और कामगारों पर नए श्रम कानूनों के कथित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में।

26) श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई द्वारा तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना - 2019 के अनुमोदन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.25 बजे

12. सरकारी विधेयक- विचाराधीन

वित्त विधेयक,2026

आबंटित समय: 1 दिन
लिया गया समय : 4 घंटे 43 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. अमर सिंह
2. डॉ. निशिकान्त दुबे
3. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर
4. प्रो. सौगत राय
5. तिरु अरुण नेहरू
6. श्री सुनील कुमार
7. श्री अनिल यशवंत देसाई
8. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
9. श्रीमती शांभवी
10. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
12. श्री अभय कुमार सिन्हा
13. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
14. श्री बसवराज बोम्मई
15. श्री सचिदानन्दम आर.

16. श्री नवासखनी के.

17. डॉ. राजकुमार सांगवान

18. श्री राजा राम सिंह

19. डॉ. शिव पाल सिंह पटेल

20. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.

21. श्री पी. पी. चौधरी

22. श्री नीरज मौर्य

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.08 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 24 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 24 मार्च, 2026/ 3 चैत्र, 1948 (शक)

संख्या 127

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 447 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 448 को लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 449से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5061से 5210 और 5212 से 5290 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

माननीय अध्यक्ष ने सभा को *सूचित किया कि असम के नगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री प्रद्युत बोरदोलोई ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 20 मार्च, 2026 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

---

*मूल हिंदी में। विवरण के लिए कृपया वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वस्त्र मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.774(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2026 जो दिनांक 2 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1125(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उप-धारा (8) के अंतर्गत विस्फोटक (संशोधन) नियम 2026 जो दिनांक 3 मार्च 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.154(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1) विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले**)** की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखी:-

(एक) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.1018(अ) जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, किण्वित जैविक खाद तथा द्रव किण्वित जैविक खाद के विनिर्माताओं को उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक, अपने उत्पाद की थोक में किसानों को सीधे बिक्री करने के लिए अधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (संकर्म) और उप निरीक्षक (संकर्म) योधक (समूह 'ख' पद संवर्ग) भर्ती नियम, 2026 जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 144(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, कनिष्ठ इंजीनियर/निरीक्षक (विद्युत) तथा कनिष्ठ इंजीनियर/उप-निरीक्षक (विद्युत), भर्ती नियम, 2026 जो दिनांक 24 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 79 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपदा प्रबंधन (कठिनाई निवारण) आदेश, 2026 जो दिनांक 2 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1104(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नै के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नै के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) की ओर से राष्ट्रीय न्यायलयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 जो दिनांक 17 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.876(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 23 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.139(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.1176(अ) जो 6 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 फरवरी 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ.79(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.1177(अ) जो दिनांक 06 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च 1971 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजीव राय ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के विनियमों में कमियां' संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय के 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचित खनिज रियायत नियम, 1960 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 और उनके परवर्ती संशोधनों में कमियां' संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 और उनके परवर्ती संशोधनों में कमियां' संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय चमड़ा उद्योग: वर्तमान विश्लेषण और भविष्य की संभावनाएं' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा गोरखपुर से दिल्ली**,** अमृतसर और देहरादून के लिए यात्री हवाई सेवायें शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित ओसीएफ इंटर कॉलेज को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा नाथद्वारा से जयपुर तक बरास्ता भीलवाड़ा- शाहपुरा- केकड़ी -तोडाराईसिंह होते हुए नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. डॉ. संजय जायसवाल द्वारा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में चंपारण शुगर कंपनी लिमिटेड के पुनरुद्धार के बारे में।

6. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा एकीकृत सिंचाई योजना के माध्यम से झारखंड में विभिन्न संभावित जल निकायों का दोहन किए जाने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) के अंतर्गत पॉम ऑयल प्रसंस्करण मिलों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए संपूर्ण सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा भारत में बेचे जाने वाले वैश्विक उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के समान सुनिश्चित किए जाने के लिए कड़े एफएसएसएआई विनियमों की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा सभी हिंदी भाषी राज्यों में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों की कार्यवाही और आदेशों में हिंदी भाषा को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री अतुल गर्ग द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन हवाई अड्डे से यात्री उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री प्रताप चंद्र षड़ङ्गी द्वारा ओडिशा के बालासोर के रेमुना में अच्युतपुर में **50** बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ. आनन्द कुमार द्वारा चिकित्सा बीमा योजनाओं में पारदर्शिता के बारे में।

14. श्री उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा देश में भूजल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में।

15. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, **1956** और **1976** के उपबंधों की एकसमान व्याख्या सुनिश्चित किए जाने के लिए स्पष्टीकरण/परामर्श/संशोधन जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री मनीश तिवारी द्वारा चंडीगढ़ नगर निगमों में वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. डॉ. किरसान नामदेव द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र की लंबित धनराशि जारी करने और राज्य में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे तटबंध के निर्माण के बारे में।

19. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में लुम्बिनी-टांडा मार्ग तथा टांडा और बस्ती के बीच घाघरा नदी पर बने पुल को चार लेन वाले मार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. प्रो. सौगत राय द्वारा पश्चिम एशियाई देशों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. डॉ. बायरेड्डी शबरी द्वारा पुराने गुर्दा रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत प्रभावी उपाय और बुनियादी ढांचा तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे द्वारा महाराष्ट्र में चीनी मिलों को ब्याज छूट योजना-**2018** के अंतर्गत लंबित ब्याज सब्सिडी को जारी करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा राष्ट्रीय किला संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना और विशेष रूप से महाराष्ट्र में यूनेस्को-सूची में शामिल किलों का संरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकताके बारे में।

24. श्री अरुण भारती द्वारा बिहार के जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एक समर्पित स्किल इंडिया हब केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा आंध्र प्रदेश में हाशिए वाले समुदायों के लिए बनाए गए छात्रावासों में खाद्य सुरक्षा और पोषण मानकों को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री मोहम्मद हनीफ़ा द्वारा लद्दाख में छात्रों द्वारा सामना की जा रही सर्दियों और भूभाग संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए इस क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित करने हेतु एक विशेष और वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

8. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

वित्त विधेयक, 2026

आवंटित समय: **1** दिन

लिया गया समय: **8** घंटे **51** मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा **23** मार्च**, 2026** को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

वाद- विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री नवीन जिंदल
3. श्री रामप्रीत मंडल
4. श्री पुष्पेंद्र सरोज
5. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम
6. श्री तटकरे दत्तात्रेय सुनील
7. श्री राव राजेन्द्र सिंह
8. डॉ. किरसान नामदेव
9. एडवोकेट प्रिया सरोज
10. श्री गुरजीत सिंह औजला
11. श्री जगदम्बिका पाल
12. एडवोकेट चन्द्र शेखर
13. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू
14. श्री राजेश रंजन
15. श्री अब्दुल रशीद शेख
16. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
17. श्री सागर ईश्वर खंड्रे
18. श्री कैप्टन बृजेश चौटा

19. श्री मलविंदर सिंह कंग

20. सुश्री इकरा चौधरी

21. श्री राजकुमार रोत

22. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई

23. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी

24. डॉ. के. सुधाकर

25. डॉ. विनोद कुमार बिंद

26. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़

27. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

28. श्री हनुमान बेनीवाल

29. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.20 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुशंसित समय: **3** घंटे

लिया गया समय: **2** घंटे **26** मिनट

डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:–

1. सुश्री एस. जोतिमणि
2. श्री आनंद भदौरिया
3. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन
4. श्रीमती जून मालिया
5. डॉ. बायरेड्डी शबरी

6. श्रीमती सुप्रिया सुले

7. श्री प्रताप चंद्र षड़ङ्गी

8. श्री अरविंद गणपत सावंत

9. डॉ. आलोक कुमार सुमन

10. श्री नरेश गणपत म्हस्के

11. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी

12. श्री अभय कुमार सिन्हा

13. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे

14. श्री बलवंत बसवंत वानखडे

15. कुमारी सुधा आर.

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इसे खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खण्ड **2** स्वीकृत हुआ।

खण्ड **3** स्वीकृत हुआ।

खण्ड **4** स्वीकृत हुआ।

खण्ड **5** स्वीकृत हुआ।

खण्ड **6** स्वीकृत हुआ।

खण्ड **7** स्वीकृत हुआ।

खण्ड **8** स्वीकृत हुआ।

खण्ड **1,** अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

***10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री किरेन रिजीजू ने कार्य मंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सायं 6.47 बजे

(लोक सभा बुधवार, 25 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

*अपराह्न 5.47 बजे

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 25 मार्च, 2026/ 4 चैत्र, 1948 (शक)

संख्या 128

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने श्री विष्णु मोदी, आठवीं लोक सभा के सदस्य और श्री दत्ता मेघे, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाहन 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 461, 463 से 466 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 467 से 480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5291 से 5458 और 5460 से 5520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सत्रहवीं और अठारहवी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

सत्रहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 28	पहला सत्र, 2019
2. विवरण संख्या 23	छठा सत्र, 2021
3. विवरण संख्या 18	आठवां सत्र, 2022
4. विवरण संख्या 15	नौवां सत्र, 2022
5. विवरण संख्या 13	दसवां सत्र, 2022
6. विवरण संख्या 14	ग्यारहवां सत्र, 2023
7. विवरण संख्या 12	बारहवां सत्र, 2023
8. विवरण संख्या 12	चौदहवां सत्र, 2023
9. विवरण संख्या 9	पंद्रहवां सत्र, 2024

अठारहवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या 9	दूसरा सत्र, 2024
11. विवरण संख्या 8	तीसरा सत्र, 2024
12. विवरण संख्या 6	चौथा सत्र, 2025
13. विवरण संख्या 3	पांचवां सत्र, 2025
14. विवरण संख्या 2	छठा सत्र, 2025

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 41 के अंतर्गत डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण नियम, 2025 जो दिनांक 13 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 846(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 892(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण में) और दिनांक 6 फरवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 113(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 845(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड में चार सदस्य होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 18 की उप-धारा (1) और (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.844(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और इसे सौंपे गए कार्य करने के लिए भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 843(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह नियत किया गया है कि (क) इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2), धारा 2, धाराएं 18 से 26, धाराएं 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, और धारा 44 की उपधाराएं (1) और (3) प्रवृत्त होंगी; (ख) इस राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (9) और धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंध प्रवृत्त होंगे; (ग) इस राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से अठारह महीने की तिथि पर धारा 3 से 5, धारा 6 की उपधारा (1) से (8) और (10), धारा 7 से 10, धारा 11 से 17, धारा 27, उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) को छोड़कर, धारा 28 से 34, धारा 36, 37 और धारा 44 की उपधारा (2) के उपबंध प्रवृत्त होंगे; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त मद संख्या (1) से (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप धारा (4) के अन्तर्गत विधिक मापविज्ञान (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 2026 जो दिनांक 12 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**;** तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह**)** ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित के बारे में प्राप्त तीन संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि 12 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, राज्य सभा ने 1 मई, 2026 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त की और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों को संसूचित किया, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए हैं:-

1. डॉ. जॉन ब्रिटास
2. श्री मिलिंद मुरली देवरा
3. डॉ. सैयद नसीर हुसैन
4. श्री संजय कुमार झा

5. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

6. श्री देबाशीष सामंतराय

7. श्री अरुण सिंह

(दो) कि 12 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, राज्य सभा ने 1 मई, 2026 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त की और राज्य सभा के निम्नलिखित छह सदस्यों के नामों, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए हैं और शेष एक रिक्ति को अगले सत्र में भरे जाने के बारे में संसूचित किया:-

1. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण

2. डॉ. के. लक्ष्मण

3. श्री प्रफुल्ल पटेल

4. श्री सुखेन्दु शेखर रॉय

5. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह

6. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

(तीन) कि 12 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, राज्य सभा ने 1 मई, 2026 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित दस सदस्यों को निर्वाचित किया: -

1. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक

2. डॉ. एम. धनपाल

3. श्री चंद्रकांत दामोदर हंडोरे

4. श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक्

5. श्री मिथलेश कुमार

6. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

7. डॉ. वी. शिवादासन

8. श्रीमती ममता ठाकुर

9. श्री बालयोगी उमेशनाथ

10. श्री पी. विल्सन

6. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जिया उर रहमान ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2026-27)'संबंधी 376वां प्रतिवेदन।

(2) 'महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2026-27)' संबंधी 377वां प्रतिवेदन।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बलवंत बसवंत वानखडे ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 406वां प्रतिवेदन।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 407वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 408वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 409वां प्रतिवेदन।

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 410वां प्रतिवेदन।

(6) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 411वां प्रतिवेदन।

8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 387वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 388वां प्रतिवेदन।

(3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 389वां प्रतिवेदन।

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 390वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2026-27) के बारे में 391वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) ने कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) की ओर से कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल की माल यातायात आमदनी को बढ़ाना और समर्पित माल ढुलाई गलियारों का विकास करना' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.07 बजे

10. प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 24 मार्च, 2026 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

11. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

*विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, **2026***

श्री नित्यानन्द राय ने श्री अमित शाह की ओर से विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित किए जाने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

तत्पश्चात, अध्यक्षपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत विधेयक के पुरःस्थापन के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश के बारे में घोषणा* की।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
3. श्रीमती प्रतिमा मण्डल

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराह्न 12.19 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के मानपुर हवाई पट्टी से उत्तर प्रदेश के हिंडन हवाई अड्डे तक यात्री विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के परिचालन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

3. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा 'दीनदयाल जन आजीविका योजना- शहरी' को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई द्वारा दादरा और नगर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नर्मदा नदी के जल को गंगापुर और कर्जन बांधों तक पंहुचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा कर्नाटक में स्वीकृत नारी अदालतों के संचालन में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा देश में संचालित 1400 मीटर तक की लंबाई वाले रनवे/हवाई पट्टियों और उनके अनुरूप विमान मॉडलों संबंधी सूचना के बारे में।
8. श्री पी. पी. चौधरी द्वारा देश में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय रजोनिवृत्ति नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी द्वारा कर्नाटक में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के जाजपुर जिले के चंडीखोल में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यकरण में कथित अनियमितताओं के बारे में।
12. श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की रेलवे से संबंधित मुद्दों के बारे में।
13. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'हर घर जल' योजना में कथित अनियमितताओं के बारे में।
14. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से तेलंगाना सरकार को बकाया धनराशि के हस्तांतरण में तेजी लाए जाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे द्वारा जनहित और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आईडीबीआई के प्रस्तावित विनिवेश पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा महाराष्ट्र के भंडारा जिले में किसानों को लंबित मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में धानका समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बारे में।
18. श्री राजीव राय द्वारा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक एम्स अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं के दृष्टिगत 'ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास' की परियोजना को स्थगित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और समय पर सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तीसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के जल निकायों को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नव नालंदा महाविहार (मानद विश्वविद्यालय) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री चंदन चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मवाना - नीरावली मोड - मखदूमपुर सड़क का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किए जाने के बारे में।

अपराह्न 12.20 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

वित विधेयक, 2026

आबंटित समय: **1** दिन

लिया गया समय: 10 घंटे 25 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 23 मार्च, 2026 को विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 6 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (**i**) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 6क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 6क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 24 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 8क और 8ख के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क और 8ख भी स्वीकृत हुए।

खण्ड 9 और 10 स्वीकृत हुए।

खण्ड 11, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 27 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 11क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (**i**) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 28 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 12क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 12क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 29 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 13क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 13क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 से 25 स्वीकृत हुए।

खण्ड 26, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 26क और 26ख के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 26क और 26ख भी स्वीकृत हुए।

खण्ड 27 से 33 स्वीकृत हुए।

खण्ड 34, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 35 से 37 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम **388** के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (**i)** को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 33 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 37क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 37क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 38, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39 से 62 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 35 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 62क और 62ख के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 62क और 62ख भी स्वीकृत हुए।

खण्ड 63, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 64 से 70 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 38 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 70क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 70क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 71 से 79 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 39 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 79क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 79क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 80 से 83 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 83क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 83क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 84 से 90 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 90क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 90क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 91 से 105 स्वीकृत हुए।

खण्ड 106, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 107, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 108, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 109 और 110 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 46 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 110क के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 110क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 111 से 135 स्वीकृत हुए।

खण्ड 136, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 137 से 144 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2026 की सरकारी संशोधन संख्या 49 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 145 के अंतःस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 145 भी स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 1.55 बजे

14. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025, प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

आवंटित समय: **4** घण्टे
लिया गया समय: 4 घण्टे 32 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1 श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश

2 श्री अनुराग सिंह ठाकुर

3 श्री वीरेन्द्र सिंह

4 प्रो. सौगत राय

5 श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव

6 डॉ. कलानिधि वीरास्वामी

7 श्री दिलेश्वर कामैत

8 श्री संजय उत्तमराव देशमुख

9	श्री भास्कर मुरलीधर भगरे
10	श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
11	श्री राहुल कस्वां
12	श्री पी. पी. चौधरी
13	श्री अभय कुमार सिन्हा
14	श्रीमती वीणा देवी
15	श्री अमरा राम
16	श्री भजन लाल जाटव
17	श्री अनूप संजय धोत्रे
18	श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल
19	श्री मड्डीला गुरूमूर्ति
20	श्री तंगेला उदय श्रीनिवास
21	श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
22	श्री चंदन चौहान
23	श्री राजा राम सिंह
24	श्री इटेला राजेंदर
25	डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे
26	श्रीमती प्रतिमा मण्डल
27	श्री राजेश रंजन
28	श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
29	श्री यदुवीर वाडियार
30	श्री उम्मेदा राम बेनीवाल
31	श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
32	एडवोकेट चन्द्र शेखर
33	डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले

34 श्री दर्शन सिंह चौधरी

35 डॉ. कडियम काव्य

चर्चा पूरी नहीं हुई।

15. [$]लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने घोषणा की कि शनिवार, 28 मार्च, 2026 और रविवार, 29 मार्च, 2026 के लिए लोक सभा की निर्धारित बैठकें रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने यह भी सूचना दी कि शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य नहीं लिया जाएगा।

सायं 6.28 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[$] अपराह्न 4.47 बजे। मूल हिंदी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/ 6 चैत्र, 1948 (शक)

संख्या 129

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 486 और 488 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 487 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 489 से 500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5521 से 5750 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरण, लद्दाख के वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरण, लद्दाख के वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पूर्वी सियांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पूर्वी सियांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(34) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(36) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 24 की उप धारा (3) के अंतर्गत मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2026 जो दिनांक 19 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.138(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय नर्स परिषद {नर्स प्रैक्टिशनर इन नियोनेटल नर्सिंग (एनपीएनईओएन) - स्नातकोत्तर रेजीडेंसी कार्यक्रम} विनियम, 2024 जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11-1/2024-आईएनसी (VIII) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय नर्स परिषद {नर्स प्रैक्टिशनर इन फैमिली हेल्थ (एनपीएफएच) - स्नातकोत्तर रेजीडेंसी कार्यक्रम} विनियम, 2024 जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11-1/2024-आईएनसी (VI) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय नर्स परिषद {नर्स प्रैक्टिशनर इन पीडियाट्रिक नर्सिंग (एनपीपीएन) - स्नातकोत्तर रेजीडेंसी कार्यक्रम} विनियम, 2024 जो दिनांक 30 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11-1/2024-आईएनसी (XI) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय नर्स परिषद {नर्स प्रैक्टिशनर इन एनेस्थीसिया (एनपीए) - स्नातकोत्तर रेजीडेंसी कार्यक्रम} विनियम, 2024 जो दिनांक 17 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11-1/2024-आईएनसी (IX) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय नर्स परिषद {नर्स प्रैक्टिशनर इन नेफ्रोलॉजी नर्सिंग (एनपीएनईपीएन) - स्नातकोत्तर रेजीडेंसी कार्यक्रम} विनियम, 2024 जो दिनांक 17 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11-1/2024-आईएनसी (X) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पाँच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(8) (एक) ओषधि (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 16 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 67 के अंतर्गत राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 13 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.185(अ) में प्रकाशित हुए थे, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2026/03 जो दिनांक 10 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमों से संबंधित अध्यादेश संख्या 2020 का 6 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.1243(अ) जो दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 मार्च, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(3) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 113 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन, संचार और सिग्नल्स) (पहला संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 5 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.155(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम 2026, जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2026 का 02-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 2026 का 05-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसका आशय पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या 2026 का 06-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसका आशय पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 2026 का 07-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विमानन टरबाइन ईंधन को अनुसूची में शामिल करने और उस पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क निर्धारित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची का संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) अधिसूचना संख्या 2026 का 08 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय निर्यात के लिए मंजूरी दिए जाने पर विमानन टरबाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) अधिसूचना संख्या 2026 का 09-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय निर्यात के लिए मंजूरी दिए जाने पर विमानन टरबाइन ईंधन को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना संख्या 2026 का 10-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय निर्यात के लिए मंजूरी दिए जाने पर पेट्रोल और डीजल तथा विमानन टरबाइन ईंधन पर लागू आधारभूत उत्पाद शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना संख्या 2026 का 11-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय निर्यात के लिए मंजूरी दिए जाने पर पेट्रोल तथा डीजल के लिए सड़क और अवसंरचना उपकर की दरों को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) अधिसूचना संख्या 2026 का 12-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय निर्यात के लिए मंजूरी दिए जाने पर पेट्रोल और डीजल की अधिसूचना के उपबंधों को शामिल नहीं किए

जाने के लिए अधिसूचना सं. 4/2019-केन्द्रीय उत्पाद में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना संख्या 2026 का 13-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर पूर्व की विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दर को समाप्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना संख्या 2026 का 7-सीमा शुल्क जो दिनांक 26 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विमानन टरबाइन ईंधन के आयात को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान करना है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की राशि के समतुल्य है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(1) कि राज्य सभा ने 25 मार्च, 2026 को हुई अपनी बैठक में, कॉरपोरेट विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पर सभाओं की संयुक्त समिति गठित करने के लिए लोक सभा की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की और यह संकल्प लिया कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कि राज्य सभा 25 मार्च, 2026 को हुई अपनी बैठक में, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री विष्णु दयाल राम ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सेवाओं और वाणिज्यिक तथा आवासीय इकाइयों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(2) 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में दसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने 'रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात नियमों/विनियमों आदि को तैयार जाने की स्थिति' के बारे में सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुधाकर सिंह ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'देश में तिलहन और दलहन का उत्पादन और उपलब्धता' विषय के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'भू-जल बचाने के लिए पानी की कम खपत वाले बीजों की किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान' विषय के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पैंतीसवां प्रतिवेदन।

(4) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में नौवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(5) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में ग्यारहवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(6) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में बारहवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन।

8. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुधाकर सिंह ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'देश में गोपशुओं में लम्पी त्वचा रोग के फैलाव और तत्संबंधी मुद्दे' विषय के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के छियासठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(4) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के छठे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों /सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

9. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदान की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

10. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) परियोजना का कार्यान्वयन' के बारे में समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) ।

(3) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'कपास क्षेत्र का विकास' के बारे में समिति के पचपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

11. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार' (2024-25) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय के 'ग्राम ऊर्जा स्वराज: ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना' (2024-25) के बारे में इक्कीसवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय के 'पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत निधियों का हस्तांतरण' (2024-25) के बारे में पंद्रहवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसवां प्रतिवेदन।

12. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) ।

(2) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में सातवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) का कार्यकरण (2024-25)' के बारे में दसवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

13. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) इस्पात मंत्रालय के 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की संगठनात्मक संरचना और कार्यनिष्पादन- एक समीक्षा' विषय के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय के 'इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति' विषय के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

14. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में नौवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में दसवें प्रतिवेदन (18 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में 11वें प्रतिवेदन (18 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

15. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) की ओर से निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित ‘सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन’ के बारे में अनुदानों की मांगों (2025-26, मांग संख्या 19, 20 और 21) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'थल सेना, वायु सेना, नौसेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं महानिदेशालय' के बारे में अनुदानों की मांगों (2025-26, मांग संख्या 20 और 21) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति ।

(3) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'रक्षा सेवाओं, रक्षा आयोजना, खरीद नीति और रक्षा पेंशन संबंधी पूंजीगत परिव्यय' के बारे में अनुदानों की मांगों (2025-26, मांग संख्या 21 और 22) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (2024-25) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं- नए डीपीएसयू), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर' के बारे में अनुदानों की मांगों (2025-26, मांग संख्या 20 और 21) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति ।

16. संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025; और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय को बढ़ाया जाना।

श्रीमती अपराजिता सारंगी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025; और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के लिए समय को मानसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा में वीर सुरेंद्र साए के नेतृत्व में हुए विद्रोह की द्विशतवार्षिकी (200वीं वर्षगांठ) को राष्ट्रीय स्तर पर मनाये जाने की आवश्यकता के बारे में ।

2. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर जलाशयों के संभावित जल संसाधनों का उपयोग करके मत्स्यपालन को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में ।
3. श्री अरुण गोविल द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मेरठ में पीएमएसएसवाई के तहत एम्स जैसा अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
4. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा देश में विशेष रूप से घरेलू क्षेत्र में कार्यरत वाणिज्यिक एयरलाइन पायलटों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में ।
5. श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा गुजरात के आणंद जिले में चरोतर सहकारी खांड उद्योग लिमिटेड के पुनरुद्धार के बारे में।
6. श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा और सहरसा जिलों में केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष के तहत शेष 15 किमी सड़क खंड के निर्माण के बारे में।
7. श्री मनोज तिवारी द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली में सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने और उसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं के लिए किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
8. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
9. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा मुंबई के सांताक्रूज (पूर्व) में रक्षा भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
10. श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने और शहीदों के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में।
11. श्री मोहम्मद हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप में निजी और पण्डारम भूमि पर निर्माण के लिए सभी विस्थापन प्रमाणपत्रों को रद्द करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
12. डॉ. मल्लू रवि द्वारा राष्ट्र निर्माण में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान को सम्मान देने के लिए मुद्रा नोटों पर उनका चित्र मुद्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा देश में युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने और सरकारी नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
14. श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा देश में सिगरेट और तंबाकू निर्माण इकाइयों को जारी औद्योगिक लाइसेंसों में पारदर्शिता के बारे में।
15. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में उचित दर दुकान (फेयर प्राइस शॉप) डीलरों की मांगों को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

16. श्री अनिल यशवंत देसाई द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
17. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में कृषि योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालय का एक उप-केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में ।

***अपराह्न 2.06 बजे**

18. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) की ओर से जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित किए जाने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे:-

1. डॉ. कडियम काव्य
2. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

---

* अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 2.06 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाये।

#अपराह्न 5.10 बजे

19. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025, प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 22 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 25 मार्च, 2026 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. सुश्री कंगना रनौत
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
4. डॉ. निशिकान्त दुबे (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 30 मार्च, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

अपराह्न 2.18 बजे से अपराह्न 5.10 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 30 मार्च, 2026/ 9 चैत्र, 1948 (शक)

संख्या 130

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 501 से 511 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 512 से 520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5751 से 5980 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मोती दमन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित।

(दो) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मोती दमन के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप, कवरत्ती के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप, कवरत्ती के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप, कवरत्ती के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) स्टार्स प्रोजेक्ट (समग्र शिक्षा) केरल, तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टार्स प्रोजेक्ट (समग्र शिक्षा) केरल, तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का संख्यांक 39)-(वाणिज्यिक)-(अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)।

(दो) मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का संख्यांक 36) (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल और वाणिज्यिक)।

(तीन) मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का संख्यांक 37)-विधानसभा रहित संघ राज्यक्षेत्र (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)।

(चार) मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2025 का संख्यांक 31) - रक्षा सेवाएं (वायु सेना) (अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा) - (खंड-एक)।

(पांच) मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (संख्यांक 2025 का 1) - रक्षा सेवाएं (वायु सेना) (अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा) - (खंड-दो) ।

(छह) मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (संख्यांक 2025 का 32) - रक्षा सेवाएं - नौसेना और तटरक्षक (अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा) ।

(सात) वर्ष 2024-2025 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग एक- समीक्षा)।

(आठ) वर्ष 2024-2025 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग दो- विस्तृत विनियोग लेखे)।

(नौ) वर्ष 2024-2025 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे [भाग दो- विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)] ।

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 159(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1004(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 20 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एनआरओ-जीएन/2026/295 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 11 मार्च, 2026 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/297 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास कोष (सीडीएमडीएफ) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की राय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्ट्रेस्ड असेट्स स्टेबिलाइज़ेशन फंड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की राय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैगेज नियम, 2026 जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 90(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयात शुल्क का आस्थगित संदाय (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 81(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमाशुल्क बैगेज (घोषणा और प्रक्रमण) विनियम, 2026 जो दिनांक 1 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत जारी समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 941(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. सोमन्ना) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरंबदूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरंबदूर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, हनुमाकोंडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, हनुमाकोंडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, कामद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, कामद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, कामद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, खोरदा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, खोरदा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, खोरदा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, दुर्ग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, दुर्ग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, दुर्ग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ.697(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ.623(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) का.आ.699(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) का.आ.700(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1354(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) का.आ.701 जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3557(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(5) का.आ.707 जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2938(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) का.आ.708 जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 6225(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(7) का.आ.709(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.4090(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 2026 को पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 25 मार्च, 2026 को पारित वित्त विधेयक, 2026 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडार प्रबंधन और संचलन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2023 का संख्यांक 20' के बारे में समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(2) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से संबंधित 'मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) में आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यक्रम [नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2023 का संख्यांक 18 के अध्याय-चार पर आधारित]' के बारे में समिति का तीसवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विवरण

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वालेनिम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) एनएमडीसी लिमिटेड के परिचालन निष्पादन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2019 का संख्यांक 5 के आधार पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(2) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2021 का संख्यांक 14 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 6.1 के आधार पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(3) 'ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(4) 'भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(5) 'भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(6) 'इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. निशिकान्त दुबे ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्भव का प्रभाव और संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का सत्ताईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने 'रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम तथाएनसीआरटीसी की भूमिका' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाईके बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों से संबंधित मुकदमें' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 366वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और खेलो इंडिया के कार्यकरण और निष्पादन की समीक्षा' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 369वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 12.30 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के जलग्रहण क्षेत्र से पानी को चैनेलाइज किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में भूमि नीति की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के सारण जिले के मशरख स्थित केंद्रीय विद्यालय में दो पालियों में शिक्षण कक्षाएं शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र में सहकारी औद्योगिक इकाइयों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा देश में बच्चों में न्यूरोडेवलपमेंटल विकारों (तंत्रिका-विकासात्मक विकारों) को दूर करने के लिए उनकी शीघ्र पहचान करने और प्रभावी सहायता प्रणाली की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा इंदौर से जयपुर तक बरास्ता चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर प्रस्तावित रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में 200 बिस्तरों वाले रेडिएशन इमरजेंसी अस्पताल की स्थापना के बारे में।
8. श्री भारत सिंह कुशवाह द्वारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में निवेश और व्यापार सुविधा सम्मेलन केंद्र (कन्वेंशन सेंटर) स्थापित किए जाने के बारे में।
9. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा टाटानगर-गमारिया-कांड्रा खंड में रेल यातायात को कम करने के लिए झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाईपास रेल लाइन विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री पी. सी. मोहन द्वारा खाद्य श्रृंखला और मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक्स के अवशोषण के बढ़ते खतरे को दूर करने के लिए व्यापक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हिंजिली और सुरदा विधानसभा क्षेत्रों में जल शोधन संयंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश में पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क का चार लेन वाली सड़क के रूप में निर्माण किए जाने के बारे में।
13. श्रीमती डी. के. अरुणा द्वारा तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को बनाए रखने के लिए तेलंगाना सरकार पर बल दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम द्वारा मणिपुर में जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने से पहले अवैध प्रवासियों के सत्यापन को पूरा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. डॉ. किरसान नामदेव द्वारा महाराष्ट्र में धान की खरीद के लक्ष्य और समय सीमा को बढ़ाये जाने के साथ-साथ लंबित भुगतान जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत की सुविधा के लिए पीएमजीएसवाई में आवश्यक संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा तेलंगाना के खम्माम जिले में नेलाकोंडापल्ली बुद्ध स्तूप की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री वरुण चौधरी द्वारा भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल 2030 के मेजबान या सह-मेजबान के रूप में हरियाणा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री राम प्रसाद चौधरी द्वारा देश में साइबर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी नीति बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एम्स की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री पठान यूसुफ द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार कैडर के अधिकारियों के लिए सेवा नियमों को तैयार करने और लागू करने में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा सामुदायिक पैरामेडिक्स को सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जाने और उन्हें देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के साथ एकीकृत किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा भैंसलोटन बैराज से हाजीपुर तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 के विकास के बारे में।

अपराह्न 12.32 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025, प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

आबंटित समय: 04 घंटे

लिया गया समय: 06 घंटे 11 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 25 मार्च, 2026 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 14 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 19, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 20, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 21 और 22 स्वीकृत हुए।

खंड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 24 से 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 32 से 42 स्वीकृत हुए।

खंड 42क स्वीकृत हुआ।

खंड 43 से 46 स्वीकृत हुए।

खंड 46क, 46ख और 46ग स्वीकृत हुए।

खंड 47 से 63 स्वीकृत हुए।

खंड 64, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 65 से 67 स्वीकृत हुए।

खंड 68, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक, यथासंशोधित, के पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 1.22 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुज्ञेय समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 06 घंटे 07 मिनट

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
2. डॉ. संबित पात्रा
3. डॉ. बायरेड्डी शबरी
4. सुश्री महुआ मोइत्रा
5. श्री जिया उर रहमान
6. श्री अरविंद गणपत सावंत
7. [1]श्री नित्यानन्द राय (हस्तक्षेप किया)
8. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे
9. श्री अरुण भारती
10. श्री अभय कुमार सिन्हा
11. डॉ. मल्लू रवि

---

[1] गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

12. श्री संतोष पांडेय
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री अमरा राम
15. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत
16. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
17. श्री धर्मेन्द्र यादव
18. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी
19. श्री राजा राम सिंह
20. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी
21. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास
22. डॉ. निशिकान्त दुबे
23. डॉ. किरसान नामदेव
24. श्री असादुद्दीन ओवैसी
25. श्री राजेश रंजन
26. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
27. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
28. सुश्री कंगना रनौत
29. श्री हनुमान बेनीवाल
30. एडवोकेट चन्द्र शेखर
31. श्री अब्दुल रशीद शेख
32. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
33. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
34. श्री राजकुमार रोत
35. श्रीमती भारती पारधी

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 7.29 बजे

(लोक सभा बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 01 अप्रैल, 2026/ 11 चैत्र, 1948 (शक)

संख्या 131

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 521 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 522 से 540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5981 से 6210 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (अनुसंधान विकास और नवाचार निधि का उपयोग) वित्तीय नियम, 2026 जो दिनांक 2 मार्च, 2026 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, लेखा अधिकारी की भर्ती की विधि, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम, 2026 जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, मुख्य संचालन अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी की भर्ती की विधि, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम, 2026 जो दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.127(अ) में प्रकाशित हुए थे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय (गति शक्ति विश्वविद्यालय) परिनियम, 2026 जो दिनांक 19 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा.सं.जीएसवी/आरईजी/ परिनियम/अधिसूचना/सी1/2026/77 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2022-23)' विषय के बारे में लोक लेखा समिति (2025-26) का उनतालीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'पूर्व तट रेलवे में मंचेश्वर कैरिज मरम्मत कार्यशाला का कार्यकरण' विषय के बारे में लोक लेखा समिति (2025-26) का चालीसवां प्रतिवेदन।

(3) 'भूजल प्रबंधन और विनियमन' के बारे में लोक लेखा समिति के चौहत्तरवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतालीसवां प्रतिवेदन।

(4) 'भारतीय सेना में दिव्यांगता पेंशन' के बारे में लोक लेखा समिति के एक सौ इक्कीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बयालीसवां प्रतिवेदन।

(5) 'यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी के गैर-प्रभार के कारण परिहार्य भुगतान' के बारे में लोक लेखा समिति के एक सौ छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(6) 'भारतीय रेल में गाड़ियों का पटरी से उतरना' के बारे में लोक लेखा समिति के एक सौ बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चवालीसवां प्रतिवेदन।

5. लोक लेखा समिति के विवरण

श्री जगदम्बिका पाल ने लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'सेवा प्रदाता के लिए विनिमय दर और अनुचित लाभ का गलत अभिग्रहण' के बारे में समिति के एक सौ बारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) ।

(2) 'मोबाइल नाइट्रोजन गैस जेनरेटर संयंत्र का परिहार्य प्रापण, सामग्री का निष्फल प्रापण, एकीकृत वायुस्थैतिकी निगरानी प्रणाली का विकास तथा वाहन परीक्षण स्थल के निर्माण पर अनियमित व्यय' के बारे में समिति के एक सौ इकतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(3) 'भारत में जल प्रदूषण' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(4) 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के बारे में समिति के एक सौ चौंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(5) 'केंद्रीय विद्यालय संगठन और गुजरात विद्यापीठ' के बारे में समिति के एक सौ बाईसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तैंतीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(6) 'निधियों का प्रबंधन' के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(7) 'बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बैंगलोर (बीआईएएल) – न्यासीय कर्तव्य की विफलता के कारण बकाया राशियों की संदिग्ध वसूली' के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(8) 'चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) के संबंध में की गई कार्यवाही टिप्पणों का मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय पर प्रस्तुत न किया जाना' के बारे में समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(9) 'विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) का कार्यनिष्पादन' के बारे में समिति के नब्बेवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(10) 'दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण और विकास' के बारे में समिति के एक सौ पाँचवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तैंतालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(11) 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के बारे में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सैंतालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(12) 'वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन' के बारे में समिति के पाँचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं

लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तिरसठवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(13) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2018-19)' के बारे में समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़सठवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(14) 'रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन' के बारे में समिति के एक सौ छहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तिहत्तरवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने "गंगा एक्सप्रेसवे" के संबंध में (एक) श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी, संसद सदस्य (दो) श्रीमती लवली आनंद, संसद सदस्य (तीन) श्री राजकुमार चाहर, संसद सदस्य और (चार) श्री चंदन चौहान, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1088 के 05.02.2026 को दिए गए उत्तर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026

अपराह्न 12.07 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा उत्तर-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में।

2. श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के मैहर जिले में रोपवे परियोजनाओं और खनन क्षेत्र के सीमांकन के बारे में।
3. श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा के डीएमसीएच में अन्तः रोगी विभाग सेवाएँ आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री इटेला राजेंदर द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का विस्तार किए जाने और देश भर में इसे प्रभावी और एक समान रूप से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. डॉ. आनन्द कुमार द्वारा देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में जनरल और सिजेरियन डिलीवरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से संचालित कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक आधुनिक खेल स्टेडियम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री धर्मबीर सिंह द्वारा यूरिया और डीएपी पर उर्वरक राजसहायता को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को मुआवज़ा दिए जाने के बारे में।
12. श्री प्रवीण पटेल द्वारा फूलपुर को 'डिजिटल मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट' के तौर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री दुलू महतो द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के कारण विस्थापित परिवारों के युवाओं के लिए आयु में छूट और रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने के बारे में।
14. श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कथित तौर पर जन सुनवाई किये बिना वन विभाग द्वारा जारी किए गए बेदखली नोटिस से उत्पन्न स्थिति के बारे में।
15. डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार के किशनगंज जिले में नदी के किनारों के कटाव को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्रीमती संजना जाटव द्वारा राजस्थान के भरतपुर में ऐतिहासिक लोहागढ़ किले का

पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण किये जाने तथा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस द्वारा गोवा में नशाखोरी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा तेलंगाना के मंचेरियल में खनन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री ज़िया उर रहमान द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री राजीव राय द्वारा उत्तर प्रदेश के मऊ के बुनकरों के लिए सब्सिडी वाली बिजली की दरें फिर से बहाल किये जाने के बारे में।
21. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में स्थापित डे केयर कैंसर सेंटर्स का संचालन शुरु करने में तेज़ी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र, खासकर बीड जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा देश में एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्रीमती शांभवी द्वारा बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुशेश्वरस्थान में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन की स्थापना के बारे में।
25. श्री सचिदानन्दम आर. द्वारा तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय (जीआरयू) का केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन किये जाने के बारे में।
26. श्री चंदन चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची के हिंदी संस्करण में 'धनगर' जाति की सही वर्तनी से संबंधित स्पष्टीकरण के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

9. सांविधिक संकल्प- स्वीकृत

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ख के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 26 मार्च, 2026 की अधिसूचना संख्या 07/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, [सा.का.नि.206(अ), 26 मार्च, 2026], जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची का संशोधन करना है, ताकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल

(एटीएफ) [एचएस 2710] पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जा सके और एटीएफ पर 50 रुपये प्रति लीटर की दर निर्धारित की जा सके, का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।"

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

10. सरकारी विधेयक - पारित

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026

आबंटित समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 01 घंटा 49 मिनट

श्री नित्यानन्द राय द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मणिक्कम टैगोर बी.
2. [1]डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी
3. डॉ. सी. एम. रमेश
4. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
5. श्री धर्मेन्द्र यादव
6. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी
7. डॉ. डी. पुरंदेश्वरी
8. श्री अरविंद गणपत सावंत
9. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम
10. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे
11. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
12. [2]श्री जी. किशन रेड्डी
13. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

---

[1] ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री।

[2] कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री।

14. डॉ. मल्लू रवि

15. श्री राजेश रंजन

16. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

17. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी

श्री नित्यानन्द राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 1.59 बजे
11. सरकारी विधेयक - पारित

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन)विधेयक, 2026

आबंटित समय: 04 घंटे
लिया गया समय: 04 घंटे 50 मिनट

श्री पीयूष गोयल द्वारा श्री जितिन प्रसाद की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी
2. श्री तेजस्वी सूर्या
3. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक
4. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली
5. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर
6. श्री अरविंद गणपत सावंत

7. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
8. श्री राजेश वर्मा
9. डॉ. कडियम काव्य
10. श्री प्रवीन खंडेलवाल
11. श्री अभय कुमार सिन्हा
12. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके
13. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
14. श्री अमरा राम
15. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल
16. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
17. श्री श्रेयस एम. पटेल
18. श्री रमेश अवस्थी
19. श्री मियां अल्ताफ अहमद
20. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति
21. श्री चंदन चौहान
22. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
23. श्री शशांक मणि
24. श्री राजेश रंजन
25. श्री हनुमान बेनीवाल
26. श्री अब्दुल रशीद शेख
27. एडवोकेट चन्द्र शेखर
28. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
29. एडवोकेट प्रिया सरोज
30. श्री राजकुमार रोत
31. श्रीमती मालविका देवी
32. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
33. श्री सुदामा प्रसाद
34. श्री जगदम्बिका पाल

श्री पीयूष गोयल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

12*. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 1 अप्रैल, 2026 को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।

13*. **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक – सभा पटल पर रखा गया**

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026।

\# **रात्रि 8.01 बजे**

(लोक सभा गुरुवार, 02 अप्रैल, 2026 के पूर्वाह्न11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* अपराह्न 5.16 बजे

\# सायं 6.50 बजे से रात्रि 8.01 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 02 अप्रैल, 2026/ 12 चैत्र, 1948 (शक)

संख्या 132

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्षपीठ ने श्री जंगबीर सिंह, दसवीं लोक सभा के सदस्य; तथा श्री नारायण साहू, सातवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 541-548 और 551 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 549 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 550 तथा 552 से 560 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6211 से 6440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद- विवाद देखें।

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विमान वस्तुओं में हित संरक्षण अधिनियम, 2025 की धारा 10 की उपधारा 14 के अंतर्गत विमान वस्तुओं में हित संरक्षण नियम, 2026 जो दिनांक 30 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 12 फरवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 124(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 35 के अंतर्गत वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2026 जो दिनांक 17 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.137(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (छठा संशोधन) विनियम, 2026 जो दिनांक 10 मार्च, 2026 की अधिसूचना संख्या एल-7/1/0एस44(59)-सीईआरसी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(2) विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 13 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2026 का संख्यांक 02) -रक्षा सेवाएँ (वायु सेना) (खंड-दो)।

(दो) वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2026 का संख्यांक 06) (वित्तीय लेखापरीक्षा)-वित्त मंत्रालय, संघ सरकार के लेखे ।

(तीन) 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2026 का संख्यांक 05) (अनुपालन लेखापरीक्षा)-वित्त और संचार ।

(चार) मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2025 का संख्यांक 40)-राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर, बैंकों और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को छूट, और कटौतियों संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन- (निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल) ।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सा.का.नि. 242(अ), जो दिनांक 31 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में विनिर्मित वस्तुओं हेतु मंजूरी के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में विशेष एक-बारगी राहत खिड़की के रूप में सीमा शुल्क की रियायती दरें लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2026 जो दिनांक 3 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 492(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने भारतीय नर्स परिषद, 1947 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) (एक) भारतीय नर्स परिषद {नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी (एनपीएम) प्रशिक्षक कार्यक्रम}, विनियम, 2023 जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11-1/2022-आईएनसी(एक) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय नर्स परिषद {मेंटल हेल्थ/साइकिएट्रिक नर्सिंग में नर्स प्रैक्टिशनर (एनपीएमएच) - पोस्टग्रेजुएट रेजीडेंसी प्रोग्राम} विनियम, 2023 जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के फा.सं. 11-1/2022-आईएनसी (दो) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय नर्स परिषद (पीडियाट्रिक स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा- रेज़िडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2023 जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11-1/2022-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय नर्स परिषद (आपातकालीन और ट्रॉमा केयर में नर्स प्रैक्टिशनर-पोस्टग्रेजुएट रेजीडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2022 जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11-1/2022-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली लिमिटेड, दमन के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली लिमिटेड, दमन का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अंतर्गत औद्योगिक संबंध संहिता (कठिनाइयों का निवारण) (संशोधन) आदेश, 2026 जो दिनांक 2 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.464(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ) जो दिनांक 2 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि (क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16); (ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20); और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंध दिनांक 21 नवम्बर, 2025 की अधिसूचना में नियत तारीख से निरसित हो गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (चौथा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 1 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.01(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 4 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.107 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5521(अ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56ए एवं बी के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 22.850 तक लखनऊ बाईपास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28

(नया एनएच-27) के डिजाइन किमी. 8.00 से किमी. 137.970 तक लखनऊ-अयोध्या खंड की चार लेन की परियोजना के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 की प्रकाशित शुल्क संबंधी अधिसूचना का.आ. 5948(अ) में संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 5568(अ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के डिजाइन किमी. 170.700 से किमी. 234.567 (विद्यमान चैनेज किमी. 170.700 से किमी. 236.150) तक भद्राचलम से कोंटा खंड के पैव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 5569(अ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 (नया एनएच-231) के किमी. 90.000 से किमी. 177.960 तक महेशखूंट - सहरसा - पूर्णिया खंड के पैव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 5570(अ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716जी के डिजाइन किमी. 56.400 से किमी. 120.300 तक (किमी. 70.200 से किमी. 77.105 तक कादिरी बाईपास को छोड़कर) बी. कोथापल्ली से गोरंटला खंड के पैव्ड शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 5571(अ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (नया एनएच-39) के डिजाइन चैनेज किमी. 219.600 से किमी. 260.660 तक (विद्यमान किमी. 218.500 से किमी. 259.640) खजुरी गांव-विंधमगंज (झारखंड-उत्तर प्रदेश सीमा) की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 5660(अ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 340बी के डिजाइन चैनेज किमी.

0.000 से किमी. 53.330 तक (विद्यमान किमी. 0.000 से किमी. 56.200) सोमयाजुलपल्ली - डोन खंड की 2 एलपीएस/4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 5686(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एनएच-227एफ के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 34.556 तक चोरमा - बैरगनिया खंड के पैव्ड शोल्डर सहित 2 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 5687(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में हाइब्रिड एनुइटी मोड पर डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 69.000 तक (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 544डी के विद्यमान किमी. 0.000 से किमी. 74.450) अनंतपुर - मुचुकोटा - बुग्गा खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 5741(अ) जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में हाइब्रिड एनुइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (नया एनएच-39) के डिजाइन चैनेज किमी. 147.540 से किमी. 196.870 तक (विद्यमान किमी. 148.020 से किमी. 197.420) भोगू गांव - साखा, गढ़वा रोड खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 5805(अ) जो दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जो उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227ए के डिजाइन किमी. 54.960 से किमी. 89.720 तक (विद्यमान किमी. 55.00 से किमी. 90.00) छपिया गांव के निकट से सिकरीगंज खंड तक की 2 एलपीएस/4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 5900(अ) जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 पर किमी. 274.800 से किमी. 341.600 तक (डिजाइन चैनेज किमी. 274.800 से किमी. 338.030) और तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 पर किमी. 0.000 से किमी. 59.600 तक (डिजाइन चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 61.470)

के तिरुपति-तिरुथानी-चेन्नई खंड की 2 एलपीएस/4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 5901(अ) जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 179ए के किमी. 17.800 से किमी. 80.000 तक सेलम से वाणियमबाड़ी खंड की 2 एलपीएस /4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 5945(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 552 एक्सटेंशन के मिहोना से लहर से दबोह खंड के डिजाइन किमी. 2.800 से किमी. 10.955 तथा डिजाइन किमी. 17.335 से किमी. 36.540 तक और दबोह से भांडेर से उत्तर प्रदेश सीमा खंड के डिजाइन किमी. 40.230 से किमी. 70.525 तथा डिजाइन किमी. 76.900 से किमी. 89.860 तक और मिहोना बाईपास डिजाइन किमी. 0.000 से 2.800, लहर बाईपास डिजाइन किमी. 11.000 से 17.300, दबोह बाईपास डिजाइन किमी. 36.500 से 40.200 और भांडेर बाईपास डिजाइन किमी. 70.600 से 78.400 तक के खंड के पैव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 5946(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएचडीपी चरण-V के अंतर्गत बीओटी (टोल) आधार पर एनएच-48 (पुराना एनएच-46) के किमी. 0.000 से किमी. 148.300 तक कृष्णागिरी - वालजाहपेट खंड की छह लेन की परियोजना के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 2417(अ) दिनांक 05 अक्टूबर, 2010 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 31(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में हाइब्रिड एनुइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148बी के किमी. (-) 0.464 से किमी. 40.880 तक (कुल लंबाई 41.344 किमी.) भिवानी-हांसी खंड की 4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 93(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मेरठ शहर को बाईपास करते हुए सलरपुर जलालपुर (मेरठ) गांव के पास एनएच-119 (नया एनएच-34) को दौराला (मेरठ) गांव के पास एनएच-58 (नया एनएच-334) से जोड़ने वाले एनएच-709ए के मेरठ - गढ़मुक्तेश्वर खंड के स्पर (डिजाइन किमी. 0.800 से डिजाइन किमी. 12.828) की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 114(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के डिजाइन किमी. 230.400 से डिजाइन किमी. 335.850 तक (विद्यमान किमी. 230.400 से विद्यमान किमी. 349.260) (वेंगलम जंक्शन से कप्पिरिक्कड खंड) की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 176(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में डिजाइन किमी. 0.000 (विद्यमान किमी. 167.624) पर देवली से डिजाइन किमी. 82.810 (विद्यमान किमी. 250.434) पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 के कोटा बाईपास जंक्शन तक के खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 177(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152जी के किमी. 0.000 से किमी. 22.850 तक जलभेड़ा - शाहबाद खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 444ए के किमी. 0.000 से किमी. 30.910 तक अंबाला-साहा-शाहबाद खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 215(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के डिजाइन किमी. 1.000 से किमी. 86.057 तक नकरेकल-नागार्जुनसागर खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 216(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में ईपीसी

मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162ई के डिजाइन किमी. 0.00 से किमी. 88.800 तक (विद्यमान किमी. 150.00 से किमी. 55.950) चारभुजा से नीचली ओडन खंड के पैव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 254(अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (नया एनएच-44) के दिल्ली-आगरा खंड (बदरपुर एलिवेटेड हाईवे खंड) पर डिजाइन किमी. 16.100 से किमी. 20.500 तक के खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 255(अ) जो दिनांक 20 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753बी के एनएच-753बी के किमी. 0.000 से किमी. 49.050 तक शेवाली (साक्री) - नंदुरबार खंड के पैव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 357(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में टीओटी मोड पर एनएच-28 (नया एनएच-27) के अयोध्या-गोरखपुर (विद्यमान चैनेज किमी. 136.759 से किमी. 252.860 तक) खंड के पैव्ड शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 358(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में टीओटी मोड पर एनएच-28 (नया एनएच-27) के लखनऊ-अयोध्या (विद्यमान किमी. 15.400 से विद्यमान किमी. 137.970 तक) खंड के पैव्ड शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ.359(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में टीओटी मोड पर एनएच-731 के किमी. 90.370 से किमी. 217.795 तक सुल्तानपुर-लखनऊ खंड के पैव्ड शोल्डर सहित चार लेन परियोजना के

लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ.370(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में हाइब्रिड एनुइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (पुराना एनएच-29ई) पर डिज़ाइन किमी. 0.000 (विद्यमान चैनेज किमी. 0.000) से डिज़ाइन किमी. 79.54 (विद्यमान चैनेज किमी. 80.295) तक सुनौली से गोरखपुर खंड के पैव्ड शोल्डर सहित चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ.371(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एचएएम मोड पर एनएच-327ई के परसरमा से बरियाही (डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 24.068), बनगाँव बाईपास (डिज़ाइन किमी. 0.000 से 3.820) और महिषी स्पर रोड (डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 5.720) तक पैव्ड शोल्डर सहित दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ.395(अ) जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में एनएच-205ए के आईटी सिटी चौक से कुराली भाग तक ग्रीनफील्ड संरेखण के चार या अधिक लेन (डिज़ाइन चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 22.080 तथा एनएच-205 के डिज़ाइन चैनेज किमी. 22.080 से किमी. 31.230 तक के भाग, जिसमें एनएच-205 पर किमी. 22.680 से किमी. 29.900 विद्यमान कुराली बाईपास का खंड सम्मिलित है) की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.396(अ) जो दिनांक 28 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के मुंगेर से मिर्जाचौकी खंड (डिज़ाइन किमी. 73.020 से किमी. 193.931 (विद्यमान किमी. 72.950 से किमी. 190.000)) की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतीस) का.आ.488(अ) जो दिनांक 3 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-730सी पर किमी. 000.000 से किमी. 52.770 तक बेवर - अल्लाहगंज खंड की चार या अधिक लेन

परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ.489(अ) जो दिनांक 3 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के फतेहपुर बाईपास (डिज़ाइन चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 7.400), मंडावा बाईपास (डिज़ाइन चैनेज किमी. 20.925 से किमी. 27.300) तथा झुंझुनू बाईपास (डिज़ाइन चैनेज किमी. 41.625 से किमी. 54.689) की 2/4एलपीएस परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ.656(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-75 (पुराना एनएच-48) पर किमी. 311.040 से किमी. 314.080 में कल्लडका नगर पर 6-लेन फ्लाईओवर सहित अड्डाहोले से बंटवाल खंड (डिज़ाइन किमी. 255.140 से किमी. 318.755 (विद्यमान किमी. 263.000 से किमी. 328.000) के चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौंतीस) का.आ.657(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में हाइब्रिड एनुइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के परशुराम घाट-अरावली-कांते-वाकड खंड के चार या अधिक लेन (डिज़ाइन किमी. 51.533 से किमी. 165.233 (विद्यमान किमी. 210.00 से किमी. 323.700)) परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पैंतीस) का.आ.1000(अ) जो दिनांक 24 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 (नया एनएच-69) के हुलियार - सीरा खंड (किमी. 243.200 से किमी. 289.775 (डिज़ाइन चैनेज)) की 2/4एलपीएस परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ.1015(अ) जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-167 के डिज़ाइन किमी. 113.900 से डिज़ाइन किमी. 154.479 तथा किमी. 157.707 (अलीनगर) से किमी. 187.723 (मिर्यालगुड़ा) तक के 2/4एलपीएस परियोजना के

लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सैंतीस) का.आ.1017(अ) जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में हाइब्रिड एनुइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया एनएच-16) के विजयवाड़ा बाईपास (पैकेज-IV), गोल्लापुडी - चिन्नाकाकानी खंड के छह लेन (किमी. 30.000 से किमी. 47.881) परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ.1022(अ) जो दिनांक 25 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 के दावथ बाईपास को छोड़कर, बिक्रमगंज - डुमरांव खंड (डिज़ाइन चैनेज किमी. 201.665 से किमी. 240.200 (विद्यमान चैनेज किमी. 201.665 से किमी. 240.200)) के पैव्ड शोल्डर सहित दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ.1156(अ) जो दिनांक 3 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में हाइब्रिड एनुइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-150सी के अक्कलकोट से केएन-टीएस सीमा खंड के छह लेन (किमी. 41.072 से किमी. 202.059) परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चालीस) का.आ.1157(अ) जो दिनांक 3 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में किमी. 85.686 (म्हसवड) से किमी. 156.164 (तेम्भुर्णी) [किमी. 126.200 से 139.000 को छोड़कर] तक के चार या अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ.1162(अ) जो दिनांक 5 मार्च, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में हाइब्रिड एनुइटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114ए के बसुकीनाथ-देवघर खंड के चार या अधिक लेन (विद्यमान किमी. 85.081 से किमी. 130.240) परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(5) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.07(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय मोटर यान (मोटर वाहन दुर्घटना निधि) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 9 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 14 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.28(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 जो दिनांक 21 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.48(अ) में प्रकाशित हुए थे।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गादास उइके) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा कालसी, देहरादून, उत्तराखंड के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा कालसी, देहरादून, उत्तराखंड के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, चिक्काबल्लापुर, कर्नाटक के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, चिक्काबल्लापुर, कर्नाटक के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर, टीए-वांसदा, जिला-नवसारी, गुजरात के वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर, टीए-वांसदा, जिला-नवसारी, गुजरात के वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में वर्ष 2020-2021, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) श्री मंजूनाथस्वामी विद्या संस्थे संस्थे, दावणगेरे, कर्नाटक के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री मंजूनाथस्वामी विद्या संस्थे संस्थे, दावणगेरे, कर्नाटक के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा के वर्ष 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा के 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-21, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) पांडे शिक्षा समिति, सतना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पांडे शिक्षा समिति, सतना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, उज्जैन, उज्जैन के वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, उज्जैन, उज्जैन के वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) बांधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बांधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर के वर्ष 2015-2016, और 2022-2023 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2017-2018, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर के वर्ष 2015-2016, 2017-2018, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारत सेवाश्रम संघ तेओर यूनिट, दक्षिण दिनाजपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ तेओर यूनिट, दक्षिण दिनाजपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा, नादिया, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा, नादिया, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस (विश्वास), नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस (विश्वास), नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी, जिला पश्चिम कामेंग अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बौद्ध संस्कृति संरक्षण समिति, जिला पश्चिम कामेंग अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बलूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ बलूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) भारत सेवाश्रम संघ औरंगाबाद, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ औरंगाबाद, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु द्वारा वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023 और 2023-2024 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) रिनचेन ज़ंगपो सोसाइटी, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिनचेन ज़ंगपो सोसाइटी, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) सन रेज़ एजुकेशन सोसाइटी, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सन रेज़ एजुकेशन सोसाइटी, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 35 के अंतर्गत वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2025 जो दिनांक 7 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.829(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 12 फरवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. ए.60011/34/2016/एचआरपीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से सीमा शुल्क अधिनियम**,** 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, दिनांक 1 अप्रैल**,** 2026 की दो अधिसूचनाओं, अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमा शुल्क (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) और अधिसूचना संख्या 13/2026-सीमा शुल्क (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिनका आशय पश्चिम एशिया में व्याप्त संकट के दृष्टिगत**,** कुछ विशेष पेट्रोकेमिकल वस्तुओं पर सीमा शुल्क की रियायती दरें उपलब्ध कराना है, की एक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखा।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 1 अप्रैल, 2026 को हुई अपनी बैठक में दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक, 2026, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

*(दो) कि राज्य सभा 2 अप्रैल, 2026 को हुई अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. मोहम्मद जावेद ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के 'गाँवों में निर्धन और निराश्रितों पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का प्रभाव (2024-25)' विषय के बारे में नौवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के 'दिशा समितियों का प्रभावी कार्यकरण (2024-25)' विषय के बारे में बीसवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

---

* अपराह्न 5.13 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) की ओर से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

[1]अपराहन 2.12 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार,निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए:

1. श्री राव राजेन्द्र सिंह द्वारा राजस्थान में एक समर्पित परमाणु विज्ञान विशेषीकृत अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए परिवार, पुलिस और स्वास्थ्य सेवाओं सहित एकीकृत डिजिटल नेटवर्क सिस्टम बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट में केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यालय को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू में मेदिनीनगर स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र में कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों की रिकॉर्डिंग शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

[1] अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 2.13 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

5. श्री अनुराग शर्मा द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश में कृषि भूमि तक संपर्क में व्यापक सुधार किये जाने हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा रिवर्स वेंडिंग मशीनों के व्यापक उपयोग के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के निपटान और पुनर्चक्रण में जन-भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्री दाऊजी महाराज के ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा देश भर के निजी अस्पतालों में कदाचार को रोकने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए नीति के बारे में।
10. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 'बौद्ध अध्ययन केंद्र' की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री जी. कुमार नायक द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के मानदंडों में छूट दिए जाने तथा कर्नाटक में और अधिक संख्या में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री मनीश तिवारी द्वारा देश में पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारी खेतड़ी और भावधारी रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव दिये जाने के लिए अतिरिक्त रेलवे लाइन बिछाए जाने के बारे में।
14. श्री मनोज कुमार द्वारा स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम और स्वर्गीय श्री कांशी राम को भारत रत्न दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्रीमती रुचि वीरा द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में लड़कियों का नामांकन बढ़ाये जाने तथा उनकी शिक्षा का स्तर बेहतर किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री आनंद भदौरिया द्वारा उत्तर प्रदेश में मैगलगंज से लखीमपुर खीरी तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने और विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. डॉ. बायरेड्डी शबरी द्वारा देश में अंग प्रत्यारोपण की संस्थागत क्षमता को मजबूत किए जाने और अंगदान करने वालों के परिवारों को सर्वांगीण सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राजगीर से जम्मू-कश्मीर के कटरा तक सीधी दैनिक ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई द्वारा ज़िला स्तरीय समितियों, विशेष रूप से दिशा समिति, विकास और निगरानी समितियों के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड के बोकारो जिले में 100 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के बारे में।

अपराह्न 2.14 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

आबंटित समय: 06 घंटे
लिया गया समय: 04 घंटा 49 मिनट

श्री नित्यानन्द राय द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री हरीश चंद्र मीना
2. श्री राव राजेन्द्र सिंह
3. श्री धर्मेन्द्र यादव
4. सुश्री महुआ मोइत्रा
5. श्रीमती लवली आनंद
6. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी

7. श्री संजय उत्तमराव देशमुख

8. श्री मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंह

9. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे

10. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

11. श्री विष्णु दयाल राम

12. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई

13. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी

14. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर

15. श्री सुधाकर सिंह

16. श्री देवेश शाक्य

17. श्री इमरान मसूद

18. श्रीमती कमलजीत सहरावत

19. श्री सुदामा प्रसाद

20. डॉ. राजकुमार सांगवान

21. श्री राजेश रंजन

22. श्री हनुमान बेनीवाल

23. श्री कुलदीप इंदौरा

24. श्री तापिर गाव

25. श्रीमती रुचि वीरा

26. एडवोकेट चन्द्र शेखर

27. श्री अब्दुल रशीद शेख

28. श्री वरुण चौधरी

29. श्री राजीव राय

30. श्री बलवंत बसवंत वानखडे

31. श्री अवधेश प्रसाद

श्री नित्यानन्द राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
डॉ. कडियम काव्य और श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मंत्री से स्पष्टीकारक प्रश्न पूछे।
श्री नित्यानन्द राय ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।
विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 स्वीकृत हुआ।
खंड 5 से 8 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई ।
खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

10. [2]अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने घोषणा की कि संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर, आवश्यक सरकारी कार्य के लिए लोक सभा की बैठक गुरुवार, 16 अप्रैल, 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे होगी। अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि उन बैठकों के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य नहीं होगा।

सायं 7.03 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 16 अप्रैल, 2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

[2] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद- विवाद देखें।